लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2—मंगलवार, 14 नवम्बर 1972/23 कार्तिक, 1894 (शक)
No. 2—Tuesday, November 14, 1972/*Kartika* 23, 1894 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
21	देश में बिजली की कमी	Shortage of Power in the country	1–5
22	मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये निधि	Funds for Irrigation Projects in Mysore	5–7
24	विद्यार्थी आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by the Railways due to students Agitation .	7–13
25	गुजरात में धुवारन तापीय विद्युत केन्द्र का बन्द किया जाना	Closure of Dhuvaran Thermal Station in Gujarat . . .	13–14
26	दुर्गापुर स्थित उर्वरक कारखाने की लागत में वृद्धि	Upward revision of cost of Durgapur Fertilizer Plant . .	14–16
27	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई बन्द किया जाना	Stoppage of supply of Coal to DESU	16–17
28	केरल में नदी घाटी परियोजना	River Valley project in Kerala .	17–19
29	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्बन्धी मालवीय समिति का प्रतिवेदन	Malaviya Committee Report on O & NGC	20–21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
23	केरल में साइलेंट वैली परियोजना	Silent Valley Project in Kerala	21
30	मैसर्स फाइजर इण्डिया लिमिटेड की विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि और उनके द्वारा स्वदश भजा गया धन	Increase in Foreign Equity Capital of and the amount repatriated by M/s Pfizer India Ltd. .	21–23
31	पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्थित चीफ सिंगनल तथा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Chief Signal and Tele communication Engineer, Gorakhpur (North Eastern Railway) . . .	23
32	भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक द्वारा ट्राम्बे युनिट के तत्कालीन महाप्रबन्धक और उत्पादन और विपणन विभाग के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध मैथनील बेचे जाने के बारे में प्रतिवेदन	Report by Former Chairman and Managing Director of FCI on Sale of Methanol by the then General Manager of Trombay Unit, now Director (P & M) .	23–24

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
33	बिहार द्वारा तिल्लय्या तथा कोनार बांधों के पानी का सिंचाई के लिये उपयोग	Utilisation of Water by Bihar from Tilaiya and Konar Dams for Irrigation Purposes . . .	24
34	रेलवे स्टेशनों पर स्थित पानी के पम्प हाउसों का प्रबन्ध	Management of water pump Houses at Railway Stations .	24–25
35	देश में अनुसंधान विकास के परिणामों का वाणिज्यिक क्षत्र में प्रयोग करके विदेशी मुद्रा की बचत करना	Saving in Foreign Exchange by putting to commercial use the results of indigenous research development	25
36	प्रमुख रेलवें स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधायें	Banking Facilities at Important Railway Stations . . .	25
37	रेलों में द्वितीय श्रेणी को समाप्त करना	Abolition of Second Class on Railways	26
38	पश्चिम बंगाल में नया तापीय बिजलीघर स्थापित किया जाना	Setting up of a new Thermal Power Station in West Bengal . .	26–27
39	बिहार में बागमती नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Barrage on River Bagmati in Bihar . . .	27
40	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के अधीन लगाए गए बिजली पैदा करने के संयंत्र	Power Generating Equipment Installed under Bhakra Control Board	27
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
201	कमर्शियल क्लर्कों की संख्या में वृद्धि	Increase of Commercial Clerks .	28
202	त्रिवेन्द्रम-एर्नाकुलम लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करना और उसका विद्युतीकरण	Conversion of Trivandrum Ernakulam Line into broad gauge and its electrification . .	28
203	कोचीन तेल-शोधक कारखाने में आग	Fire in Cochin Refinery . .	28–29
204	आन्दोलनों के कारण भारतीय रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Indian Railways due to Agitations . . .	29
205	भारतीय रेलवे के सिगनल इंजीनियरिंग तथा दूरसंचार स्कूल में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instructions in Indian Railways School of Signal Engineering and Telecommunications	29–30
206	सतपुरा तथा चन्द्रपुर बिजलीघरों द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of power by Satpura and Chandrapur Power Stations .	30
207	नवगांव में ऊंचें बांध के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee Report on a High Dam at Navagam. .	30–31
208	50 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल कम्पनियां	Foreign Drug and Pharmaceutical companies with 50 per cent Foreign Equity	31
209	कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति	Promotion of Junior Scale Officer to Senior Scale . . .	31–32
210	गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य	Value of Import Licences given to various firms during the last three years. . . .	32–33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
211	आल इंडिया रलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसिएशन, उत्तरी क्षत्र	All India Railway Commercial Clerks Association, Northern Zone	33
212	आबू रोड रेलवे अस्पताल (पश्चिम रेलवे) में भ्रष्टाचार	Corruption in Abu Road Railway Hospital (Western Railway)	33–34
213	मैसर्स शर्मा मेटल रि-रोलिंग मिल्स, भावनगर (पश्चिम रेलवे) से बकाया माल भाड़ की वसूली	Recovery of under charges from M/s Sharma Metal Re-rolling Mills, Bhavnagar (Western Railway)	34
214	रेलवे में कार्मिक संघों को संगठन संबंधी सुविधायें	Facilities for organisation to Trade Unions of Railways	34–36
215	रेलवे में "संरक्षण प्राप्त कर्मकारों" की घोषणा	Declaration of "Protected Workmen" in Railways	36
216	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड में परीक्षण अवस्था पर डिजाइन में गड़बड़ी	Design trouble in Fertilizer and Chemicals Travancore Limited at the Trial Stage	36
218	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स का विस्तार	Expansion of Hindustan Antibiotics	37
219	कीटनाशी औषधि उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग	Under utilisation of installed capacity in Pesticides Industry	37–38
220	मथुरा, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र	Fertiliser Plant at Mathura, U.P.	38
221	विदेशी ठेकेदारों द्वारा नेफथा की सप्लाई	Supply of Naphtha by Foreign Contractors	38
222	उर्वरक के उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति	Achievement of Fertilizer Targets	38–39
223	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में हड़ताल	Strike in Gorakhpur Fertiliser Factory	39
224	दक्षिण में लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Loco Staff in the South	39–40
225	केरल स्थित तेल कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि किया जाना	Increase in the prices of their products by Oil Companies in Kerala	40
226	सामाजिक एवं आर्थिक अपराध संबंधी कानून	Legislation on Social and Economic Offences	41
227	रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना	Increasing the production of Chemical Fertilisers	42
228	मुख्य स्टेशनों पर नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना	Public Convenience facilities at Major Stations	42
229	बंड़े शहरों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिये समिति का गठन	Committee to examine problems of Commuters in big cities	43
230	बम्बई में पश्चिमी खंड के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हुई बैठक	Meeting of Chief Ministers of States in the Western Zone held at Bombay	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
231	रेलवे के संचालन के बारे में कर्मचारियों के साथ विचार विनिमय के लिये संयुक्त फीरम	Joint Forum for Exchange of Idea with workers on Running of Railways	44
232	एक अन्य उर्वरक निगम की स्थापना	Setting up of a Second Fertiliser Corporation	44–45
233	भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मिलाकर एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना	Setting up of a Holding Company by Linking IOC and O & NGC	45
234	पैट्रो-रसायनिक एकको के लिये होल्डिंग कम्पनी की स्थापना	Holding Company for petro-Chemical Units . . .	45
235	मंगलौर रसायनिक और उर्वरक कारखाने के निर्माण कार्य का पूरा होना	Completion of Mangalore Chemical and Fertilizers Factory .	46
236	झांसी-कानपुर और झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर लूटने की घटनाएं	Incidents of Looting on the Jhansi-Kanpur and Jhansi-Manikpur Railway Line. . . .	46
237	झांसी मण्डल (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता तथा वेतन वृद्धियों की अदायगी न किया जाना	Non payment of T.A. and Increments to Employees of Jhansi Division (Central Railway) .	46
238	झांसी डिवीजन (मध्य प्रदेश) के टिकट निरीक्षण कर्मचारियों और लेखा शाखा के कर्मचारियों के बीच झगड़ा	Clash between Ticket Checking Staff and Employees of Accounts Branch Jhansi Division (Central Railway)	47
239	प्रथम जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक की अवधि में रल दुर्घटनाएं	Railway Accidents during 1-1-72 to 30-9-72	47
240	नंगल उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिये भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पहले से चयन किये गये ठेकेदारों से टण्डर आमंत्रित करना	Calling Tenders from the pre-selected contractors by FCI for the Expansion of Nangal Fertiliser Project . . .	48
241	उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक	Meeting of Chief Ministers and Power Ministers of Northern States in New Delhi . .	48–49
242	मथुरा तलशोधक कारखाने के लिये अशोधित तल प्राप्त करने के लिये ईराक से दीर्घकालिन ऋण	Long Term Credit from Iraq for procuring Crude for Mathura Refinery	49
243	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि विदेशों को भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	Curb on profits remitted abroad by foreign Oil Companies .	49–50
244	राज्यों द्वारा बिजली में की गई कटौती	Power Cut imposed by States .	50–51
245	निर्धनों को कानूनी सहायता	Legal Aid to the Poor . .	51
246	वर्ष 1973-74 में लक्ष्य के अनुरूप उर्वरक उत्पादन	Achievement of Target of Fertiliser for 1973-74	51
247	चौथी योजना में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य	Target for power production in Fourth Plan	52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
248	दिल्ली विद्युत उपक्रम द्वारा हरियाणा को विद्युत की सप्लाई	Supply of Electricity to Haryana by Delhi Electricity Supply Undertaking	52
249	अन्तरराज्य विद्युत पारेषण लाइनें	Inter State Power transmission lines	52–53
250	विदेशी तेल कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Oil Companies	53
251	विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Oil Companies	54
252	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पूर्वी क्षेत्र में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of employees in Eastern region by foreign Oil Companies	54
253	सरकार द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों में साम्य साझेदारी	Equity participation by Government in foreign Oil Companies	54–55
254	पूर्वी क्षेत्र के नदियों के सम्बन्ध में बंगला देश से बातचीत	Talks with Bangladesh on rivers of Eastern Region . . .	55–56
255	जी० एम० सी० यार्ड कानपुर के सहायक स्टेशन मास्टरों को ट्यूशन फीस की वापसी	Re-imbursement of tuition fees to to A.S. Ms. of GMC Yard, Kanpur	56
256	रेल कर्मचारियों को बोनस देन की मांग	Demand for payment of Bonus to Railway employees . .	56
257	रेलों में दर्जों का पुनर्वर्गीकरण	Re-classification of classes on Railways	57
258	आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश श्रमिकों को अन्तरिम राहत का भुगतान	Payment of Interim Relief to the workers of IDPL, Rishikesh .	57
259	मतदान की आयु कम करना	Lowering of voting age . .	57–58
260	पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् द्वारा पश्चिमी रलवे के अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस देना	Strike notices served on Western Railway Authorities by Pashchim Railway Karamachari Parishad	58
261	राजधानी एक्सप्रेस से मासिक हानि	Monthly loss on Rajdhani Express	58
262	गंगा कावेरी नहर के निर्माण के बारे में राष्ट्र संघ विशषज्ञों का प्रतिवेदन	U.N. Experts' Report on Construction of Ganga Cauvery Canal	59–60
263	संकेत और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता दिये जाने के लिये दुर्घटनाओं का स्वरूप	Nature of Accidents for Grant of Daily Allowance to S & T Department Staff . . .	60
264	विदेशी तेल कम्पनियों की पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग	Demand of Foreign Oil Companies for Increase in Price of Petroleum Products . . .	60
265	धर्मजी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी द्वारा बम्बई में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Project in Bombay by Dharmji Morarji Chemical Company . .	61
266	काबिनी नदी के जल के बारे में मैसूर और केरल के मध्य विवाद	Mysore Kerala Disputes regarding Waters of Kabini . . .	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
267	एलप्पी होते हुए कोचीन से कायमगुलम तक रेलवे लाइन	Railway line from Cochin to Kayamgulam *via* Alleppy . .	61–62
268	लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन	Constitutional Amendment to Increase the Number of Members of Lok Sabha . .	62
269	ईराक से आयातित कच्चे तेल की मात्रा	Quantity of Crude Imported from Iraq	62
270	भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Directors of FCI .	63
271	दिल्ली में तिलक ब्रिज को चौड़ा करना	Widening of Tilak Bridge in Delhi	63
272	दिल्ली में तीसरे मुख्य रेलवे जंक्शन का निर्माण	Construction of Third Main Railway Station in Delhi . .	63
273	इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल सिगनल मेन्टनर्स के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Posts of Electrical and Mechanical Signal Maintainers	64
274	तरल पैट्रोलियम गैस की कमी	Shortage of LPG Gas . . .	64–65
275	भारतीय रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्रों का पुनर्गठन	Reorganisation of Administrative Zones of Indian Railways .	65
276	बम्बई क्षेत्र में (मध्य तथा पश्चिमी रेलवे) अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी की दर	Rate of daily wages to unskilled casual Labour in Bombay area (Central and Western Railways)	65
277	समुद्र तटीय रेलवे लाइन द्वारा मंगलोर को बम्बई के साथ जोड़ना	Linking of Mangalore with Bombay by Coastal Railway .	65–66
278	पंजाब में जनरेटर लगाया जाना	Setting up of Generators in Punjab	66
279	माल डिब्बों के शीघ्र अवागमन के लिये शेडों से माल का हटाया जाना	Clearance of goods from sheds for speedy movement of wagons .	66
280	रेलवे के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना	Employees participation in management of Railways . .	66–67
281	पश्चिम बंगाल की दुब्दा वेसिन जल निकास योजना की नहर की मार्ग रेखा में परिवर्तन	Change in alignment of canal of Dubda Basin Drainage Scheme of West Bengal . . .	67
282	बम्बई और कलकत्ता की भूमिगत रेलवे पर व्यय	Expenditure on Bombay and Calcutta Tube Railways . .	67–68
283	पश्चिम बंगाल में बिजली का संकट	Power crisis in West Bengal .	68–99
284	आसाम और गुजरात द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर रायल्टी में वृद्धि	Increase in Royalty on Crude Oil Produced by Assam and Gujarat	69
285	दुहाई हाल्ट (उत्तर रेलवे) पर रेल टिकटों के विक्रय से आय	Sale proceeds at Duhai Halt (Northern Railway) . . .	69–70
286	बिजली की कमी के कारण उर्वरक कारखानों के उत्पादन में कमी	Decline in production in Fertilizer Plants due to Power Shortage	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
287	जम्मू के निकट छिद्रण कार्य	Drilling near Jammu . .	70
288	आंध्र प्रदेश में नादकुडी (बीबी नगर) और गुन्टूर के मध्य नई रेलवे लाइन बिछाना	New Railway line between Nadikude (Bibinagar) and Guntur in Andhra Pradesh. . .	71
289	नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को अलग अलग दर से आवास भत्ता दिया जाना	Grant of House Rent Allowance at different rates to Employees of New Delhi Central Office of FCI	71
290	बाराबंकी और गोरखपुर (पूर्वोत्तर रलवे) के बीच मीटर गेज लाइन की बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre gauge line between Barabanki and Gorakhpur into Broad gauge (North Eastern Railway) . . .	71–72
291	बिजलीघर के उपकरणों का निर्माण करने वाले स्वदेशी एककों सम्बन्धी प्रतिवदन	Report on indigenous units manufacturing power house equipment	72
292	राज्यों में बिजली का उत्पादन	Power production in States .	72
293	गंडक नदी घाटी परियोजना द्वारा सिंचाई	Irrigation under Gandak River Valley Project . . .	73
294	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को गंडक परियोजना द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of power to Bihar, U.P. and Nepal by Gandak Project .	73
295	हिन्दी में रेलवे की समय सारणी प्रकाशित करने वालों को कागज की समान दर पर सप्लाई	Parity in the rate of supply of paper to publishers of Hindi Railway Time Table . .	74
296	रेलवे समय सारणी के विक्रय पर समान कमीशन दर	Uniform rate of Commission on sale proceeds of Railway Time Table	74
297	शालीमार यार्ड (दक्षिण पूर्व रेलवे) में पेकेजों को न हटाया जाना	Uncleared packages at Shalimar Yard (South Eastern Railway) .	74–75
298	सियालदह यार्ड (पूर्वी रेलवे) में माल डिब्बों का रुका रहना	Wagons locked up in Sealdah Yard (Eastern Railway) . . .	75
299	मीटर गैज लाइन को बडी लाइन में बदलना तथा बड़ी लाइन का मिराज से गोआ और लोंडा से हास्पेट तक विस्तार	Conversion to Broad Gauge Line and Extension from Miraj to Goa and Londa to Hospet .	75
300	गोविन्द सागर के जलाशय में गाद जमा हो जाना	Accummulation of Silt in Reservoir of Gobindsagar . . .	75–76
301	रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Railway Protection Force	76
302	प्रत्येक रेल गाड़ी के साथ सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था	Provision of an Armed Guard with every train	76
303	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधिशों के रिक्त पद	Posts of Judges vacant in Supreme Court and High Courts . .	76–77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
304	मध्य प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को ठेके देना	Contracts to unemployed Engineering Graduates from Madhya Pradesh	77
305	देशमें बिजली की आवश्यकता	Requirement of Power in the country	77–78
306	रेल के माल डिब्बों की डिवीजन वार सप्लाई	Divisionwise Supply of Railway Wagons	78
307	कच्चे तेल के आयात के लिये इराक और कुवेत के साथ करार	Agreement with Iraq and Kuwait for the import of Crude Oil .	78
308	दिल्ली में तरल पैट्रोलिमय गैस सिलण्डरों की कमी	Shortage of LPG Cylinder in Delhi	79
309	बिहार के गांवों में बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Villages of Bihar	79
310	बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Bihar and U.P.	79–80
311	रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रैस सेवा चालू करना	Introduction of an Express Service Between Ranchi and Delhi .	80
312	बिहार में बिजली संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Power Plant in Bihar	80
313	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिन्चाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Drought Hit Areas	81
314	बिजली की कमी सम्बन्धी एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee on Electricity Shortage . .	81
315	बालाघाट तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Narrow gauge line upto Balaghat into broad gauge line in Madhya Pradesh . .	81
316	नर्मदा जल विवाद	Dispute over Narmada Waters .	82
317	मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना	Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	82
318	भारतीय उर्वरक निगम में निर्देशक (तकनीकी) की नियक्ति	Appointment of Director (Technical) in FCI	83
319	रेलवे कर्मचारियों को "जर्किंग अलाउन्स"	"Jerking allowance" to Railway Employees	83
320	भारतीय रेलवे में विभागीय खान पान व्यवस्था में घाटे के बार में शिकायतें	Complaints against loss in Departmental catering in Indian Railways	83–84
321	डीजल पावर सैटों को चलाने के लिये पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab for working of Diesel Power Sets . .	
322	भारतीय रेलवे में लूट, चोरी और डकैती की घटनायें	Incidents of Loot, Thefts and Dacoities in Indian Railways .	84
323	1971-72 में भारतीय तेल निगम को हुआ लाभ	Profit earned by IOC during 1971-72	84–85
324	रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for Railway Employees . . .	85

अता प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
325	कानूनी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद	Translation of Law Books in Hindi	85
326	निर्णयों का हिन्दी में लिखा जाना	Writing of Judgements in Hindi	85
327	जल संसाधनों तथा विद्युत विकास के संबंध में एशिया तथा सुदूर पूर्व विदेशों के लिये आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन	Report of Economic Commission for Asia and far East on Water resources and Power Development	86–87
329	आसाम मेल को फरक्का के मार्ग से चलाया जाना	Diversion of Route of Assam Mail *via* Farakka	87
330	पंजाब और हरियाणा में बिजली का संकट	Power crisis in Punjab and Haryana	87–88
331	पंजाब में उर्वरक परियोजना की स्थापना	Setting up of a Fertiliser Projects in Punjab	88
332	विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Power Projects . . .	88
333	बानसागर परियोजना के बारे में बिहार और मध्य प्रदेश के बीच बातचीत	Talks on Bansagar Project between Bihar and Madhya Pradesh .	88–89
334	दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई के लिये बिहार को पानी देना	Supply of Water by Damodar Valley Corporation to Bihar for Irrigation	89
335	पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधिशों की नियुक्ति	Judges in Patna High Court .	89
336	माल गाड़ियों में चोरी की घटनायें	Theft incidents in Goods Trains .	89–90
337	सिंचाई के लिये उपलब्ध जल	Water for Irrigation . . .	90–91
338	विद्युत की कमी के कारण नांगल उर्वरक संयंत्र का बन्द हो जाना और इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि	Closure of Nangal Fertilizer Plant due to Shortage of Power and Resultant Loss thereby . .	91
339	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कुकिंग गैस की सप्लाई	Supply of cooking Gas by Foreign Oil Companies . . .	91–92
340	सिंचाई के लिये नदी जल को उपयोग करने का लक्ष्य	Target for Utilisation of River Water for Irrigation . .	92
341	हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी के किनारे जा रहे नलकूपों के निर्माण को रोकना	Stoppage of Installation of Tube Wells along Jamuna by Haryana Government	92–93
342	मध्य रेलवे के झांसी प्रखण्ड में धनराशि का गबन	Cash Misappropriated from Jhansi Division of Central Railway .	93
343	धर्मनगर-अगरतला रेलवे परियोजना	Dharmnagar-Agartala Railway Project	93
344	त्रिपुरा में डमबोरो पन बिजली परियोजना का निर्माण पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Damboroo Hydel Project in Tripura .	93–94
345	बारामूरा (त्रिपुरा) में छिद्रण कार्य	Drilling at Baramura (Tripura) .	94
346	केरल की परियोजनाओं को सहायता	Assistance of Projects in Kerala .	94–95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
348	गुलधर और गाजियाबाद के बीच गाडियों का रुकना	Halt between Guldhar and Ghaziabad	95
349	इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर द्वारा तैयार किया गया तेल गति से चलने वाला यात्रि डिब्बा	High Speed Bogie Developed by Intergral Coach Factory, Perambur	95
350	रेलवे सुरक्षा बल एककों को सशस्त्र करने के बारे में निर्णय	Decision to Arm RPF Units .	96
351	चुनाव पद्धति में परिवर्तन	Changes in the poll System . .	96
352	पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में भूमि का नियतन	Allotment of Land to Pong Dam Oustees in Rajasthan . .	96–97
353	भागड़ा प्रबन्ध बोर्ड के कार्यालयों को नंगल टाउनशिप में ले जाना	Shifting of Office of Bhakra Management Board to Nangal Township	97
354	भारतीय उर्वरक निगम (नंगल शाखा) द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का हिमाचल प्रदेश में मालिक को वापिस किया जाना	De requisition of Land by FCI (Nangal Unit) to the owner of Himachal Pradesh .	97
355	कांगड़ा वैली रेलवे को बन्द करना	Closure of Kangra Valley Railway	97–28
356	विदेशी तल कम्पनियों के सहयोग से तट से दूर तेल की खोज	Off-Shore Exploration in Collaboration with Foreign Oil Companies	98
357	गुजरात में डेटरजेंट आलकाइलेट और एथिलीन ग्लाइकोल परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Detergent Alkylate and Ethylene Glycol Projects in Gujarat	98–99
358	मध्य प्रदेश की सिन्ध परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट	Sindh Project of Madhya Pradesh	99
359	मध्य प्रदश में पायरी नदी परियोजना के बारे में प्रतिवेदन	Report on the Pairi River Project in Madhya Pradesh. . .	99
360	सतना रीवां छतरपुर-हरपालपुर-टीकमगढ़-झांसी के लिये रेलवे लाइनें	Railway lines for Satana-Rewa-Chhatarpur-Harpalpur-Tikamgarh-Jhansi	99
361	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में डल्ली-राजहारा जगदलपुर के लिये रेलवे लाइन	Railway Line for Dalli Rajhara-Jagdalpur in Bastar District (Madhya Pradesh) . . .	100
362	इलाहाबाद उच्चन्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in Allahabad High Court . . .	100
363	विद्युत पारेषण हेतु रूसी सहायता	Russian help for Power Transmission	100
364	वर्ष 1972-73 की पहली तिमाही में भारतीय उर्वरक निगम के चार एककों की प्रगति	Progress by four units of FCI during the first quarter of 1972-73 .	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
365	गुजरात और राजस्थान को विद्युत् पारेषण लाइनों द्वारा जोड़ा जाना	Linking of Rajasthan and Gujarat with Power Transmission Lines	101–02
366	ग्रामीण बिजली निगम द्वारा ग्रामीण बिजली परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance to Rural Electrification Projects by Rural Electrification Corporation	102
367	कमला नदी तटबन्धों का विस्तार	Extension of Kamala river Embankment	103
368	उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत	Per Capita Availability and Consumption of Power in North Bihar	103–04
369	बिहार में कटिहार में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for location of Thermal Power Plant at Katihar in Bihar	104
370	पश्चिम कोसी नहर परियोजना की प्रगति	Progress made on Western Kosi Canal Project . . .	104–05
371	उत्तर बिहार की अधवाड़ा परियोजना की प्रगति	Progress of Adhwara Project in North Bihar	105
372	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरो द्वारा कुछ औषधियों का लागत विश्लेषण	Cost analysis of some Bulk Drugs by Bureau of Industrial Costs and Prices	106
373	12 अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण औषधियों पर मूल्य नियंत्रण लागू करना	Bringing 12 more essential Bulk Drugs under Control . .	106
374	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of FCI	106
375	बरौनी उर्वरक कारखाने द्वारा रासायनिक उर्वरक का उत्पादन	Production of Chemical Fertilizer by Barauni Fertiliser Factory	107
376	प्रयाग जोंगबनी पैसेंजर गाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी बनाना	Conversion of Prayag Jogbani Passenger Train into Express Service	107
377	कटिहार जंक्शन से कलकत्ता को एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Introduction of an additional Express Train from Katihar Junction to Calcutta . .	107
378	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मुकदमों का निपटाया जाना	Disposal of Cases in Supreme Court and High Courts . .	108
379	कटिहार यार्ड में चोरी की घटनाएं रोकने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना	Deployment of C.R.P. at Katihar Yard for Checking Theft . .	108
380	बीकानेर रेलवे स्टेशन पर छात्रों द्वारा सम्पत्ति का विनाश	Destruction of Property at Bikaner Railway Station by Students	109
381	कोचीन उर्वरक कारखाने को चालू करना	Commissioning of the Cochin Fertilizer Unit . . .	109
382	गोरखपुर उर्वरक कारखाने में बम विस्फोट	Explosion of a Bomb in Gorakhpur Fertiliser Factory . . .	109–10

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
383	522-अप मानिकपुर-झांसी यात्री गाड़ी पर डाकुओं का हमला	Raid on the 522-UP Manikpur-Jhansi Passenger Train by Dacoits	110
384	चित्तरंजन लोको वर्क्स आदि में रेलवे जोनों तथा रेलवे बोर्ड से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Class I Officers for Chittaranjan Loco Works etc. from Zonal Railway and Railway Board . . .	110–11
385	दमदम जंक्शन से बनगांव (स्यालदाह डिवीजन-पूर्व) रेलवे तक दोहरी रेलवे लाइन	Double Railway Line from Dum Dum Junction to Bangaon, (Sealdah Division Eastern Railway)	111
386	ईराक से अशोधित तेल लाने के लिये तेल वाही जहाजों की प्राप्ति में कठिनाई	Difficulties in getting Oil Tankers to Lift Crude from Iraq . .	111
387	तेल भाड़ा से सम्बन्धित धोखा घड़ी	Oil Freight Scandal . . .	112
388	केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation Projects in Kerala	112
389	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज त्रावनकोर लि० अल्वाय का चतुर्थ चरण का विस्तार कार्यक्रम	Fourth Stage Expansion Programme of the Fertiliser and Chemicals, Travancore Limited, Alwaye	112–13
390	बर्मा शेल कम्पनी द्वारा ईराक से आये कच्चे तेल का शोधन किया जाना	Refining of Crude from Iraq by Burma Shell	113
391	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे का पुन: चालू किया जाना	Resumption of Operation of S.S. Light Railway . . .	113
392	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे के चलाये जाने के लिये निगम	Corporation to Run S.S. Light Railway	113
393	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Narrow Gauge S.S. Light Railway into Broad Gauge	114
394	दिल्ली सहारनपुर के बीच बरास्ता मेरठ विद्युत गाड़ियों का चलना	Electric Trains between Saharanpur and Delhi via Meerut . .	114
395	हावड़ा एक्सप्रस गाड़ी में तृतीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाया जाना	Increasing the Number of Third Class Compartments in Howrah Express	114
396	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजा गया लाभांश	Profit Remitted to foreign Countries by Foreign Oil Companies	115
397	कोयला क्षेत्रों में तोलने के कांटों (वे ब्रिज) की स्थापना	Location of Weight bridges serving Coalfields	115

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
398	पहिये और धुरी बनाने वाले संयंत्र की स्थापना स्थल	Location of Wheel and Axle Plant	115–16
399	दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में टिकटों एवं आरक्षण टिकटों की बिक्री में गड़बड़	Rackets in Sale of Reservation Tickets at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras	116–17
400	गोंडा और बहराइच रेलवे स्टेशनों पर उचित-मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops at Gonda and Bahraich Railway Stations .	117
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	भाषा के प्रश्न को लेकर आसाम में हाल में हुए उपद्रव—	Recent Disturbances in Assam on Language Issue . .	117–23
	श्री प्रिय रंजनदास मुंशी	Shri P. R. Das Munsi .	118–19
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . .	119,20,23
	सदस्य का निलम्बन (श्री ज्योतिर्मय बसु)	Suspension of Member (Shri Jyotirmoy Bosu) . . .	123–29
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	129
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	130
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	130
	कार्य यंत्रणा समति—	Business Advisory Committee—	
	सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report .	131
	देश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	Statement *Re.* Drought Situation in the Country—Laid on the Table	131–32
	कृषि उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया	Statement *Re.* Agricultural production Programme—Laid on the Table	133–34
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1972-73—विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73—Statement presented . . .	134–35
	स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ	Motion for Adjournment—Negatived—	
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	135–37
	श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha . . .	137–39
	डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh . . .	139–41

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	141–43
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	143–44
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	144–45
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	145–46
श्री अटल बिहारी वाजपयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	146–47
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	147–48
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	149–50
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	150–52
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	152–53
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	153–54
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	154
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	154–56
चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक—	Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—जारी	Motion to consider—Contd.—	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	157

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 नवम्बर, 1972/23 कार्तिक, 1894 (शक)
Tuesday, November 14, 1972/Kartika 23, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश में बिजली की कमी

*21. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री सेझियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिजली की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) संकट का सामना करने तथा उद्योग और कृषि को बिजली की न्यूनतम सप्लाई को बनाये रखने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेंजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की कितनी-कितनी कमी है, इसको दर्शाने वाला विवरण नीचे उपाबंध रूप में रखा है ।

(ख) विद्युत् की कमी के कारण ये हैं :—

(1) जल विद्युत् जलाशयों में पानी की कमी के कारण जल—विद्युत् केन्द्रों से विद्युत् का कम उत्पादन ;

(2) परमाणु विद्युत् केन्द्रों से बिजली की कमी ;

(3) विद्युत् की मांग में निरन्तर वृद्धि; और

(4) उत्पादन क्षमता में कम वृद्धि ।

(ग) विद्युत् प्रदाय स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिए तथा विद्युत् की कमी की स्थितियों को कम करने के लिए तात्कालिक उपचारी कार्यवाही करने के लिए पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

इस संबंध में निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

(1) कमी वाले राज्यों में कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध फालतू बिजली पूर्ण रूप से प्रयोग में लाई जानी है।

(2) उन कुछ ताप उत्पादन यूनिटों के मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जानी है जोकि खराब पड़े हैं ताकि यूनिटों को पुनः चालू किया जा सके।

(3) पूर्वी क्षेत्रों में उन ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयले की बेहतर सप्लाई का प्रबंध करना जहां घटिया किस्म के कोयले के इस्तेमाल के कारण यूनिट खराब हो रहे हैं और यह उस समय तक रहेगा जब तक सीन-चरण वाशरियां स्थापित नहीं हो जाती।

(4) यथा संभव शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं और महत्वपूर्ण परिषण लाइनों के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की प्रगति पर नियंत्रण रखने और कठिनाइयों को दर करने के लिए कार्यान्वियन कक्ष स्थापित करें।

(5) पांचवीं योजना में परिचालनार्थ परियोजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही अभी से आरंभ करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

उपाबंध

विविध राज्यों में विद्युत् की सप्लाई संबंधी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

	विद्युत् उपलभ्यता मिलियन यूनिट/प्रतिदिन	विद्युत् आवश्यकताएं मिलियन यूनिट/प्रतिदिन	अधिक अथवा घाटा मिलियन यूनिट/प्रतिदिन
उत्तरी क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश . .	21.00	24.00	—3.30
पंजाब . . .	4.84	7.05	—2.21
हरियाणा . . .	3.43	5.40	—1.97
राजस्थान . . .	3.77	4.97	—1.20
दिल्ली . . .	5.16	4.50	0.66 सतपूड़ा से
हिमाचल प्रदेश . . .	0.84	0.58	0.26 क्षेत्र को 0.6 मिलीयन यूनिट की सहायता
जम्मू और कश्मीर . .	0.73	0.73	..
चंडीगढ़ . .	0.19	0.30	—0.11
नंगल उर्वरक .	2.35	2.35	..

	विद्यूत् उपलभ्यता मिलियन यूनिट/प्रतिदिन	विद्युत् आवश्यकताएं मिलियन यूनिट प्रतिदिन	अधिक अथवा घाटा मिलियन यूनिट प्रतिदिन
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात . .	15.30	15.30	कुछ नहीं
मध्य प्रदेश . . .	9.30	8.20	1.10*
महाराष्ट्र . . .	27.90	31.60	−3.70
गोआ, दियु और दमन . .	0.22	0.52	−0.30
	*मध्य प्रदेश को क्षेत्र के लिए 0.5 मिलिययन यूनिट प्रतिदिन उपलब्ध है।		
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश .	7.50	10.10	−2.50
केरल . . .	6.85	6.55	0.30
मैसूर	10.95	13.90	−2.95
पांडिचेरी सहित तमिलनाडू .	16.50	22.00	−5.50
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार . . .	5.56	6.12	−0.56
पश्चिम बंगाल . . .	11.18	12.18	−1.00
दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली	10.60	11. 0	−1.00
उड़ीसा .	5.70	6. 0	−1.10
उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र	1.60	1.60	. .
अखिल भारतीय . .	171.47	196.65	−25.18

Shri Ishwar Chaudhry: The Statement shows that the supply of electricity in the country is not proportionate to requirements. The Statement shows that there is a great shortage of electricity, particularly in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Punjab. The generators imported from Russia and East European countries are not working satisfactorily and some of them are also lying idle. We are not able to face the drought situation due to shortage of electricity. As a result of it, lakhs of workers have become unemployed and the country is suffering a loss of crores of Rupees. During the last session, it was stated that the shortage of electricity will be met soon. I want to know when we will be self-sufficient in the matter of electricity so that we may be able to fight drought effectively.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह सच है कि देश के कुछ भागों–पंजाब हरियाना और उत्तर प्रदेश—में बिजली की कमी है। इस बारे में मैंने सभा में कल एक वक्तव्य भी दिया था, जिस में बिजली की स्थिति की पूरी जानकारी दी गई थी और यह उल्लेख किया था कि यह कमी कैसे उत्पन्न हुई। बिजली की कमी

का मुख्य कारण जलाशयों का न भर पाना है। भाखड़ा में अब स्थिति यह है कि उनमें पानी का स्तर गत वर्ष की तुलना में आधे से कम रह गया है। इस कमी का मुख्य कारण यही है। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि आगामी वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होगी और जलाशय पूरे भर जायेंगे। ऐसा गत 25 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। हम आशा करत हैं कि आगामी वर्ष स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

Shri Ishwar Chaudhry: It has been felt that there is a shortage of electricity due to shortage of reservoirs.

I want to know what assistance Government will give to those Districts in which there is a shortage of electricity and I also want to know when we will be self-sufficient in the matter of electricity?

डॉ० के० एल० राव : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का संकेत पांचवी पंचवर्षीय योजना में किए गए अवधान से है। यह अनुभव किया जा रहा है कि देश में बिजली का उत्पादन पहले की तुलना में बहुत अधिक बढाना होगा और मंत्रालय ने इस बारे में बडी राशि देने का अनुरोध किया है। इस विषय पर सभा में चर्चा की जायेगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में बिजली की भारी कठिनाई को देखते हुए बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या दीर्घावधि और अल्पावधि कार्यवाही कर रही है? केन्द्रीय सरकार द्वारा थ्येन बान्ध के बारे में निर्णय लेने में इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है? गत आठ वर्ष से हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

डॉ० के० एल० राव : पंजाब में प्रतिदिन 20.02 लाख किलोवाट घंटे बिजली की कमी है। हम इस कमी में से 10 लाख किलोवाट घंटे बिजली की कमी–5 लाख किलोवाट घंटे हिमाचल प्रदेश से लकर और 5 लाख किलोवाट घंटे सतपुरा से लेकर–पूरी करने की आशा करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, बिजली पैदा करने के लिये गत वर्ष विभिन्न देशों से आयात किये गये डीजल सैट स्थापित नहीं किये गये हैं। उनकी अब स्थापना की जा रही है और मुझे आशा है कि जनवरी तक इस कमी को और पूरा किया जा सकेगा। फिर भी लगभग 5 से 10 लाख किलोवाट बिजली की कमी रहेंगी। थ्येन बांध के निर्माण पर काफी समय लगेगा। इससे कुछ राज्य संबंधित हैं। जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी भूमि जलमग्न हो जायेगी। इस समस्या के समाधान के लिये मुख्य मंत्रीयों की बैठक बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों की बैठक समय समय पर स्थगित होती रही है। इस महीने की 25 तारीख को जम्मू में उनकी बैठक निश्चित की गई है। आशा है उस बैठक में स समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके बाद हम थ्येन बांध के मामले पर विचार करेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : आसाम में बिजली पैदा करने की बहुत अधिक क्षमता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में बिजली पैदा करने की कोई योजना तैयार की है और, यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है?

डॉ० क० एल० राव : उत्तर–पूर्व क्षेत्र में बिजली की स्थिति संतोषजनक है और वहां पर बिजली की कोई कमी नहीं है। मणिपुर और त्रिपुरा जैसे स्थानों में इसके लिये जोरदार मांग की जा रही है लेकिन बिजली की दर कम न होने के कारण हम उक्त मांग परा कर पाने में असमर्थ है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लोक टाक और गुमटी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इन परियोजनओं के पूरा हो जाने पर उक्त क्षेत्र में अधिक बिजली सप्लाई करना सम्भव होगा। आसाम के लिये हम एक बहुत बड़ी परियोजना कामेंग में आरम्भ कर रहे हैं। अभी उसको अन्तिम रूप दिया जाना है।

Shri Ramavatar Shastri: I want to know whether the Chief Ministers of Bengal, Bihar and Assam have recently demanded that steps should be taken to remove shortage of electricity in those states and whether the Hon. Minister was himself present on that occassion? I want to know whether an atomic power station will be constructed in the Eastern region and if so the reaction of the Government thereto?

डॉ० के० एल० राव : हम आगामी पांच वर्षों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न करने पर जल्दी ही विचार कर रहे हैं। परमाणु बिजली जनन में काफी समय लगता है। इसमें कम से कम 10 वर्षों का समय लग जाता है। देश में बिजली की स्थिति में तेजी से सुधार होना आवश्यक है। इस समय हम 175 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। हमे आशा है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 400 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे। हमारे जैसे बड़े देश के लिये बिजली का इतना अधिक उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होगा।

आशा है इस शताब्दी के अन्त तक बिजली का उत्पादन 2,000 लाख किलोवाट हो जायेगा। जब हम इस सीमा पर पहुंच जायेंगे तब देश के सब भागों में अणु शक्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और उस समय पूर्वी क्षेत्र में भी अणु शक्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि

*22. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नारायणपुर, अलामट्टी, घाटप्रभा और कावेरी एवंम् अन्य क्षेत्रों में अपर कृष्णा परियोजना से संबंधित प्रमुख सिंचाई कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशी का अनुमान लगाने के लिए मैसूर राज्य का दौरा करने के लिए एक दल भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिश की हैं तथा उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) और (ख) : मैसूर में अपर कृष्णा, घाटप्रभा और मालप्रभा परियोजनाओं को जांच करने के लिए अक्तूबर, 1972 के आरंभ में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल भेजा गया था। इस दल ने इन परियोजनाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है जिस पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि एक अध्ययन दल को अपर कृष्णा, अलमट्टी और घाटप्रभा परियोजनाओं का दौरा करने के लिये भेजा गया था। उसने परियोजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया है और इस संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है। अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की है और क्या उनके बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

डॉ० के० एल० राव : प्रतिवेदन का सार देना उचित नहीं होगा। वास्तव में, मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। योजना आयोग इस बारे में दी जाने वाली सहायता पर विचार कर रही है। इस संबध में मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : लाखों लोगों की क्रय क्षमता में कमी होने के कारण गुलबर्गा और बीदर जिलों में भारी सूख की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः हमने यह सिफारिश की है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं को, जिनमें लाखों श्रमिक काम करते हैं, आरम्भ किया जाये जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके। इस संबंध में जितनी जल्दी निर्णय किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा। उस समय वहां के लोगों को पीने के पानी की तथा अन्य सूविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं पर कब तक काम आरम्भ हो जायगा ?

डॉ० क० एल० राव : मैं परियोजनाओं की महत्ता और माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं। यह सच है कि ये लगातार सूखा पीड़ीत क्षेत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आसाम सरकार ने इन परियोजनाओं पर अधिक रुपया खर्च नहीं किया है। इन परियोजनाओं पर लगभग 257 करोड़ रुपया खर्च होगा। गत आठ वर्षों में इन परियोजनाओं पर 68 से 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अतः इस संबंध में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। अध्ययन दल ने इस बारे में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उनमें से एक सुझाव यह है कि घाटप्रभा और मालाप्रभा परियोजनाएं क्रमशः जून, 1976 और जून, 1979 तक पूरी हो जानी चाहिए। यदि उक्त परियोजनाएं इस समय तक पूरी हो जाती है तो वे राज्य के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी।

श्री के० मालन्ना : मैसूर सरकार का विचार है कि जब ये अपर कृष्णा, मालाप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती जैसी परियोजनाएं, जो निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में अथवा विचाराधीन हैं, पूरी हो जायेंगी, तो राज्य को कभी भी सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ? क्या राज्य सरकार ने उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिये 200 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है। यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या आश्वासन दिया है ?

डॉ० के० एल० राव : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि घाटप्रभा, मालप्रभा और अपर कृष्णा परियोजनाओं पर लगभग 257 करोड़ रुपये खर्च आने की सम्भावना है और इन पर अब तक कुल 68 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। अतः अभी भी इन परियोजनाओं पर एक बड़ी धनराशि खर्च की जानी बाकी है। दुर्भाग्य से सिंचाई राज्य का विषय है। अतः इन परियोजनाओं के लिये धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है। भारत सरकार इस संबंध में बहुत कम अतिरिक्त सहायता दे सकती है। अधिकांश सहायता राज्य सरकार स्वयं ही देती है। मुझे आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को स्वयं राज्य सरकार द्वारा पूरा करने का उपबन्ध होगा।

श्री के० मालन्ना : हेमावती परियोजना का क्या बना ?

डॉ० के० एल० राव : हेमावती परियोजना का विशेषरूप से उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि यह कावेरी जल विवाद से प्रभावित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लकप्पा को इस शर्त पर बोलने का अवसर दे रहा हूं कि वह बहुत संक्षिप्त में बोले।

श्री के० लकप्पा : मैसूर में प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह इन संसाधनों का राज्य के लाभ के लिय उपयोग करें। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि हमें प्रत्येक वर्ष अकाल और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाएं हैं जिन्हें वर्ष 1965 में आरम्भ किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा इनपर परियोजनाओं की क्रियान्वति के लिये सहायता न दिये जाने के कारण इन परियोजनाओं के लिये निर्धारित राशि में से एक तिहाई राशि भी खर्च नहीं की गई है।

मैं माननीय मंत्री से एक विशेष प्रश्न पुछूंगा कि योजना आयोग दल द्वारा हाल ही में मैसर राज्य का दौरा कर वहां की परियोजनाओं का निरीक्षण करने और राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने और केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? क्या धनराशि के आवंटन में योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में तीव्र मतभद ह? क्या इसके लिए कोई तदर्थ व्यवस्था है। राज्य सरकार ने कितनी विशेष धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया था? हम इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के बारे में बहुत उत्सुक हैं जिससे लोग इनसे लाभ उठायें। धनराशि के आवंटन के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है? इन परियोजनाओं के लिये धनराशि आवंटित करने के बारे में मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे लम्बे प्रश्न अध्यक्ष और मंत्री महोदय दोनों की ही समझ में नहीं आते है। इसलिए प्रश्न की तरह उत्तर भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए।

डॉ० के० एल० राव : मैसूर के मुख्य मंत्री योजना मंत्री से मिले थे और उन्होंने योजना मंत्री से इन तीनों परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया था। दल ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। मैं इन परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। मैसूर में सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जबकि योजना में केवल 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है जिसपर विचार किया जाना चाहिए। यह संसाधन जुटाने का मामला है और मैं समझता हूं कि योजना आयोग इस पर विचार करने का प्रयास करेगा कि इस विशिष्ट मामलें में अधिक से अधिक सहायता कैसे दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 23 —श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ —अनुपस्थित श्री गोपालन।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैंने प्रश्न की सूचना भेजी थी। श्री गोपालनने नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसमें इतनी गलती नहीं हो सकती।

श्री० एन० श्रीकान्तन नायर : इसमें गलती हुई है। मैंने प्रश्न किया था और उनका स्पष्टीकरण भी मांगा था, जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकत हैं। इस बीच मैं इस मामले की जांच करुंगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैंने और श्री सेठ ने प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायर और श्री गोपालन के बीच इतना अन्तर नहीं है। मैं देख चुका हूं। यहां श्रीकान्तन नायर के नाम का बल्कुल भी उल्लेख नहीं है। वह कोई अन्य प्रश्न होगा मुझे बताया गया है कि बैलट में आपका नाम नहीं आया। खेद की बात है मैं आपको श्री ए०के०गोपालन नहीं बना सकता।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा यही दावा है कि प्रश्न मैंने किया था।

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकत। श्री ए० के० गोपालन भी उपस्थित नहीं हैं। अब अगले प्रश्न पर आना होगा।

† विद्यार्थी आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि

***24. श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरषोत्तम काकोडकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर, 1972 के महीनों में विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों और अन्य तत्वों द्वारा किये गये आंदोलनों में उनके आक्रमण मुख्य निशाना रेलवे था;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किये गये थे;

(ग) रेलवे को इस कारण, 'क्षेत्रवार' कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) भविष्य में रेलव सम्पत्ति की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से(घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सितम्बर और अक्तूम्बर, 1972 के महीनों में विभिन्न राज्यों में हुए उपद्रवों में रेलें भी आक्रमण का शिकार हुई।

(ख) सात राज्यों, नामतः आंन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और तमिल नाडु में रेल सम्पत्ति पर आक्रमण हुए। इन उपद्रवों में रेलों को कुल मिला कर 4.39 लाख रुपये की प्रत्यक्षतः हानि हुई। विवरण इस प्रकार है :—

रेलवे का नाम	हानि हुई लगभग (रुपये)
उत्तर	3,15,519
पूर्वोत्तर सीमा	32,100
पूर्वोत्तर	971
दक्षिण	6,338
दक्षिण मध्य	338
पश्चिम	4,348
पूर्व	79,600

(ग) रेल प्रशासन द्वारा जनता को यह समझाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं कि किसी भी सरकारी सम्पत्ति को, जिसमें रेले भी शामिल हैं, नुकसान पहुंचाने का मतलब उनकी अपनी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है। उन्हें ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। रेल प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नागरिकों से अक्सर अपीलें की जाती हैं, जिनमें नागरिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि एसे विध्वंसात्मक कार्यों में भाग न लें। अन्य उपाय जो किये जाते हैं या प्रस्तावित है, इस प्रकार हैं :—

(क) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदम—

(1) रेलवे की सुरक्षा शाखा राज्य पुलिस की कार्यकारी और आसूचना शाखाओं के साथ निकट सम्पर्क रखती है और वे रेल चालन को प्रभावित करने वाले मामलों और महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा से संबंधित आसूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

(2) जब उपद्रव की आशंका होती है तो यथास्थिति राज्य पुलिस या रेल सुरक्षा दल द्वारा भेद्य स्थलों पर पहरा बिठा दिया जाता है और भेद्य खण्डों में रेल पथ पर गस्त की व्यवस्था की जाती है।

(3) जिन क्षेत्रों में उपद्रव होने की संभावना होती है वहां रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के अलावा, राज्य रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा प्रभावित खण्डों में चलने वाली गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की जाती है।

(4) आवश्यकतानुसार, स्थानीय पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशनों के पास और शिक्षा संस्थाओं के पास स गुजरने वाले रेल-पथ पर गस्त की व्यवस्था की जाती है।

(ख) प्रस्तावित उपाय—

(1) रेल सम्पत्ति को नष्ट करने पर दिये जाने वाले दण्ड को अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में संशोधन करने का विचार है।

(2) रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि वह रेल सम्पत्ति की सुरक्षा से संबंधित अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा, राज्य पुलिस के सहयोग से रेलों पर कानू और व्यवस्था की स्थिति से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सके।

श्री पी० गंगादेव : ऐसी घटनाओं को भविष्य में दुबारा होने से रोकने के लिए रेलवे क्या उपाय कर रहीं हैं और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का संशोधन कब तक किया जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : जब कभी किसी भी प्रकार का आन्दोलन होता है तो अधिकतम क्षति रेलवे की सम्पति को ही होती है। हमें इस बात की बहुत चिंता है कि अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए हमने जो कार्यवाही की है वह पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है। इसलिए रेल मंत्रालय का विचार भारतीय रेल अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का है :

अधिनियम की धारा 122 में संशोधन के द्वारा रेलवेज का अतिक्रमण करने तथा अतिक्रमण की निषेधाज्ञा का पालन करने से इन्कार करने के लिए जुर्माना बढ़ाकर और कैद की अवधि बढ़ाकर इसे कठोर बनाने का विचार है।

अधिनियम की धारा 126 में रेलगाड़ी को उड़ाने अथवा उड़ाने का प्रयत्न करने के लिए सज़ा की जो व्यवस्था है, इस सज़ा को और अधिक कठोर बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार है। इस धारा के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधानों में प्रथम बार अपराध सिद्ध होने पर कम से कम तीन वर्ष की और एक से अधिक बार अपराध सिद्धि के लिए कम से कम सात वर्ष की सजा की व्यवस्था की गई है। इस धारा में गाडियां उड़ाने से हुई मृत्युओं के मामले में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था करने सम्बन्धी संशो न करने का भी विचार है ।

अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों में रेलवे सम्पत्ति के विध्वंश का मामला नहीं है। प्रस्तापित संशोधन से इस धारा में एक उपधारा 126(क) जोडने की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेल की पटड़ी, पुल, रेलवे स्टेशन, तथा अन्य प्रकार की रेलवे सम्पत्ति का अत्यधिक विनाश करने के मामलें है। इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तावित सज़ा दस वर्ष तक की कैद की सज़ा है।

श्री पी० गंगादेव : मैं आगे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने हेतु परिवार नियोजन प्रचार की तरह ही एक जन-शिक्षा अभियान चलायेगी जिससे कि यह आधारभूत उपाय सम्पत्ति के विनाश के विरुद्ध कठोर उपाय सिद्ध हो सके ?

श्री टी० ए० पाई : जी हां, श्रीमान, मेरे विचार में उन सब लोगों को सन्तुष्ट करना आवश्यक है जो यह समझते हैं कि इस सार्वजनिक सम्पत्ति को, जिसपर निर्धनों का भी उतना ही अधिकार है जितना इस विनाश कार्य में लगे धनिकों का है, बुरी तरह से नष्ट किया जाए। और इससे हमारी दरिद्रता ही बढ़ेगी। जब कि हम जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : केवल ये ही व्यक्ति इस कार्य में संलग्न नहीं है।

श्री टी० ए० पाई : यहां तक कि निर्धन भी विनाश कार्य में लगे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि सदन मेरा समर्थन करे कि जब तक संसद की इच्छा नहीं हो हम बुरी तरह से नष्ट कि गए रेलवे स्टेशनों की कुछ समय तक मरम्मत नहीं करें जिससे लोगों को यह पता लगे कि वे दूसरे लोगों को किस तरह की कठिनाइयों में डालते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the hon. Minister through you as to whether the destruction to railways and railway property is due to the agitation or there is C. I. A's hand in it as has been stated in official statements ? If so, how many C.I.A. Agents have been arrested by the railway administration ?

Secondly, Railway employees like T.Ts. and Guard etc. are also subjected to attack. Very small compensation is given to them for the loss as a result of attack. Is Government going for making proper arrangements for the protection of these railway employees so that they are not subjected to attack? The hon. Minister has stated that they propose to extend the period of punishment. When this proposal is likely to be finalised?

श्री टी० ए० पाई : मेरा विचार इसे इस सत्र के अन्त तक सदन में लाने का है, जब मैं अपेक्षित अधिकार प्राप्त करूंगा । जो भी इस प्रकार के विध्वंसक कार्य करेगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have you arrested C.I.A. agents? Has the C.I.A.'s hand been found behind such acts of destruction? Have Government investigated this matter? If so, how many persons have been arrested?

My second question was that there is no such arrangement for the protection of railway employees while in operation from attacks during agitations. Very small compensation is given to the affected railway employees. Is Government going to enhance the amount of compensation?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है ।

श्री टी० ए० पाई : रेलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना हमारी प्रमुख और सबसे पहली जिम्मेदारी है । रेलवे की सम्पत्ति और रेल की पटड़ियों तथा रेल कर्मचारियों की सुरक्षा की जायेगी। हम हर सम्भव उपाय करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Government have stated in its statements that wherever acts of destruction are committed, there is definitely C.I.A.'s hand behind all these. I want to know from the Government whether the hand of C.I.A.'s agents have been found in the acts of destruction to railway property? Has railway administration try to make efforts to arrest those C.I.A. agents? The hon. Minister must give his reply either 'yes' or 'no'.

Mr. Speaker : He has given his reply. This question does not arise out of the main question. There may be a reference to this, but if the hon. member wants detailed reply he may put a separate question.

Shri Hukam Chand Kachwai : The matter of putting separate question does not arise.

Mr. Speaker : Please do not argue.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government has issued statements that all the sabotage avtivities in the country are being conducted by the C.I.A. What steps have been taken by the Government to arrest them? Are these people responsible for sabotage activities in railways? If so, how many C.I.A. agents have so far been arrested by the Government? If not, the hon. Minister may deny clearly.

Mr. Speaker : I have already said that this is beyond its scope. (*Interruption*).

Shri Hukam Chand Kachwai : I want your ruling. (*Interruption*).

Mr. Speaker : How can you ask a question which do not arise out of it?

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether C.I.A. agents are involved in the sabotage activities in railways? (*Interruptions*).

Shri Jagannathrao Joshi: The minister should reply in yes or no. ((*Interruptions*). to haves and have-nots. (*Interruption*).

Shri Piloo Mody: Why C.I.A. was not required when a reference was made

श्री पीलू मोदी : इस प्रकार का कोई भी आधार नहीं है जिससे आप इस प्रश्न को अस्वीकार कर सकें ।

Mr. Speaker: I will admit a separate notice in case you want specific information about the number of persons arrested.

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, in railways....

Mr. Speaker: I will not allow. It will be very difficult if you continue to disturb the house in this way.

Shri Hukam Chand Kachwai: Government should give the reply. This question arise out of it. There were sabotage activities in the railway. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है । बैठने सम्बन्धि मेरे अनुरोध करने के बावजुद भी माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं। मैं इसे अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं कह चुका हूं कि इन्हें पृथक् सूचना देनी चाहिए।

श्री ए० पी० शर्मा : रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे में इस प्रकार के काम करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए वे भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 का संशोधन करने का विचार कर रहे हैं। लोगों के इस प्रकार के आन्दोलनों द्वारा क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशनों की मरम्मत करने के लिए उन्होंने संसद से सहायता का अनुरोध किया है। अधिनियम का संशोधन करते हुए क्या वे इस प्रकार के काम करने वाले क्षेत्रों तथा लोगों पर कड़ा दंड लगाने का विचार करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : सुझाव पर विचार किया जायेगा और यदि संसद इसे स्वीकार करे तो मैं निश्चय ही इसका समर्थन करूंगा ।

एक माननीय सदस्य : संसद इसे स्वीकार नहीं करेगी ।

श्री ए० पी० शर्मा: ये इसे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन ये राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करना स्वीकार करेंगे ?

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : गरीब लोग इसके लिये किस प्रकार जम्मेदार

श्री ए० पी० शर्मा : मैं उनके बारे में बोल रहा था जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

Mr. Speaker: What is the utility of such talks, as a result of which House is disturbed. Why are you disturbing, being a senior member. One question could be asked during this time.

श्री ए० पी० शर्मा : ये चाहते हैं कि इस प्रकार के काम करने वालों को छूट दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वे एक ही अनुपूरक प्रश्न को दो बार न पूछें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि सूचि में दिये गये सात राज्यों में कांग्रेस दल शासन चला रहा है और क्या यह भी सच है कि कई मामलों में इसका कारण कांग्रेस

दल के सदस्यों का आपसी द्वेष और कलह है? मेरे पास प्रमाण है और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए और प्रश्न को टालना नहीं चाहिये।

श्री टी० ए० पाई : एसा सरकार के विरोधी कहते हैं या समर्थक, मुझे ऐसे निष्कर्षों के कोई आधार नज़र नहीं आते हैं ...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने "सरकार के विरोधी" नहीं कहा। मैंने कहा है कि इसका कारण सरकार के अन्दर सत्तारुढ़ दल की गुटबन्दी ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं एक अनपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह श्री दीनेन भट्टाचार्य के अनुपूरक प्रश्न से संतुष्ट नहीं है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन दल तो एक ही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है; अपितु उसे टाल दिया।

श्री विश्वनाथ राय : विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के वीनाशकारी आन्दोलनों द्वारा रेलवे प्रशासन की कार्यकुशलता में कितनी हानि हुई?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में जानकारी विवरण में दे दी गयी है। प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त लोगों को काफी मात्रा में अप्रत्यक्ष हानि भी हुई है। हमें संकटकाल में गाड़ियों रद्द करने तथा अनिवार्य वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है और इस प्रकार समाज को हुई हानि यहां की गयी हानि से भी अधिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विवरण से ज्ञात होता है कि उत्तर रेलवे को सबसे अधिक हानि हुई है जिसका अर्थ यह है कि पंजाब के विद्यार्थी आन्दोलन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और मेरे विचार में उनके मन में यही बात है। प्रधानमंत्री ने विशेषरूप से पंजाब के विद्यार्थी आन्दोलन और आसाम के भाषायी दंगों का ज़िक्र करते हुए कल बताया है कि सरकार को भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों की पूरी सूचना है। उस सम्बन्ध में क्या मैं मख्यमंत्री से पूछ सकता हूं ...

एक माननीय सदस्य : ये मुख्य मंत्री नहीं, रेल मंत्री है। ये इनकी पदावनति क्यो कर रहे हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इनकी पदावनति नहीं कर रहा हूं। क्या रेल मंत्री बतायेंगे कि क्या प्रधानमंत्री सचिवालय ने उन्हें इस सम्बन्ध में चेतावनी दी थी और, यदि हां, तो चेतावनी क्या थी और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाय गये हैं?

श्री टी० ए० पाई : हमें इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं मिली है। हमें हानि का पता इसे सहने के बाद ही लगता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने मेरे प्रश्न को नही समझा है। मैं कह चुका हूं कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार को इस नाश और आन्दोलन की पूर्व सूचना थी। क्या रेलवे को पहले चेतावनी दी गयी थी और यदि हां, तो इन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

अध्यक्ष महोदय : ये 'नहीं' कहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास समाचार पत्र की कतरन पड़ी है । प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : ये 'नहीं' कहते हैं ।

श्री पीलु मोदी : प्रधान मंत्री केवल समाचारपत्रों को सूचित करना चाहती है, वे मंत्रालयों तथा सरकार को सूचित करना नहीं चाहती हैं ।

गुजरात में धुवारन तापीय विद्युत् केन्द्र का बन्द किया जाना

*25. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या धुवारन तापीय विद्युत केन्द्र में, जिसमें सितम्बर, 1972 में ही उत्पादन आरम्भ हुआ था, 140 मेगावाट के यूनिट के बन्द हो जाने से गुजरात राज्य में बिजली का भारी संकट पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त यूनिट के बन्द होने के क्या कारण हैं? और उक्त यूनिट के कब तक पुनः कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इससे गुजरात में 15 प्रतिशत बिजली की कटौती करना आवश्यक हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) धुवरन तापीय विद्युत केन्द्र में 140 मैगावाट के दूसरे यूनिट में खराबी आ गई है । तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत कीं उपलब्धता में कमी होने के कारण राज्य में हुई कमी को पूरा करने के लिए धुवरन-दो यूनिट से सहायता न मिलने के कारण अधिकतम मांग पर 15 प्रतिशत तक की रोक तथा कृषि भारी के दैनिक कार्य-घण्टों की संख्या 24 से घटा कर 20 तक सीमित करनी पडी ।

(ख) स्टीम चेस्ट से स्टोम वाल्व तक जाने वाली स्टीम पाइप में चटक आने के कारण द्वितीय 140 मैगावाट यूनिट को 9 अक्तूबर, 1972 को बन्द करना पड़ा ।

(ग) बदलने के लिए विदेश से मंगवाए गए आवश्यक पाइप स्थल पर प्राप्त हो गये हैं और दिसम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह तक आवश्यक मरम्मत कार्य के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री प्रभुदास पटेल : क्या यह सच है कि आज कल जिन राज्यों को बिजली की कमी से क्षति हो रही है, वहां औद्योगिक और कृषि उत्पादन को भी बहुत क्षति हुई है । अतः कृषि और उद्योग के लिए पर्याप्त बिजली कब तक मिलेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : जैसे कि उत्तर में बताया गया है, दिसम्बर के पहले सप्ताह तक इस खराबी को ठीक किये जाने की सम्भावना है । हमें आशा है कि उस के बाद इस राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं आयेगी ।

श्री के० एस० चावड़ा : आजकल तारापुर विद्युत केन्द्र के I तथा II दोनों एकक काम नहीं कर रहे। इन्हें कब तक चालू किया जायेगा ?

डॉ० के० एल० राव : ये अंशत: काम कर रहे हैं। ये 400 मैगावाट के स्थान पर 150 मैगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इन एककों का काम धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है और आशा है कि अगले वर्ष जून तक ये पूरे हो जायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : गुजरात में वर्तमान बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या यह सम्भव नहीं है कि दूर के कोयला क्षेत्रों से वहां के लिए अच्छे किस्म का कोयला भेजा जाये जबकि वहां बिजली पैदा करने के लिये तापीय बिजली केन्द्रों में घटिया किस्म के कोयले का उपयोग किया जाता है ? क्या यह भी उचित नहीं है कि विभिन्न बिजली प्रणालियों को एक राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली द्वारा जोड़ा जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

डॉ० के० एल० राव : गुजरात की स्थिति इतनी कठिन नहीं हैं। हाल ही में 140 मैगावाट बिजली पैदा करने वाले एक बड़े एकक के पाइप टूटने के कारण खराबी पैदा हुई है। स्टीम चैस्ट से स्टीम वाल्व जाने वाली स्टीम पाइप में भारी खराबी थी। हमने हवाई जहाज़ द्वारा पुर्जे का अमरीका से आयात किया है और उसे अब फिट किया जा रहा है। मुझे आशा है कि अगले पन्द्रह दिनों में यह चालू हो जायेगा और तब वर्तमान लोड के कारण गुजरात में बिजली की कमी का कोई प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री सोमचंद सोलंकी : बिजली की कमी तथा बीच बीच में रुकने के कारण कपड़ा कारखानों के राज्य के मज़दूरों को बहुत हानि हो रही है जिसके फलस्वरूप श्रम मंत्री ने दाहिने हाथ से 8.33 प्रतिशत अधिक जो बोनस दिया है उसे बायें हाथ से वापस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मज़दूरों को राहत देने का सरकार का क्या विचार है ? मज़दूरी की हानि के रूप में बीच बीच में मज़दूरों को प्रति सप्ताह 30-32 रुपये की हानि हो रही है। मज़दूरों की इस हानि का मुआवज़ा देने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

डॉ० के० एल० राव : मैं कह चुका हूं कि कमी अस्थायी है। मुझे आशा है कि अगले 2 अथवा 3 सप्ताहों में स्थिति में सुधार हो जायेगा और बिजली की सामान्य सप्लाई पुनः शुरू हो जायगी।

दुर्गापुर स्थित उर्वरक कारखाने की लागत में वृद्धि

*26. **श्री अचल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में फर्टिलाइजर प्लांट (दुर्गापुर) कास्ट गोज अप वाई 10 करोड़' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख): वर्तमान अनुमानों के अनुसार दुर्गापुर उर्वरक प्रायोजना की लागत मूल लागत अनुमान की अपेक्षा लगभग 18 करोड़ अधिक हो गयी है। इस प्रायोजना के लागत में वृद्धि का मुख्य कारण है प्रायोजना के पूर्ण होने में विलम्ब तथा कुछ अतिरिक्त

व्यवस्थाएं हैं जिन्हें मूल लागत अनुमान में सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु बाद में उन्हें आवश्यक समझा गया ।

Shri Achal Singh: Is not it a fact that the plant which was to be completed by the end of 1970 has not been completed so far. This has led to a loss of Rs. 45 crores, who is responsible for this and why has it happened?

श्री एच० आर० गोखले : इसे 1970 में नहीं 1969 में ही पूरा होना चाहिए था। निसंदेह और दुर्भाग्य से संयंत्र के चालू करने में बहुत विलम्ब हुआ है, यद्यपि परियोजना का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया है और संयंत्र चालू हो चुका है। मैंने अपने मूल उत्तर में दो कारण बताए हैं। विलम्ब का एक कारण तो था इसके प्रारम्भ करने में देरी होना। भारत में बनने वाली मशीनरी के कुछ हिस्सों में मुख्य रुप से देरी हुई । 'सोलुशनरी रि-बायलर्स' और "कास्ट प्री-हीटर्स" इत्यादि मशीनरी के निर्माण में बहुत देरी हुई। संयंत्र का डिज़ाइन बहुत पहले कई वर्ष पूर्व तैयार हुआ था और मैं समझता हूं कि इस संयंत्र की परियोजना आत्म-निर्भरता अर्थात् सभी वस्तुओं के भारत में निर्मित करने के आधार पर तयार की गई थी। इसलिए इसमें देरी हुई। यह एक कारण हैं।

कई बार मज़दूरों की समस्या के कारण भी विलम्ब हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं कि परियोजना का निर्माण हो जाने पर भी यह 1971 में पूरी हुई। काफी समय संयंत्र को चालू करने में लग गया और मैं कह सकता हूं कि संयंत्र के चालू करने में निसंदेह रुप से विलम्ब हुआ है। उसमें भी कई कारणों से कठिनाइयां पैदा हुई है। एक तो यह थी कि संयंत्र में पर्यवेक्षण करने वाले विदेशी विशेषज्ञ 1961 में आपत्त स्थिति में परियोजना छोड़ कर चले गये थे और और मार्च 1972 में पुनः वापस आये । दूसरे शीघ्र कार्य करने वाली इटली की मशीन में दोष पैदा हो गये थे। उसमें बहुत अधिक टूट-फूट हो गई थी। उस फर्म द्वारा अब मरम्मतें करदी गई हैं और वे कुछ दोषपूर्ण मशीनों को बदलने को सहमत हो गये हैं। परियोजना के निर्माण तथा बाद में उसके चालू किये जाने में विलम्ब के ये ही मुख्य कारण हैं ।

Shri Achal Singh: Is it a fact that the company which was entrusted with this job proved to be unworthy of the task. At the same time, the Directors took their shares and this difficulty arose.

श्री एच० आर० गोखले : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इटली की फर्म, "थर्मो मेकेनिका" का उल्लेख कर रहे हैं, जिनके द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी फेल हो गई थी जिसमें कि काम में रुकावट आई, जैसा कि मैंने पहले बताया। वह अब मरम्मत कर रहे हैं और मशीनों को बदल भी रहे हैं। इस कम्पनी का चयन 1966-67 में किया गया था। उस समय उस के चयन के लिये विशेष रूप से दो कारण थे। एक तो यह कि यह ऐसी मशीनरी के प्रसिद्ध निर्माता थे। दूसरे उस समय ऋण की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसलिए उन्हें कार्य सौंपा गया था। परन्तु दुर्भाग्य से ...

एक माननीय सदस्य : फर्म का नाम क्या है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने बताया इटली की "थर्मो मेकेनिका" और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका ही उल्लेख कर रहे हैं उनके द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी में खराबी आई। मने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन कारणों से विलम्ब हुआ है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या यह सच है हानि होने के कारण मूल्य बढ़ाया गया और हानि उपभोक्ताओं पर डाल दी गई। सरकार का ऐसा करने का क्या औचित्य है? क्या इस कम्पनी को हुई हानियों के कारण उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कृषकों को हानि उठानी पड़ेगी ?

श्री एच० आर० गोखले : इसमें कोई संदेह नहीं कि देरी के कारण परियोजना की लागत 17 करोड़ रुपए बढ़ी है न कि 10 करोड़ रुपए जसा कि प्रश्न में पूछा गया है और परियोजना की कार्यान्विति में मेरे द्वारा उल्लेख किये कारणों से विलम्ब हुआ है अथवा बाधा पड़ी है। इसलिये विभागीय खर्चों में वृद्धि हुई है जिस से लागत में लगभग 615 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जब विलम्ब होता है तो मल्यों में वृद्धि होती है। मशीनों के कुछ पुर्जों के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए था जो उस समय नहीं सोचा गया अपितु बाद में सोचा गया जिससे कि लागत में वृद्धि हुई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैंने मंत्री महोदय को ठीक समझा है तो उन्होंने, कहा है कि जो विदेशी तकनीशियन कार्य के पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी थे, वे 1961 में आपत्ति काल में देश छोड़ गय थ और वापस नहीं आए थे।

श्री एच० आर० गोखले : 1960 में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 1971 में ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं सही आंकड़े आपको बताऊंगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि वे कब गय तथा कब लौटे। विदेशी विशेषज्ञ दिसम्बर, 1971 में, जबकि, राष्ट्रीय आपत्काल की घोंषणा की गई की देश छोड़ कर चले गये। वे विशेषज्ञ फरवरी मार्च, 1972 में वापस आ गये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तकनीशियन भी इटली की फर्म में अथवा किसी अन्य फर्म के थे। वे किस देश के थे और आपत्त काल में क्यों चले गय थ ?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे पता नहीं है, दो और विदेशी फर्म हैं जिनका इस परियोजना से संबन्ध है, व हमें प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं और वे ठेकदारों के रूप में कार्य करती हैं। जो व्यक्ति देश छोड़ कर गय ये उनके बारे में जानकारी मैं सभा पटल पर रखूंगा।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई बन्द किया जाना

*27. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सप्लाई करने वालों ने दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई बंद कर दी थी जिसके फलस्वरूप दिल्ली में बिजली की कमी हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : प्राइवेट कोयला सम्भरकों ने दिल्ली विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई कम कर दी थी, किन्तु इसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा पूरा कर दिया गया था। दिल्ली में विद्युत उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडा था।

कोयला सम्भरकों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अपने करारों में लगाई गई शर्तों और दण्ड धारा के प्रति शिकायत है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि राष्ट्रीय कोयला निगम और भारत कोकिंग कोल से आश्वासन के बावजूद कोयला निर्बाध रूप से क्यों नहीं आता रहा ?

सिंचाई और विदयुत् मंत्री (डॉ० के० एल० राव): जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, कोयला गैर सरकारी खानों एवं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से मिलता है। इस समय एक तिहाई निजी खानों से और दो तिहाई सरकारी संघठनों से मिलता है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कठोर शर्तों के कारण कोयले की सप्लाई बन्द हो गई। इस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उक्त कठोर शर्तें क्या हैं और सरकार उन्हें कैसे हटाना चाहती है जिससे कि वे विक्रताओं को मान्य हो सके।

डॉ० क० एल० राव : हम उन्हें कठिन शर्तें नहीं कहते है। कोयले के व्यापारियों ने एक अभ्यावेदन उप-राज्यपाल को दिया था; उन्होंनें मुझे नहीं बताया कि 'डेसू' द्वारा रखी शर्तें कुछ कठोर हैं, यदि उसमें उचित गीलापन और ऐश की मात्रा नहीं है तो जुर्माना लगाये जाने की व्यवस्था है; करार में एसी धाराएं हैं, उन्होंने बताया है कि लगाये गये जुर्माने बहुत ज्यादा हैं और उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। उप-राज्यपाल इस पर ध्यान दे रहे हैं। इससे अधिक इस बारे में मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री दामोदर पांडे : क्या कारण हैं कि 'डेस' की सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों यथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल से सीधे कोयला नहीं मिलता है जबकि उनके पास फालतू माल है और वे इसकी सप्लाई करने की स्थिति में हैं।

डॉ० क० एल० राव : जैसा कि मैंने बताया है कि दो तिहाई से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों से सप्लाई किया जाता है। गैरसरकारी कोयला खानें पिछले कई वर्षों से कोयला सप्लाई करते रहें हैं और अब उन्हें इस बारे में तुरन्त ही एकदम अलग करना उचित नहीं है। विशेष रुपसे जब कि शर्त अनुकूल है, तब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मुझे ठीक से नहीं पता, परन्तु मामला 'डेसू' और उप-राज्यपाल के पास है।

श्री दामोदर पांडे : क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल से 'डेसू' को कोयला गैरसरकारी व्यापारियों बियौलियों द्वारा सप्लाई किया जाता है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना मत खडे हों।

डॉ० के० एल० राव : कोयला किसी अन्य एजेंसी द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है, अपितु उनके द्वारा सीधे सप्लाई किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय भी वैसा ही कर रहें हैं?

केरल में नदी घाटी परियोजना

*28. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **सिंचाई और विद्यत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971 तथा 1972 में जो नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं उनके लिए मंजूरी दे दी गयी है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुशवाह) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : सिंचाई एक राज्य विषय है। सिंचाई की कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम नहीं है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान तथा निर्माण राज्य सरकार द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में इकमुश्त दी जाती है और यह विकास अथवा परियोजना के किसी एक शीर्ष से जुडी नहीं होती।

केरल सरकार ने 1971 और 1972 के दौरान अपनी विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित नई सिंचाई परि योजनाओं का प्रस्ताव किया है:—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (लाख एकडों में)
बृहत		
वाणसुखसागर	1137.10	0.59
तिरुनेल्ली	650	0.22
केरल भवानी (टेल रेस समुपयोजन) . .	805.00	0.80
मध्यम		
कारापुज्जा सिंचाई . . .	389.00	0.23
अटाप्पाडी सिंचाई परियोजना .	476.00	0.153
नूलापूज्जा .	290.00	0.21
मन्जात	318.00	0.12
थेनडार	299.00	0.15

केरल भवानी स्कीम और कारापुज्जा सिंचाई स्कीम की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है। अन्य परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिलट घाटी परियोजना जो कि नदी घाटी परियोजना तथा विद्युतजनन परियोजना है। 1961 में ही प्रस्तुत कर दी गई थी और इस बात को देखते हूए कि कुट्टीयादी परियोजना के पूरा हो चुकी है

तथा हडी वर्की आर्क बांध तैयार किया जा रहा है। क्या सभी मशीनों तथा अतिरिक्त माल का सिलेंट परियोजना के लिये उपयोग किया जा सकता है; क्या सरकार सिलेंट घाटी परियोजना को तुरन्त तकनीकी सहायता की मंजूरी देगी?

डॉ० के० एल० राव : सिलेंट घाटी परियोजना एक विद्युत परियोजना है। इस पर तकनीकी परामर्शदातृ समिति ने विचार कर लिया है और इसकी स्वीकृति दे दी गई है। इस पर योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है और मुझे आशा है कि स्वीकृति शीघ्र मिल जायेगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : साबरीगिरि मालम पुझा और नेरियामंगलम परियोजनाओं के अतिरिक्त जो कि पहले प्रस्तुत कर दी गई हैं 10 और परियोजनाएं हैं जो 1971-72 में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई है क्या उनमे से कुछ योजनाएं निकट भविष्य में स्वीकार कर ली जाएंगी और यदि हां, तो वह ऐसी कौनसी योजनाएं हैं।

डॉ० के० एल० राव : जिन परियोजनाओंका उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया है वे सभी विचाराधीन हैं। केरल और मैसूर के बारे में मुख्य कठिनाई यह है कि कई परियोजनाएं हाल में ले ली गई है और पांचवी योजना अवधि में 75 करोड रुपये इस पर व्यय होगे। जबकि पूरी चौथी योजना में सिंचाई परियोजनाओं के लिये व्यवस्था 25 करोड रुपए ही है। उनके द्वारा बहुत सी योजनाओं हाल में ली गई हैं जोकि निःसंदेह रूप अच्छी बात है, परन्तु साधनों की दृष्टि से सोचना पडता है कि उन्हें कैसे शीघ्र पूरा किया जाय। इससे भी कई नई परियोजनाएं केरल सरकार ने प्रस्तुत की हैं। प्रश्न तो साधनों का है। उनमें से एक परियोजना एडमानियर परियोजना है जो कि बहुद्देश्यीय परियोजना है, को प्राथमिकता दे कर जांने के पश्चात मंजूरी दी जायगी।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : देश में बिजली की अत्यन्त कमी को देखते हुए क्या सरकार केरल को अधिक बिजली के उत्पादन तथा उसे साझे ग्रिड में दे सकने के लिये पर्याप्त धन देगी? क्या केरल सरकार द्वारा सिंचाई की परियोजनाओं के समेत योजनाएं इसी वर्ष स्वीकार करली जाएंगी?

डॉ० के० एल० राव : आज भी इस राज्य में फालतू बिजली है और उसे तमिलनाडु को देता रहा है। म समझता हूं कि इस वर्ष भी उत्तर-पूर्व मान्सून आने के बाद भी केरल तमिलनाडु को जनवरी से अधिक बिजली दे सकेगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जबकि केरल के पास फालतू पन बिजली है हमें उसे बिजली परियोजनाओं का पूरा करने के लिए सहायता देनी चाहिए। जो कि दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की वृद्धि करेंगी।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : मेरा प्रश्न नई परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में है।

डॉ० के० एल० राव : जैसा कि मैने पहले बताया है नई योजनाओं के स्वीकृत किये जाने की कम संभावना है क्योंकि वर्तमान परियोजनाओं का भी काम रुका पडा है। इसलिये नये अधिक काम नहीं लिये जाने चाहिए।

श्री नवल किशोर सिंह : केन्द्र समर्चित सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिये क्या कसौटी है?

डॉ० के० एल० राव : जिस परियोजना से एक से अधिक राज्य का संबन्ध होता है उसे केन्द्र समर्तित परियोजना के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार जहां बिजली उत्पादन की आवश्यकता होती हैं और ऐसे स्थान पर जैसे मनीपुर त्रिपुरा जहां कि परियोजनाएं छोटी होती है और क्षेत्र बहुत दूर होते है हम केन्द्रीय परियोजनाएं चालू करते है। पांचवी योजना के लिये ऐसी योजनाओं के लिये सामान्य नीति तैयार की जा रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग संबंधी मालवीय समिति का प्रतिवेदन

*29. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संबंध में मालवीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ख) समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार मालविया समिति की रिपोर्ट पर बहुत ध्यान पूर्वक विचार कर रही है और निकट भविष्य में उस पर अपने विचार व्यक्त करने की आशा रखती है । किन्तु सरकारी उपक्रमों की समिति के निदेशों के अनुसार ये पश्चादुक्त को पेश की जायेंगी ताकि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों एवं उस पर सरकार द्वारा व्यक्त किये गए विचारों पर वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें । अत: इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय, सरकारी उपक्रमों की समिति के टीका-टिप्पणियों के बाद ही लिया जायगा।

(ख) जब मालवीय समिति की स्थापना की गई थी, तो उस समय सरकारी उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष ने एक संसदीय प्रथा की और ध्यान दिलाते हुए पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को लिखा था कि मालवीय समिति की रिपोर्ट सी पी यू (सरकारी उपक्रमों की समिति) के विचारार्थ उपलब्ध कराई जाए तथा सी पी यू के पूर्व परामर्श के इस प्रकाशित नहीं कराया जाए । इस बात की सी पी यू अथवा लोकसभा सचिवालय से प्राप्त पत्राचारों में पुनरावृत्ति भी की गई थी। इसके पश्चात सी पी यू के चैयरमैन द्वारा अनुमति दी गई थी कि प्रेस में रिपोर्ट का प्रमाणीकृत सारांश प्रकाशित किया जाए तथा तदनुसार 19 जुलाई 1972 को ऐसा किया गया था।

तब से सरकारी उपक्रमों की समिति ने इस विषय पर पुन: विचार किया तथा सी पी यू के अध्यक्ष से 31 अक्तूबर, 1972 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अन्य वार्तों के साथ साथ इस का उल्लेख किया गया था कि समिति को इस रिपोर्ट के सभा पटल पर रख जाने पर कोई आपत्ति नही है । सरकार ने रिपोर्ट की पर्याप्त प्रतियों को छपवाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है और यह आशा है कि सभा पटल पर रखने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रतियां शीघ्र उपलब्ध होंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने मालवीय समिति की प्रतिवेदन के एक भाग की अस्वीकृत कर दिया था । क्या यह भी सच है कि इस भाग में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के कार्यों की आलोचना की गई थी? क्या यह सच नहीं है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा पट्रोलियम मंत्रालय के उन अधिकारियों जिनका विदेशी निहित स्वार्थों के साथ गठ बन्धन है, द्वारा की गई नौकरशाही धाधले बाजी के कारण करोडों रुपये की विदेशी मुद्रा बरबाद की गई है। सरकार पूरा प्रतिवेदन सभापटल पर कब रखेगी?

श्री एच० आर० गोखले : यह सच नहीं है कि मंत्रालय ने मालवीय समिति के प्रतिवेदन के किसी भाग को अस्वीकृत किया है। सारा मामला विचाराधीन है और जांच की जा रही है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विदेशी निहित स्वार्थ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य करने वाले अधिकारियों को रुपया देकर पेट्रोलियम के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता के

हमारे उद्येश्य को धराशाही कर रहे हैं और इस प्रकार देश को तेल का उत्पादन करने वाले दूसरे देशों पर अधिकाधिक आश्रित बना रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयीकरण करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां कैसे उठ खडा हुआ ? इसका मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला सदन में आए तो आप कुछ भी कह सकते हैं।

श्री भानसिंह भौरा : में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मालवीय समिति ने इन तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की भी सिफारिश की है, और यदि हां, तो उस सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० आर० गोखले : राष्ट्रीयीकरण का मामला मालवीय समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित नही है, मालवीय समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : यह यहां बैठे हैं। आप स्वयं श्री मालवीय जी को पूछ सकते हैं

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में 'साइलेंट वैली' परियोजना

***23. श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की 'साइलेंट वैलों' परियोजना मंजूरी के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी मंजुरी दे दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो शीघ्र मंजूरी देन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : परियोजना, विद्युत सलाहकार समिति के सम्मुख 12 अक्तुबर 1972 को हुई इसकी बैठक में रखी गई थी और इस कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कर लिया गया है । योजना आयोग द्वारा इसे शीघ्र ही औपचारिक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है ।

मेसर्स फाइजर इंडिया लिमिटेड की विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धी और उनके द्वारा स्वदेश भेजा गया धन

***30. श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री मैसर्स फाइजर इंडिया की विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि और उनके द्वारा स्वदेशी भजे गये धन के बार में 1 सितंबर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : मैसर्स फाइजर इन्डिया लि० जो पहले मैसर्स डूमेस प्राईवेट लि० के नाम से जानी जाती थी, की प्रारंभ में शेयर पूंजी 5 लाख रुपये पूरी तरह इक्विटी में ईस्ट एशियाटिक कम्पनी लि० कापेनहेगन डनमार्क की पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी ईस्ट एशियाटिक कम्पनी लि० के हाथ में थी। 1960 में डनमार्क कम्पनी की सारी पूंजी पनामा के मसर्स फाईजर कारपोरेशन के लिय जाने पर यह पूर्ण रूप से (100 प्रतिशत) उसी कारपोरेशन की सहायक कम्पनी बन गई । अक्तुबर/नवम्बर 1965 से मैसर्स फाइजर लि० एक पब्लिक लिमिटड कंपनीके रूप में काम कर रह है। 10-12-1970 को मेसर्स फाईजर इंन्डिया लि० की प्रदल पूंजी 3,98, 64, 200 रुपये थी जो प्रत्यक दस दस रुपये के ईक्विटी शयरों से बनी थी । इस में से 300 लाख रुपये नियन्त्रिक अमरीकन कम्पनी के पास थे । मार्च 1972 में मैसर्स फाईजर इन्डिया का प्रत्येक 5 इक्विटी शेयरों के पीछे पीछे बोनस शेयरों के हिसाब से 159,45,680 रुपये की बोनस अनुमति दी गई थी । यदि इस अनुमति को भी हिसाब में लिया जायें तो कम्पनी की वर्तमान विदेशी एक्विटी, 558 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी की तुलना में 420.03 लाख रुपये होगी। विदेशी ईक्विटी प्रदत्त पूंजी को 75 प्रतिशत भाग है। विदेशी ईक्विटी की रचना का विवरण नीचे दिया हुआ है :-

(i)	1950 में प्रारंभिक पूंजी (शायद नकद अदायगी द्वारा)	—	5.00 लाख रु०
(ii)	1950-67 के बीच दी गई अनुमति के अनुसार नकद अदायगी द्वारा बनी पूंजी	—	195.30 लाख रु०
(iii)	1968 में कम्पनी के आरक्षण के पूंजी-करण पर जारी किये गये बोनस शेयरों द्वारा बनी पूंजी	—	99.72 लाख रु०
(iv)	1972 में कम्पनी के आरक्षण के पूंजी-करण पर जारी किये गये बोनस शेयरों द्वारा बनी पूंजी	—	120.01 लाख रु०
			420.03 लाख रु०

मैसर्स फाईजर लि० द्वारा लाभांश की बाहर भेजी गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि (रु0)
1959	5,88,000
1960	8,19,000
1961	28,43,750
1962	41,86,000
1963	28,12,500
1964	33,18,750
1965	26,43,750
1966	32,18,250

वर्ष	धनराशि (रु०)
1967	39,65,690
1968	47,10,352
1969	60,40,170
1970	63,12,975
1971	68,28,450

टेकनीकल जानकारी आदि के कारण कोई धन राशि कम्पनी द्वारा बाहर नही भेजी गई है।

Complaint against Chief Signal and Tele-Communication Engineer, Gorakhpur (North Eastern Railway)

*31. **Shri Phool Chand Verma :**
Dr. Laxminarain Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some written complaints supported by facts have been received against the Chief Signal and Tele-communication Engineer, North Eastern Railway, Gorakhpur ;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the outcome of the inquiry made in this regard; names and designations of the persons found guilty and the action taken against them ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) & (b). No written complaint against the present Chief Signal and Tele-communication Engineer, North Eastern Railway, has been received. However, in May, 1972, an unsigned complaint, containing some allegations against the Chief Signal & Tele-communication Engineer, was received. The allegations were :

(i) that the officer visited Raxaul/Beerganj (in Nepal) to purchase third country goods from there.

(ii) that he took one bed from the office to his house for personal use ;

(iii) that he uses railway bicycle meant for his peon;

(iv) that he draws and uses a large number of torch cells for personal benefit; and

(v) that he laid water pipes in his bungalow irregularly.

(c) Railways verified the allegations and obtained Officer's remarks. Of the 5 allegations made against the officer, 3 remained unsubstantiated. Officer has admitted having removed the bed and using the peon's cycle. The case is before the Central Vigilance Commission for advice. The Commission's advice is awaited.

भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक द्वारा ट्राम्बे यूनिट के तत्कालीन महाप्रबंधक और उत्पादन और विपणन विभाग के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध मैथेनोल बेचे जाने के बारे में प्रतिवेदन

*32. **श्री चंद्र शैलानी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा ट्राम्बे यूनिट के तत्कालीन महाप्रबंधक और उत्पादन और विपणन विभाग के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध मैथेनोल बेचे जाने के बारे में सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार का बिचार इस संबंध में जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की रिपोर्ट में मैथानोल के विक्रय से संबंधित कुछ सौदों के बारे में ट्राम्बे यूनिट के भूतपूर्व महा प्रबंधक के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोप सम्मिलित थे। रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भजी गई है, जिनसे अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है ।

बिहार द्वारा तिल्लया तथा कोनार बांधों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग

*33. **श्री भोला माझी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए तिल्लया तथा कोनार बांधों के पानी का उपयोग करने का बिहार सरकार का विचार है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी अपने राज्य में कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इन नदियों के पानी की आवश्यकता है ।

(ग) इस मामले पर हाल ही में नई दिल्ली में 11 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया था । दोनों मुख्य मंत्रियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन विभिन्न मामलों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों का एक संयुक्त दल स्थापित किया जाए जिनके बारे में उनमें मतभेद हैं । इस दल की रिपोर्ट की रोशनी में इस मामले पर और विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्री बाद में बैठक करेंगे ।

इस दल की बैठक हो रही है ।

Management of Water Pump Houses at Railway Stations

*34. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the management of all the water Pump Houses at Railway stations is in the hands of private contractors;

(b) whether all the diesel engines installed therein belong to Railways ;

(c) whether only the Engine Operators are the employees of private contractors; and

(d) if so, whether the Railway Administration proposes to take over the complete management of these pump-houses and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) & (b). Almost all pumping installations at railway stations are owned and operated by the Indian Railways. There are only a few pump houses on the Western Railway which are managed by private contractors using their own diesel engines though in one case pump sets have been provided by the Western Railway and operated by the private contractor.

(c) & (d). All the pump house operators are railway employees except in the case of the few pump houses operated by private contractors on Western Railway. It is not proposed to take over the management of pump houses operated by the contractors. Pumping through contract agencies are resorted to for emergency watering stations when it is not required all the year round and also when the quantity pumped per day is small. In such cases it is cheaper to do such work through contractors.

देश में अनुसंधान विकास के परिणामों का वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोग करके विदेशी मुद्रा की बचत करना

*35. **डॉ० हरीप्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तुबर, 1972 के 'इकनोमिक टाइम्स' में "पेट्रोलियम और प्रोडेक्टसरुपीज टेन करोड एक्सचेंज सेविंग पौसिबल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा मई, 1972 में पेट्रोलियम के विशेष उत्पादों के विषय पर आयोजित गोष्टीं में पडे गये भिन्न भिन्न लेखों पर आधारित प्रतीत होती है ।

(ख) सरकारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी (टैक्नोलोजी) और आयातित विदेशी उत्पादों एवं जानकारी के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के तरीकों पर निरंतर विचार करती है । भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भारतीय तेल निगम व देश की अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित जानकारी के वाणिज्यिक उपयोग से विदेशी मुद्रा में बचत हुई है यद्यपि इस बचत की पूरी पूरी मात्रा नहीं बताई जा सकती। इस संबंध में उपयुक्त कच्चे माल की स्वदेशी उपलब्धि प्रमुख समस्या है । इनका देश में उत्पादन बढाया जा रहा है।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधायें

*36. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय जनता को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : रेल मंत्रालय बैंकिंग विभाग और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के परामर्श से बडे स्टेशनों पर सरकारी कारोबार चलाने के लिए प्राधिकृत बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की एक योजना बना रहा है । ये बैंक रेलों का कारोबार चलाने के अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे ।

रेलों में द्वितीय श्रेणी को समाप्त करना

*37. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :**

श्री राम कंवर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों में द्वितीय श्रेणी को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या इससे सरकार की आय में कुछ कमी होगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : भारतीय रेलों से क्रमिक आधार पर दूसरा दर्जा समाप्त करने के लिए प्रशासनिक विनिश्चय किया गया है । शुरू में महत्वपूर्ण गाडियों से दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों को, जिनका उपयोग कम हो रहा है, हटाया जा रहा है । मेल और एक्सप्रेस गाडियों में, जब तक वर्तमान स्टाक उपयोग के योग्य रहेगा, ये डिब्बे चलते रहेंगे ।

(ग) और (घ) : सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए यह सम्भावना नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप यात्री आमदनी में कोई कमी होगी ।

पश्चिम बंगाल में नया तापीय बिजली घर स्थापित किया जाना

*38. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डलखोला, पश्चिम दिनाजपूर में एक नया तापीय बिजलीघर स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) जी, हां । बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों को बिजली देने के लिए केन्द्रीय सैक्टर में उत्तर बंगाल में डलखोला के निकट 240 मैगावाट की क्षमता का एक विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सरकार, डलखोला ताप विद्युत् परियोजना के केन्द्रीय सैक्टर में कार्यान्वयन और भारत सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण प्रचालन तथा अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए, राजी हो गई है । बहरहाल, राज्य सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में इन्जीनियरों की बेरोजगारी के कारण वे यह अच्छा समझेंगे कि केन्द्रीय सरकार तकनीकी व्यक्तियों की भरती पश्चिम बंगाल से करे। राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि विद्युत केन्द्र से विद्युत का आबंटन पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच सम्बद्ध राज्यों की मांग के अनुपात में किया जाए । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की है कि टैरिफ के ब्योरों को उनके साथ सलाह

करके तैयार किया जाना चाहिए । राज्य सरकार इस विद्युत् केन्द्र को डलखोला में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सभी सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गई है । राज्य सरकार इसके लिए भी राजी हो गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में संशोधन करने की स्थिति में, इस विद्युत केन्द्र से पश्चिम बंगाल के बाहर बिजली के उपभोग के लिये बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा । राज्य सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बताए गए तथ्यों पर केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य प्राधिकारियों के साथ सलाह करके, विचार कर रही है ।

बिहार में बागमती नदी पर बांध का निर्माण

*39. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बागमती नदी पर बांध बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना को केन्द्रीय परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) बागमती परियोजना निर्माण की प्रारम्भिक आवस्था में है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के अधीन लगाए गए बिजली पैदा करन क संयंत्र

*40. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के अधीन विभिन्न स्थानों पर लगाए गए बिजली पैदा करने के संयंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन संयंत्रों की सप्लाई करने वालों से यह कहेगी कि इस कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करें और इन्हें बदलें; और

(ग) क्या इन संयंत्रों के ठीक ढंग से काम करने की कोई गारंटी दी गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डॉ० के० एल० राव) : (क) भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड के अधीन विभिन्न जगहों पर प्रतिष्ठापित सभी विद्युत् उत्पादन उपस्कर ठीक तरह से काम कर रहे हैं ।

(ख) (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

कमर्शियल क्लर्कों की संख्या में वृद्धि

201. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री कमर्शियल क्लर्कों की संख्या में वृद्धि के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1253 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जानकारी एकत्रित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) दो विवरण संलग्न है । जो भी परिवर्तन हुए हैं वे बहुत मामूली हैं । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—3654/72 ।]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम-एर्नाकुलम लाइन को बडी लाइन परिवर्तित करना और उसका विद्युतीकरण

202. **श्री बयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम–एर्नाकुलम मीटर गेज लाइन को बडी लाईन में परिवर्तित करने संबंधी निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त लाईन का विद्युतीकरण करने के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है । मिट्टी डालने के काम के लिए टेंडर मांग गय ह । एरणाकुलम कोल्लम और तिरुवनतं-पुरम सेंट्रल पर जंक्शन व्यवस्था सहित पुलों और स्टेशन यार्डों के लिए अभिकल्प और नकशे तैयार किये जा र हैं ।

(ख) और (ग) : इस खंड पर यातायात कम होने और पूंजी निवेश बहुत अधिक होने के कारण इस समय आवश्यक विद्युतीकरण का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग

203. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने में इस वर्ष अक्तूबर मास में फिर से आग लग गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस अग्निकांड के कारणों की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा इस अग्निकांड से कुल कितनी क्षति हुई ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां । 17 अक्तूबर, 1972 को लगभग 9 बजे रात को कोचीन शोधनशाला के कच्चे तेल के टैंकों में से एक में आग लग गई थी।

(ख) और (ग) : कोचीन शोधनशाला के प्राधिकारियों द्वारा की गई तुरंत जांच से प्रतीत होता है कि गम्भीर विद्युत-विस्फोट के दौरान बिजली गिरने और इसके टैंक के साथ टकराने से आग लगी थी। तिरती छत्त तथा टैंक शैल के बीच के बन्द क्षेत्र में दो अपेक्षाकृत छोटे स्थानों तक ही सीमित रही और उसी दिन अर्धरात्री तक बुझा दी गई थी । शोधनशाला के प्राधिकारियों का कहना है कि आग से टैंक को हुई हानि 10,000 रुपये से कम है, कि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी और कि टैंक दूसरे दिन से ही फिर से कार्य में लगा दिया गया था ।

Loss suffered by Indian Railways due to Agitations

204. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the estimate of loss suffered by the Indian Railways since 1st January, 1971 due to the various agitations?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : Rupees 9.23 lakhs approximately.

भारतीय रेलवे के सिगनल इंजीनियरिंग तथा दूरसंचार स्कूल में शिक्षा का माध्यम

205. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के सिकन्दराबाद स्थित सिगनल इंजीनियरिंग तथा दूर-संचार स्कूल में कौन-कौन से विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं और उनकी अवधि कितनी-कितनी है तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित है;

(ख) क्या ऐसे असिस्टेंट सिगनल इन्स्पैक्टरों को जोकि अर्हताप्राप्त है, पेनल में रखे गये है तथा जिन्होंने उत्तर रेलवे में 5 वष से भी अधिक की अपनी सेवा पूरी कर ली है, सिकन्दराबाद स्थित भारतीय रेलवे के सिगनल इंजीनियरिंग तथा दूर-संचार स्कूल में मेन्टेनर्स के छः मास के पदोन्नत्यार्थ पाठ्यक्रम के लिये भेजा जा रहा है और इस प्रकार मेंटेनरों को उनके प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के अवसर से वंचित किया जा रहा है, यदि हां तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी तीन के कर्मचारियों के साथ "मैस" तथा होस्टल, दैनिक भत्ते की अदायगी तथा पुस्तकालय से पुस्तकों की सप्लाई के मामलों में समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3655/72**।]

(ख) आमतौर पर पैनल पर रखे गये और निकट अतीत में सहायक सिगनल निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किये गये अनुरक्षकों को 6 महीने के पदोन्नत पाठ्यक्रम के लिए भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग और दूर संचार स्कूल, सिकन्दराबाद में भेजा जाता है। 1968 से भज गय 33 उम्मीदवारों में से केवल 4 ऐसे थे जिनका सेवाकाल पदोन्नति के बाद इस पाठ्यक्रम के लिए भेजे जाने के समय सहायक सिगनल निरीक्षक के रूप में 5 वर्ष से अधिक था।

(ग) (i) जहां तक मेस व्यवस्था का सम्बन्ध है ट्रेनिंग के लिए भेजे गए अधिकारियों और विभिन्न कोटियों के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत भोजन की व्यवस्था की जाती है ।

(ii) अधिकारियों का होस्टल तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के होस्टल से अलग है।

(iii) प्रशिक्षार्थियों को सम्बद्ध रेलों द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

(iv) पुस्तकालय सभी के लिए है ।

सतपुरा तथा चन्द्रपुर बिजली घरों द्वारा बिजली की सप्लाई

206. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको सतपुरा तथा चन्द्रपुर के प्रस्तावित बिजली-घरों से बिजली सप्लाई की जायेगी; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी बिजली दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : सतपुडा आंध्र चन्द्रपुर (चन्दा) में 2–2 मिलियन किलोवाट के प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बिजली मिलेगी। फालतू बिजली राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य सहवर्ती राज्यों को उपलब्ध की जाएगी । सहवर्ती राज्यों को यह बिजली बराबर-बराबर आबंटित की जाएगी।

नवगांव में ऊँचे बांध के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन

207. **श्री वेकारिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवगांव में ऊंचे बांध के संबंध में खोसला समिति के प्रतिवेदिन को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : नवगांव में उच्च बांध में, जिसका प्रस्ताव गुजरात सरकार ने रखा था और जिसका सुझाव खोसला समिति ने दिया था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्षेत्रों को जलमग्न होना है । जबकि गुजरात और राजस्तान सरकारों ने खोसला समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने कई प्रश्न उठाए । उसके पश्चात एक मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए विभिन्न स्थलों पर संबंधित राज्यों के साथ भिन्न-भिन्न समयों पर विचार-विमर्श किए गए ।

इस बीच गुजरात और राजस्थान को सरकारों ने इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंप देने के लिए अनुरोध किया । नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 6 अक्तूबर, 1969 को निर्मित किया गया था और गुजरात तथा राजस्थान को शिकायतें न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया ।

जुलाई, 1972 में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया और यह कहा कि क्षेत्र एवं राष्ट्र को अधिकतम हितों के लिए नर्मदा के विकास में विलंब नहीं करना चाहिए और इस लिए यह फैसला किया कि

न मतभदों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा तय किया जाए तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच जल के विभाजन संबंधी प्रश्न तथा नवगाम बांध को उंचाई के प्रश्न को प्रधान मंत्री के पास निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए जिसके पश्चात् वे विद्युत् उत्पादन तथा इसके वितरण के लिए प्रबंधों को तय कर लेंगे।

50 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल कम्पनियां

208. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली उन विदेशी ड्रग तथा फार्मास्युटिकल कंपनियों के नाम क्या है जिन्होंनें गत तीन वर्षों में नई वस्तुओं (गैर-भेषज मदों) के निर्माण से अपने उत्पादन में विभिन्नता बरती है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होनें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किये गैर-भेषज मदों का निर्माण शुरू किया है; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस संबंधी उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए सरकार ने क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पज़ल पर तथा शीघ्र रखी जायेगी।

कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति

209. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **रेल** मंत्री कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के बारे में दिनांक 2 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4752 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस एजन्सी के माध्यम से रेल प्रशासन ने इस बात का पता लगाया है कि यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के जो अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से इस समय अध्ययन छूट्टी पर है, उनमें से किसी भी अधिकारी ने प्राईवेट रोजगार खण्ड कालिक या अन्य किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार नहीं किया है;

(ख) दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उनकी अध्ययन छुट्टी के दौरान उनकी जारी किये जाने के लिए रेलवे प्रशासन ने कितनी विदेशी मुद्रा की सिफारिश की औ रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वस्तुतः उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी;

(ग) कनिष्ठ अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति पर विचार करने से पूर्व कनिष्ट वेतनमान में चार वर्ष की सेवा का हिसाब लगाते समय एक वर्ष से अधिक या दो वर्ष की बिना वेतन की छुट्टी की गणना करने या न करने का उल्लेख "संस्थापक मैनुअल" में न करने के बारे में रलव प्रशासन के सामने क्या कठिनाइयां है; और

(घ) मामले का सुदृढ़ आधार पर समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) नियमों में यह व्यवस्था है कि रेल कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार की नौकरी अथवा

रोजगार नहीं करना चाहिए । यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के किसी भी अधिकारी ने जो कि अध्ययन के लिए छट्टी पर विदेश गये हुए है, इस प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया है । यदि नियमों की अवहेलना का कोई भी मामला सरकार के नोटिस में आया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

(ख) रेल प्रशासन ने किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा देने की सिफारिश नहीं की ।

(ग) वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति मात्र चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान के पद को सम्हालने की समग्र उपयुक्तता पर निर्भर करती है । इस सम्बन्ध में स्थापना नियमावली में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं हुई है ।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य

210. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री गत तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों के तथ्य के बारे में 4 अगस्त 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) इसके कब तक सभा पटल पर रख दिये जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में मेसर्स मर्क शार्प एण्ड धूमें आफ इंडिया लि० तथा अन्य फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	फर्म का नाम	1969–70	1970–71	1971–72
		(रु०)	(रु०)	(रु०)
1.	मैसर्स मर्क शार्प एण्ड धूमें आफ इंडिया लि०, बम्बई ।	134,88,724	131,83,983	68,36,126
2.	मैसर्स सेन्डोज (इंडिया) लि०, बम्बई ।	23,00,000	10,65,800	34,12,025
3.	मैसर्स फाइजर लि० बम्बई	18,85,761	19,23,558	24,64,000
4.	मैसर्स जान वेयथ, बंबई	इस पार्टी ने सूचना दी है कि इस अवधि के दौरान कोई आयात नही की गई है ।		
5.	मैसर्स ई० मर्क (इंडिया) प्राइवेट लि०, बम्बई	3,02,365	8,45,631	17,07,172
6.	मैसर्स सुहृद गेगी लि०, बडोदा	43,97,864	36,58,739	61,31,025
7.	मैसर्स एब्बोट्ट लबोरेट्रीरज (इंडिया) प्राईवट लि०, बंबई	32,97,218	23,43,196	11,67,388

मदों तथा उनके मूल्य और विस्तार परियोजनाओं की क्षमता, जिनके लिय इन फर्मों ने आवदन पत्र दिया था और देश में उनकी स्थापना के समय विस्तार लाइसेंस दिय गये थे से संबंधित सूचना का अभी संकलन किया जा रहा है और जब पूरी सूचना उपलब्ध हो जायेगी तो एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आल इंडिया रेलवे कर्मशिअल क्लर्क एसोसिएशन, उत्तरी क्षेत्र

211. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क एसोसिएशन, उत्तरी क्षेत्र ने डॉक्टरी परीक्षा में असक्षम कर्मचारियों को कर्मशियल वर्ग में खपाये जाने के विरुद्ध 25 सितम्बर 1972 को 'विरोध दिवस' मनाया था;

(ख) क्या सभी मुख्य कर्मशियल कार्यालयों ने विरोध दिवस मनाया था और एक ज्ञापन तथा तार उत्तर रेलवे के जनरल मैनजर और उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिटेंड को अपनी मांगों के समर्थन में दिया था ;

(ग) यदि हां, तो एसोशिएशन, उत्तरी क्षेत्र द्वारा की गई मांगों का सारांश क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, ।

(ख) उत्तर रेलवे में कुछ स्थानों पर वाणिज्य क्लर्कों की एसोसिएशन ने काले बिल्ले लगाकर "विरोध दिवस" मनाया । उन्होनें छोट छोटे इश्तहार भी निकाले और कई प्राधिकारियों को तार भेजे ।

(ग) और (घ) : उनकी मुख्य मांग यह है कि डॉक्टरी आधार पर अयोग्य ठहराये गये जिन कर्मचारियों को वाणिज्यिक कोटियों में समाहित किया गया है उन सबको वाणिज्यिक कोटियों में आने की तारीख से ही वरिष्ठता दी जाय और उन्हें नये भर्ती कर्मचारी माना जाये, तथा इस प्रक्रिया को पिछली तारीख से लागू किया जाये ।

ऐसे मुद्दे समय समय पर मान्यता प्राप्त मजदूर संघों द्वारा उठाये जाते हैं और इन्हें विभिन्न स्तरों पर वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में बात चीत द्वारा निपटा लिया जाता है ।

आबू रोड रेलवे अस्पताल (पश्चिम रेलवे) में भ्रष्टाचार

212. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबू रोड रेलवे अस्पताल में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पश्चिमी रेलवे की आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कान्फेडरेशन की आबू रोड शाखा की कार्यवाही समिति ने 15 जून, 1972 को तार भेजा था और रेल मंत्री, चैयरमैन, रेलवे बोर्ड और डिवीजनल अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, अजमेर को भी रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में 5 जुलाई, 1972 को आबू रोड में डी० पी० ओ०, अजमेर, डी० एम० ओ० अजमेर और डी० एम० ओ० दोहाद द्वारा संयुक्त जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो कार्यवाही समिति द्वारा भेजी गई शिकायत का ब्यौरा क्या है और संयुक्त जांच की सम्पूर्ण रिपोर्ट क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : आरोप यह था कि समुचित चिकित्सा सहायता के अभाव में पश्चिम रेलवे में अजमेर मण्डल के सिगनल विभाग के बैटरीमैन, श्री चन्नीलाल की 12-6-72 को मृत्यु हो गयी । जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इस मामले में लापरवाही नहीं हुई । रोगी को अस्पताल में दाखिल किया गया, एक से अधिक डाक्टरों ने उसकी परीक्षा की और प्रारम्भिक चरणों में उसे किसी गम्भीर रोग से पीडित नहीं समझा गया । लेकिन, निरीक्षण के बाद जब बीमारी की गम्भीरता प्रत्यक्ष हो गयी, तो उसे इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था सम्पन्न मण्डल चिकित्सालय को भेज दिया गया । खेद की बात है कि रोगी की रास्ते में ही मृत्यू हो गयी । रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दोष निवारक उपाय किये जा रहे हैं ।

मैसर्स शर्मा मेटल रि-रोलिंग मिल्स, भावनगर (पश्चिम रेलवे) से बकाया माल भाड़े की वसूली

213. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा विभाग, अजमेर द्वारा यह हिसाब लगाया गया है कि जून 1970 से जुलाई, 1970 की अवधि के लिए पश्चिम रेलवे के भरतपूर से भावनगर तक बुक किये गये सामान पर बीजक से 10,984 रुपये कम लिये गये है;

(ख) क्या मैसर्स शर्मा मेटल रि-रोलिंग मिल्स, भावनगर, जिन्होंने यह सामान बुक कराया था, बीजक से कम की उक्त राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) सम्बन्धित पार्टी से उक्त राशि वसूल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) पार्टी ने अवप्रभार का प्रतिवाद किया है ।

(ग) भावनगर के मण्डल अधीक्षक रकम के शीघ्र भुगतान के लिए पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं।

रेलवे में कार्मिक संघों को संगठन सम्बन्धी सुविधायें

214. **श्री धर्मगज सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत कार्मिक संघों को संगठन सम्बन्धी वे सुविधायें नहीं दी जा रही है जिनकी गारण्टी उन्हें कार्मिक संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा भारत के संविधान के अधीन दी गई है;

(ख) क्या रेलवे में कतिपय कार्मिक संघों को अपने संगठन के लिये कतिपय सुविधाये दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संघों के नाम क्या है तथा रेलवे में उनको दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दोनों अधिनियमों और संविधान में जिन सुविधाओं की व्यवस्था है, उनके लिए इनकार नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) : कुछ विशेष सुविधाएं केवल मान्यता प्राप्त यनियनों को ही दी गयी हैं, व निम्नलिखित है :—

1. संगठन कार्यो, संगठन की बैठकों तथा रेल प्रशासनों के साथ बैठकों के लिए निःशुल्क पास।

2. जहां संभव हो, किराया देने पर कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था।

3. जहां संभव हो, भुगतान करने पर यूनियनों/फडरेशनों के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था।

4. रेल परिसरों में बैठक करने की अनुमति।

5. काम के स्थान अथवा भुगतान के स्थान के पास ट्रेड यूनियन का चन्दा लेना।

6. नोटिस लगाने के लिए स्थान।

7. यूनियन के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले में यूनियनों/फेडरेशनों को अग्रिम सूचना देना।

8. जिन मान्यता प्राप्त यूनियनों को उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

I. नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन से सम्बद्ध यूनियनें—

1. मध्य रेलवे मजदूर संघ
2. पूर्व रेलवेमैन्स कांग्रेस
3. उत्तरी रेलवे मजदूर यनियन
4. पूर्वोत्तर रेलवे एम्प्लाईज यूनियन (पू० रे० क० सं०)
5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे एम्प्लाईज यूनियन
6. दक्षिण रेलवे एम्प्लाईज संघ
7. दक्षिण-मध्य रेलवे एम्प्लाईज संघ
8. दक्षिण पूर्व रेलवेमैन्स कांग्रेस
9. पश्चिम रेलवे मजदूर संघ

II. आल इण्डिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनें—

1. नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन
2. पूर्व रेलवेमैन्स यूनियन
3. उत्तर रेलवेमैन्स यूनियन

4. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन

5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मजदूर यूनियन

6. दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन

7. दक्षिण–मध्य रेलवे मजदूर यूनियन

8. दक्षिण पूर्व रेलवेमैन्स यूनियन

9. पश्चिम रेलवे एम्म्लाईज यूनियन

रेलवे में 'संरक्षण प्राप्त' कर्मकारों की घोषणा

215. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या **रेल** मंत्री रेलवे में 'संरक्षण प्राप्त' कर्मकारों की घोषणा के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० आर० पाई) : (क) से (ग) : 18 अप्रैल, 1972 को पूछे गये संदर्भाधीन अतारांकित प्रश्न सं० 3197 से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3656/72]।**

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में परीक्षण अवस्था पर डिजाइन में गड़बड़ी

216. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलायझर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन के संयंत्र में उस समय डिजाइन में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई थी जिस समय उसे परीक्षण के लिए चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या इससे फैक्टरी में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू करने पर प्रभाव पडेगा; और

(ग) इस बात को निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे यह संयंत्र निश्चित तारीख पर चालू हो जाय और इसमें प्रभावशाली ढ़ंग से कार्य हो ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : उर्वरक प्रायोजना का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु परीक्षण उत्पादन के समय कुछ यांत्रिक खराबियों और अन्य समस्याओं का सामना करना पडा। संयंत्र को शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से प्रायोजना अधिकारी इन समस्याओं पर पूरा और निरंतर ध्यान दे रहे हैं।

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स का विस्तार

218. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : जी हां । 3.73 करोड रुपये की लागत से स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की उत्पादन क्षमता को 80 मीटरी टन से बढ़ा कर 160 मीटरी टन तक करने के लिये हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० को एक आशय पत्र दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, इसके मिश्र उत्पाद में विविधता लाने के लिये, यह उपक्रम (i) 163 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 125 मीटरी टन विटामीन "सी" (ii) 20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 2,000 किलोग्राम नियोमाईसिन सल्फेट (iii) 62.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 5,000 किलोग्राम सेमी-सिन्थटिक के उत्पादन के लिये परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है । प्रतिवर्ष 6 मीटरी टन इराइथ्रोमाइसिन साल्टस के उत्पादन के एक दूसरा आशय पत्र भी दिया गया है ।

कीटनाशी औषधि उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग

219. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कीटनाशी औषधि उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस उद्योग में कितनी क्षमता बेकार पड़ी है;

(ग) अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता के उपयोग के क्या कारण है; और

(घ) कीटनाशी औषधि उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री० एच० आर० गोखले): (क) जी हां ।

(ख) लगभग 38 प्रतिशत ।

(ग) क्षमता का उपयोग मौसमी मांग, जो कि स्वयं पौधे के जन्तुबाधा की प्रकृति और विस्तार जैस कारणों पर निर्भर करता है, द्वारा प्रभावित होता है । विशेष कर, 'बेन्जीन हेग्जेक्लोराइड' (बी० एच० सी०) की मांग जो कि प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग 48 प्रतिशत है, जैसा कि पूर्वानुमान था, बढी नहीं है। खरपतवार नाशी के मामले में भी, कम उठाने के कारण, क्षमता के उपयोग पर प्रभाव पडा है।

(घ) देशीय प्राप्य कीटनाशी औषधियों के अधिकतम उपयोग के लिये और अधिक बल दिया जा रहा है । और उस दिशा में कीटनाशी नियंत्रण के तालिका का संशोधन किया जा रहा है, तथा उसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये, तरल फार्म्यूलेशन के रूप

में प्रयोग के लिये समृद्ध बी० एच० सी० का उत्पादन आदि कुछ उपाय है जो कीटनाशी औषधियों के उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिये किये जा रहे है ।

खरपतवारनाशी औषधियों के अधिकाधिक प्रयोग लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तार सेवाओं को सुदृढ बनाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

मथुरा, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

220. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मथुरा, उत्तर प्रदेश में एक बडा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक क्षमता को बढाने के लिए योजना के अंश के रूप में मथुरा को भी एक संभाव्य स्थान के रूप में विचार किया जा रहा है। डनसे संबंधित विस्तृत अध्ययन किये जा रहे है ।

विदेशी ठेकेदारों द्वारा नेफथा की सप्लाई

221. **श्री सेझियान :**

श्री क० बाल० दण्डायुत्तम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 1.5 लाख मीटरिक टन नेफथा की सप्लाई करने का ठका करने वाले विदेशी निविदाकार ने अपना ठेका पूरा नही किया है;

(ख) क्या ठेके की शर्तों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उर्वरक का उत्पादन करने के लिए आवश्यक नेफथा की अपेक्षित मात्रा का आयात करने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय तेल निगम ने ठका पूरा न करने वाली पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया है ।

(ग) भारतीय तेल निगम ने नेफथा की अपेक्षित मात्रा की आयात के लिए पूछताछ करनी शुरू कर दी है ।

उर्वरक के उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति

222. **श्री सेझियान** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि इस वर्ष उर्वरक के उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति की कितनी सम्भावनाएं है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : वर्तमान संकेतों के अनुसार 1972–73 में उर्वरक उत्पादन की मात्रा 11 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 3.2 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ होने की आशा है जब कि, जैसा कि पहले परिकल्पित था, 12 से 14 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 3.7 से 4.9 लाख मीटरी टन $पी_2ओ_5$ का लक्ष्य था।

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में हड़ताल

223. श्री सेझियान :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में अधिक समय से हड़ताल चल रही थी, और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा क्या उपाय किये गये;

(ग) यदि कोई समझौता हुआ है तो इसकी शर्तें क्या है; और

(घ) हड़ताल के कारण उत्पादन में कितनी क्षति हुई है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने में 19 सितम्बर, 1972 से 22 अक्तूबर, 1972 तक हड़ताल हुई थी ।

(ख) कर्मकारों की मांगों के बारे में संतोषजनक फैसला करने की दृष्टि से संबंधित यूनियन के साथ बातचीत की गई थी । समझौते की कार्यवाही भी की गई थी। तथापि क्योंकि कोई मैत्रीपूर्ण फैसला नहीं हो सका, राज्य सरकार ने अत्यावश्यक मागों को पंच निर्णय के लिए भेज दिया है ।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

दक्षिण में लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

224. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री राम कंवर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दक्षिण में रेल-इंजीन के कर्मचारियों ने अपने वेतन-मानों और भत्तों के बारे में अपनी शिकायतों को दूर करान के लिए कई बार हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो गत हड़ताल के दौरान सरकार को कितना घाटा हुआ; और

(ग) उसकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाहीं की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ग) : 29-8-72 से दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मण्डल के कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । उनकी सहानुभूति में 1-9-72 से दक्षिण रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी ।

हड़तालियों ने हड़ताल शुरू करने से पूर्व कोई मांग पेश नहीं की थी । दक्षिण मध्य रेलव के हुबली मण्डल के लोको रनिंग कर्मचारियों की मांगे बाद में प्राप्त हुई, जो अनुबन्ध 'क' में दी गयी है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3657/72**] दक्षिण रेलव के कर्मचारियों की मांगों के दो सेट क्रमश: 3-9-72 और 9-9-72 को पेश किये गये ।

21-10-72 को अनुबन्ध 'ख' में दी गयी 10 मांगों की सूची का एक विवरण उक्त संघ की दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों की वार्ता तंत्र समिति के सदस्यों द्वारा रेल मंत्री को दिया गया । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3657/72**]

लोको रनिंग कर्मचारियों की कठिनाइयां जिनमें उपर्युक्त सूची में दी गयी मांगें भी शामिल है, पहले भी पेश की गयी थी और मान्यता प्राप्त यूनियनों और महासंघों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पेश की जाती रही है तथा उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत भी की गयी है और विधिवत निर्मित स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के माध्यम से यथावश्यक कार्रवाई की गयी है ।

(ख) अगस्त–सितम्बर, 1972 में हड़ताल से हुई राजस्व की हानि का अनुमान दक्षिण रेलवे पर 88.67 लाख रुपये और दक्षिण-मध्य रेलवे पर 72.52 लाख रुपये लगाया गया है ।

केरल स्थित तेल कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि किया जाना

225. श्री इब्राहिम सुलमान सेट :

श्री एम० श्रीकान्तन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल स्थित तेल कम्पनियों को अपने उत्पादों की कीमत में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है, जिसका राज्य में उपभोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या संसद् सदस्यों से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें अनुमति रद्द करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : केरल सरकार द्वारा लगाये गये, परचेस टैक्स (क्रय कर) के परिणामस्वरुप तेल कंपनियों को हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए 10-5-72 से केरल में बेचे गय कई पेट्रोलियम उत्पादों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों में वृद्धि की गई थी।

(ग) जी हां ।

(घ) केरल के उच्च न्यायालय में लख याचिका के लम्बित रहने तक प्रश्न के इस भाग के उत्तर को बताना जनहित में नही होगा।

सामाजिक एवं आर्थिक अपराध सम्बन्धि कानून

226. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों के लिए कठोर दंड देने हेतु नये कानून बनान पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या विधि आयोग ने कानूनों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ) :

विधि आयोग ने सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दण्ड पर अपनी सैंतालीसवी रिपोर्ट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 और कई अन्य अधिनियमों में जो उपाबंध में दिए गए ह, संशोधन करने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं। सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट सदन के पटल पर भी भी रख दो गई है।

विवरण

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944
2. विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1947
3. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
5. धन–कर अधिनियम, 1957
6. आय–कर अधिनियम, 1961
7. सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962
8. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968
9. ऐसे संशोधन, जो एक से अधिक अधिनियमों में समान हों
10. भारतीय दण्ड संहिता
11. दण्ड प्रक्रिया संहिता
12. विशेष न्यायालयों के लिए नया अधिनियम
13. पासपोर्ट अधिनियम, 1967
14. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
15. औषधी– व्य और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
16. कम्पनी अधिनियम, 1956
17. संविधान

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना

227. **श्री पी० गंगादेव ।**

श्री प्रसन्नभाई मेहता ।

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योजना आयोग द्वारा दी गई चेतावनी को देखते हुए रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढाने हेतु कई उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार देश में समुद्र तट आधारित के आसपास उर्वरक संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उत्पादन बढाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : कृषि योजना की आवश्यकताओं को यथष्ट रुप से पूरा करने हेतु उर्वरक क्षमता को बढाने के लिए सरकार पूरा और निरन्तर ध्यान दे रही है । इस सम्बन्ध में नये प्लान्ट लगाने के लिये तटीय स्थानों सहित सम्भव स्थल ढूंढने के लिये कई अध्ययन आरंभ किये गये है ।

(ग) वर्तमान यूनिटों में यांत्रिक व अन्य समस्याओं, जिनके कारण उत्पादन में अवरोध उत्पन्न होता है, पर काबू पाकर, उत्पादन को अधिकतम बढ़ान के लिये उचित उपाय किये जा रहे है । निर्माणाधीन प्रयोजनाओ को भी शीघ्र आरम्भ करने के लिये विशेष यत्न किये जा रहे हैं ।

मुख्य स्टेशनों पर नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना

228. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन नगरों के मुख्य स्टेशनों पर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, नागरिक सुविधाओं की आधुनिक व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : संभवत: माननीय सदस्य का आशय स्टेशनों पर फलश टाइप के शौचालयों की व्यवस्था करने से है । यदि ऐसा है तो यह उल्लेखनिय है कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार फ्लश टाइप के शौचालय की व्यवस्था उन स्टेशनों पर की जाती है जहां नल के पानी की सप्लाई उपलब्ध होती है और जहां नल के पानी की सप्लाई उपलब्ध नहीं होती वहां एक्वा प्रिवी या बोरहोल टाइप के शौचालयों की व्यवस्था की जाती है। उपर्युक्त नीति के अनुसार कार्यक्रमबद्ध आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

बड़े शहरों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की समस्यायें पर विचार करने के लिये समिति का गठन

229. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय बडे शहरों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनाने पर विचार कर रहा है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : नहीं।

बम्बई में पश्चिमी खंड के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हुई बैठक

230. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी खण्ड के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बम्बई में 12 अक्तूबर, 1972 को आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किस किस मुख्य मंत्री ने भाग लिया; और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बजनाथ कुरील) : (क) जी हां। केंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों के साथ विद्युत सप्लाई की स्थिति पर विचार विमर्श किया था ताकि आवश्यक उपचारी उपाय किए जा सके।

(ख) इस बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया।

(ग) निम्नलिखित सिफारिश की गई थीं :—

(1) अतिरिक्त शिफ्टें लगा कर कोयना चरण–तीन, कोराडी, उकई जल विद्युत तथा उकई ताप परियोजनाओं के प्रचालन में तेजी लाई जाए।

(2) धुवरण तथा साबरमती विद्युत केन्द्रों से बिजली के उत्पादन में तेजी लाने के लिए गुजरात को आगामी छः महीनों के लिए 750 मेट्रिक टन अतिरिक्त ईंधन तेल दिया जाए।

(3) व्यस्तम घण्टों के दौरान राज्य विद्युत प्रणालियों में उपलब्ध सभी डीजे सेट इस्तेमाल किए जाएं।

(4) क्षेत्र की अतिरिक्त विद्यत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2–2 मिलियन किलोवाट के 2 बृहद ताप–विद्युत केद्रों को केन्द्र द्वारा स्थापना पर विचार किया जाए, एक सतपुड़ा में और दुसरा चन्दा (चन्द्रपुरा) कोयला क्षेत्रों में।

रेलवे के संचालन के बारे में कर्मचारियों के साथ विचार विनिमय के लिए संयुक्त फोरम

231. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के संचालन के बारे में कर्मचारियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने और स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने की व्यवस्था करने हेतु एक संयुक्त फोरम स्थापित करने का रेलवे बोर्ड ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे उधम के संचालक और उसे सुव्यवथित करने के बारे में निबंधि प्रगति तथा विचारों के आदान प्रदान के उद्देश्य से एक मंच स्थापित किया गया है जो "कार्पोरेट इं र–प्राइज ग्रुप आफ मैनेजमेंट एण्ड लैबर" (संक्षिप्त नाम सी० ई० जी०) कहलायेगा इसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अपर सदस्य, सचिव, रेलवे बोर्ड और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन तथा आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन के तीन तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सी० ई० जी० के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार है :–

इस उद्यम की कार्यकुशलता और आर्थिक सक्षमता में सुधार करने के लिए रेलों का कार्य संचालन का मूल्यांकन करना और अभिप्राय पर विचारों तथा आंकडों का आदान प्रदान करना।

पूंजी निदेश कार्यक्रमों, विशेष रुप से आवासिय और कल्याण सेवाओं के बारे में निदेश कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना,

संगठनात्मक प्रभाव को, अधिकतम कारगर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र एवं क्रियात्मक उपाय ढूंढना और एक सेवा संगठन के रूप में रेलों का चित्र तैयार करने के लिए शिल्प विज्ञान का उपयोग करना,

किन्तु, कर्मचारियों के मामलों जिनमें वे मामले भी शामिल हैं जो स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की परिसीमा में आते हैं, पर सी०ई०जी० द्वारा विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।

एक अन्य उर्वरक निगम की स्थापना

232. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये उर्वरक संयंत्रों का प्रबन्ध करने के लिये एक अन्य निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : वर्तमान संकेतों के अनुसार पांचवी योजना के दौरान उर्वरक की क्षमता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। इस उद्देश्य के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नये उर्वरक प्रायोजनाओं की आवश्यकता होगी । अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि नई प्रायोजनाओं, जो सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा सकती है कार्यान्वयन के लिए एक और सरकारी क्षेत्रीय एजेन्सी की आवश्यकता होगी ।

भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मिलाकर एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना

233. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री रामशखर प्रसाद सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मिला कर एक नियन्त्रक कम्पनी बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और वह कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : भारतीय तेल निगम पर अपनी 16 वीं रिपोर्ट में सरकारी उपक्रमों की समिति ने जिन विकल्पों का सुझाव दिया था, नियंत्रक कम्पनी की स्थापना किया जाना उनमें से एक था। इस रिपोर्ट तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनरीक्षण से संबंधित समिति जिसकी अध्यक्षता श्री के० डी० मालवीय, संसद सदस्य ने की थी, की रिपोर्ट के प्रकाशन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आगामी ढांचे की सरकार जांच कर रही है ।

पैट्रो-रसायनिक एककों के लिए होल्डिंग कम्पनी की स्थापना

234. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बडौदा, बरौनी, बोगड़गांव और टयूटीकोरिन में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन एककों के लिए एक अलग होल्डिंग कम्पनी बनाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : अभी कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है । तथापि बरोदा तथा बोंगेगांव में स्थित पेट्रो रसायन समूहों के लिये एक नियंत्रक कम्पनी बनाने की संभाव्यता के बारे में कुछ अध्ययन किये जा रहे है । ऐसी नियंत्रक कम्पनी, यदि बनाई गई तो उसमें सरकारी क्षेत्र के आगामी पेट्रो रसायन संयंत्रों को शामिल करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

मंगलोर रासायनिक और उर्वरक कारखाने के निर्माण कार्य का पूरा होना

235. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर रसायन और उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कुल कितनी लागत आई है और उसकी कुल क्षमता कितनी है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उर्वरक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसके अगस्त/सितम्बर 1974 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है ।

(ख) परियोजना पर सितम्बर, 1972 तक 531.00 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ है। इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 340,000 मीटरी टन यूरियों जो लगभग 156,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के बराबर है, उत्पादित होगा।

Incidents of Looting on the Jhansi-Kanpur and Jhansi-Manikpur Railway Line

236. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting that took place on the Jhansi-Kanpur and Jhansi-Manikpur line during the last six months and the dates on which they took place; and

(b) the number of lives lost and the value of goods looted in these incidents and the number of persons arrested and punished ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) During the last six months, one incident of robbery occurred on 6-8-72 on Jhansi-Kanpur line and one case of dacoity on the Jhansi-Manikpur line on 17/18-9-1972.

(b) In the case of 6-8-72 no life was lost but cash worth Rs. 20,000/- was looted. Four persons were arrested. In the case of 17/18-9-72 no life was lost, but Goods worth Rs. 1163/- were looted. Four persons have been arrested. Both the cases are still under investigation.

Non-Payment of T.A. and Increments to Employees of Jhansi Division (Central Railway)

237. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether T.A. and Increment Bills of certain Railway employees working in Jhansi Division of Central Railway submitted 8-10 years ago have not been passed by the Accounts Department so far;

(b) if so, the number and names of such employees whose T.A. and increment Bills are lying pending for more than three years; and

(c) if so, the reasons for delay in payment of these bills ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Clash between Ticket Checking Staff and Employees of Accounts Branch, Jhansi Division (Central Railway)

238. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there was a clash between the Ticket Checking Staff and employees of Accounts Branch in Jhansi Divisional Office of Central Railway on the 11th August, 1972;

(b) whether six persons were wounded as a result of this clash and were treated at Railway Hospitals, Jhansi;

(c) whether this clash took place in the presence of Divisional Superintendent; and

(d) the number of persons held responsible for this clash and the nature of punishment awarded to them ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) 3 persons only were injured.

(c) The Divisional Superintendent visited the place of occurrence on hearing of the clash.

(d) 10 persons were found involved in this case. The City Police, Nawabad, registered a case. Since both the parties compromised on 28-10-72, the Police closed the case and submitted final report. A senior scale officers enquiry has been ordered and is in progress.

Railway Accidents during 1-1-72 to 30-9-72

239. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Railway accidents that occurred during the period from 1st January, 1972 to 30th September, 1972;

(b) the extent of loss of life and property suffered as a result thereof; and

(c) the causes of these accidents and the amount of money paid by the Railways by way of compensation ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) During the period 1-1-72 to 30-9-72 there were 573 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways.

(b) In these accidents 110 persons were killed. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,12,12,139/-.

(c) Out of 573 train accidents causes of 554 accidents have been finalised and are given below :

(i)	Failure of railway staff	290
(ii)	Failure of persons other than railway staff	100
(iii)	Failure of equipment	86
(iv)	Sabotage	3
(v)	Accidental	64
(vi)	Cause could not be established	11

No compensation has so far been paid under the Indian Railways Act, 1890. Under the Workmen's Compensation Act a sum of Rs. 12,984/- has been paid in these cases, so far.

गल उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पहले से चयन किये गये ठेकेदारों से टेण्डर आमंत्रित करना

240. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 1 सितम्बर, 1972 के अतांराकित प्रश्न संख्या 4347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में एमोनिया संयंत्र के लिए इंजीनियरी सेवाएं प्राप्त करने हेतु भारतीय उर्वरक निगम ने किस आधार पर ठेकेदारों का पहले से चयन किया था ?

(ख) पहले से चयन की गई उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे अब तक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है; और

(ग) उपरोक्त विस्तार परियोजना का काम यदि किन्हीं फर्मों को दिया गया है तो उनके नाम क्या है और यदि किसी ठेके को अन्तिम रूप दिया गया है तो उसकी शर्तें क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मंगल विस्तार अमोनिया प्लांट के लिए ठेकेदारों का पूर्वचयन उनके बडे पैमाने के अमोनिया प्लांटो और भारी पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित प्लांटो में अनुभव व उनकी ऐसे प्लांटों के निर्माण में कुल योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया था ।

(ख) उधे लुर्गी टोपसो व टोयो इंजीनियरिंग कंपनी के संघ से प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

(ग) उधे लुर्गी टोपसों का सेवाओं के लिए चयन किया गया है, समझौते के लिए अन्तिम बातचीत हो रही है ।

उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक

241. **डॉ० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में इस वर्ष अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) विभिन्न राज्यों में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए यदि उसमें किन्हीं प्रबंधों के बारे में निर्णय किया गया, तो वे प्रबंध क्या है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) दिल्ली से प्रतिदिन 0.8 से 1.2 मिलियन यूनिट फालतू विद्युत हरियाणा को दी जाए तथा सतपुडा में प्रतिदिन 0.4 मिलियन यूनिट तथा दिल्ली से प्रतिदिन 0.5

मिलियन यूनिट पंजाब को दी जाए तथा इसके अतिरिक्त सतपुडा में उपलब्ध 0.4 मिलियन यूनिट पंजाब को दे दी जाए।

(2) वदरपुर, भटिण्डा और ओबरा के ताप विद्युत केंद्रों तथा अंतर्राज्यीय परिक्षण लाइनों में तेजी लाई जाए और उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।

(3) राजस्थान की प्रतिदिन को एक मिलियन यूनिट की आवश्यकता को पूरा करने के उपरांत राणा प्रताप परमाणु विद्युत परियोजना से फालतू बिजली उत्तरी ग्रिड को दे दी जाए ।

(4) विद्युत की कमी को कम करने के लिए जहां आवश्यक हो, निजी औद्योगिक ों को डीजल उत्पादन यूनिट, जिनको देश में ही प्राप्त किया जा सकता है या आयात जा सकता है, स्थापित करने को अनुज्ञा दी जाए।

(5) नंगल उर्वरक फैक्टरी को सप्लाई की जा रही विद्युत के 98 मैगावाट के वर्तमान और कमी न की जाए ।

मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल प्राप्त करने के लिए ईराक से दीर्घकालीन ऋण

242. **डॉ० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री बक्शी नायक :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिये पेट्रोलियम और अशोधित तेल प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भारत को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए ईराक हाल ही में सिद्धांततः सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : मथुरा शोधन शाला की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईराक ने भारत को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए रुचि व्यक्त की है। इस विषय पर अभी तक केवल अन्वेषणात्मक विचार विमर्श हुआ है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि विदेशों को भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

243. **डॉ० हरी प्रसाद शर्मा :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि विदेशों को भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए हाल ही में भारत में विदेशी तेल कम्पनियों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया है जिसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या है और इस से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विदेशी तेल कम्पनियों पर इस प्रकार का कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है । किन्तु मूल्य निर्धारण में काल्पनिक आधार पर सीमा कर के सम्मिलित किये जाने के कारण लूब शोधन शालाओं (जो आयातित कच्चे तेल से लूब बेस स्टाक्स का उत्पादन कर रही है) को प्राप्त बाहरी लाभपर रोक लगाने के लिए सरकार ने 20-5-72 से इस प्रकार के प्रति मीटरी टन लूब बेस स्टाक्स पर 345 रुपये की दर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वृद्धि की । इससे प्रतिवर्ष 12 करोड रुपये के राजस्व के प्राप्त होने की आशा है ।

राज्यों द्वारा बिजली में की गई कटौती

244. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने बिजली में कटौती संबंधी भारी प्रतिबन्ध लागू किये है ?

(ख) बिजली में इस प्रकार की कटौती किन किन राज्यों ने की है और वर्ष 1972 में लागू की गई बिजली की कटौती का राज्यव्यार ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान बिजली की भारी कमी होने की आशंका है और यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों नें औद्योगिक खपत पर 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक कटौती लगाई है जबकि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु ने 25 प्रतिशत तक कटौती लगाई है । महाराष्ट्र ने 2 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक कटौती नोटीफाई की है । गुजरात ने अधिकतम मांग पर 15 प्रतिशत तक की पाबन्दी लगाई है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर और गुजरात राज्यों द्वारा कृषि पंपों के कार्य घण्टों की संख्या पर भी पाबन्दी लगाई गई है ।

(ग) कुछ राज्यों में अगले तीन वर्षों में विद्युत की कमी अनुभव किए जाने की संभावना है ।

कमी को कम करने के लिए उठाये गए अल्पकालिक और दीर्घकालीन कदम निम्नलिखित है :-

1. मध्य प्रदेश, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों से उपलब्ध फालतू बिजली पड़ौस के कमी वाले राज्यों को दी जा रही है ।
2. निर्माणाधिन स्वीकृत अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण में तेजी लाइ जा रही है
3. निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाई जा रही है ।
4. आउटेजिज के अन्तर्गत सेटों को मरम्मत और ओवर हाल को शीघ्र पूरा किया जा रहा है ।

5. विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए डीजल उत्पादन सैट प्रतिष्ठापित किए जा रहे है और चलाए जा रहे हैं ।

6. उद्योगों को इजाजत दी जा रही है कि वे कैप्टिव संयंत्र प्रतिष्ठापित कर लें।

7. ताप केंद्रों में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त और अच्छी किस्म के कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

8. आज से 5–7 वर्ष बाद चालू की जाने वाली परियोजनाओं पर अभी से ही अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की जा रहीं है।

निर्धनों को कानूनी सहायता

245. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां, भारत सरकार ने 1960 में एक आदर्श योजना तैयार की थी।

(ख) योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) कानूनी सहायता निधि का गठन;

(ii) राज्य, जिला और तालुका स्तर पर कानूनी सहायता समितियों की मार्फत प्रशासन;

(iii) सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता देना;

(iv) मुफ्त वृत्तिक सहायता; और

(v) न्यायालय फीस और अन्य प्रभारों इत्यादि की छूट ।

वर्ष 1973-74 में लक्ष्य क अनुरूप उर्वरक उत्पादन

246. **श्री डी० क० पण्डा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के लिए उर्वरक के उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त करने की बहुत कम संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : चौथी योजना के मध्यावर्ती अवलोकन के समय निर्धारित 18 लाख टन नाइट्रोजन और 4.58 लाख टन पी2 ओ5 के लक्ष्य के मुकाबले वर्तमान संकेतों के अनुसार 1973-74 में उर्वरक उत्पादन 16.4 लाख टन नाइट्रोजन और 4.5 स 4.9 लाख टन पी 2 ओ5 होने की सम्भावना है । लक्ष से पुर्णनुमानित कमी नई प्रायोजनाओं जिनके उत्पादन को लक्ष निर्धारित करते समय हिसाब में लिया गया था, के आरंभ में देर के कारण है । इसके अतिरिक्त विद्युत एवं श्रम समस्याओं के कारण भी उत्पादन पर प्रभाव पडेगा।

चौथी योजना में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

247. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) चौथी योजना में अब तक कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो चुका है; और

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 8.8 मिलियन किलोवाट शुद्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता ।

(ख) 3.2 मिलियन किलोवाट ।

(ग) जी, नहीं । 3.0 मिलियन किलोवाट की कमी हो सकती है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम द्वारा हरियाणा को विद्युत की सप्लाई

248. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने हरियाणा को कम पडने वाली कुल विद्युत की आंशिक रूप से पूर्ति करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विद्युत सप्लाई करना स्वीकार किया है; और

(ग) उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी, हां । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने स्वीकार कर लिया है कि वे दिल्ली प्रणाली को समय समय पर उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा तक हरियाणा को बिजली की थोडी सप्लाई का एक भाग देंगे ।

(ग) इस समझौते को 1 जनवरी, 1972 से लागू होना था । यह ख्याल किया गया है कि हरियाणा बिजली बोर्ड को उसी दर पर फालतू बिजली दी जाए जिस पर दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान भाखडा प्रबन्ध बोर्ड को बिजली देता है ।

[अन्तर्राज्य विद्युत पारेषण लाइनें

249. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान अन्तर्राज्य विद्युत पारेषण लाइन बिछाने संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी पारेषण लाइनें बिछाई जा चुकी है;

(ग) क्या चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस में कमी के क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण में तेजी लाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि चौथी योजनावधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत इन लाइनों के लिए धन दिया जाए । इस कार्यक्रम के लिए योजना में 22 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। योजना के प्रथम तीन वर्षों (1969–1972) के दौरान इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को 14.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं । यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के दौरान 11.5 करोड़ रुपये और योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 13.75 करोड रुपये इस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए22 करोड़ रुपय की मूल व्यवस्था के विरुद्ध कुल मिलाकर 4(करोड़ रुपय के योजना परिव्यय की व्यवस्था की जाए ।

बेलगांव और कोल्हापूर, मुनीराबाद और हाम्पी को जोडन वाली 220 के० वो० लाइनें और चांदनी और भुसावल को जोडने वाली 132 के० वो० लाइन भी अब तक पूर्ण कर के चालू कर दी गई है कई अन्य लाइनें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । आशा है कि 24 अन्तर्राज्यीय / अन्तर्क्षेत्रीय लाइनें चौथी योजनावधि के अन्त तक पूर्ण हो जाएंगी । इन लाइनों के निर्माण में इस्पात की अनुपलब्धता के कारण, जिसका अब प्रबन्ध हो गया है, कठिनाई रही है ।

विदेशी तेल कम्पनियों का विस्तार

250. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदशी तेल कम्पनियों से अपन तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : केवल बर्मा शैल ने अपनी शोधनशाला तथा व्यापार कम्पनियों में सरकार अथवा जनता द्वारा काफी साम्य साझेदारी के प्रश्न पर विचार–विमर्श करन का प्रस्ताव दिया है । उनकी पेशकश, अन्य बातों के साथ साथ, उनकी शोधनशाला क्षमता तथा व्यापार कार्यों के विस्तार पर निर्भर है । इस मामल में कोई अन्तिम विचार नहीं किया गया है और बर्मा शल के प्रस्ताव तथा 5 अक्तूबर, 1972 को एस्सो स प्राप्त हुय एक अन्य प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से जांच की जा रही है और विचार किया जा रहा है। इस जांच के पूरा हो जाने के पश्चात इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

251. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में काम कर रही तीनों विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पूर्वि क्षेत्र में कर्मचारियों की छंटनी

252. **श्री दीनेश भट्टाचार्य :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत स्थित तीन विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात् बर्मा शैल, काल्टैक्स और एस्सो ने हल्दिया तेल शोधक कारखाना चालू किय जाने के तर्क के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में 1,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : विदेशी तेल कम्पनियों ने अभ्यावेदन दिया है कि हल्दिया शोधन शाला के चालू होने के पश्चात उनके कलकत्ता स्थित संस्थानों में स्टाफ के फालतू हो जाने की समस्या पेश आयेगी। फालतू किये जाने वाले स्टाफ को नौकरी पर लगाये रखने की संभावना पर भारतीय तेल निगम के परामर्ष से सरकार द्वारा जांच की जा रही है और ऐसे स्टाफ की विपत्ति को दूर करने के लिए हर संभव कार्यवाही की जाएगी।

सरकार द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों में साम्य साझेदारी

253. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित एस्सो, बर्मा शेल और कालटैक्स तीन विदेशी तेल कम्पनियों ने अपने तेल शोधक कारखानों की राष्ट्रीयकरण से बचाने के लिए सरकार से साम्य साझेदारी अथवा संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और ख). सरकार द्वारा एस्सो की शोधन शाला व वितरण कार्य तथा लूब इंडिया लिमिटड में 51% इक्विटी लेने का एस्सो के पहले प्रस्ताव का उनके दिनांक 3-10-72 के नये प्रस्ताव जो 5-10-72 को मिला द्वारा अधिक्रमण हो गया है । इस प्रस्ताव की प्रमुख रुप रेखा यह है;

(1) सरकार एस्सो के शोधन शाला और वितरण में तथा लूब इंडिया लि० में 74% ईक्विटी ले लें शेष 26% एक्विटी एस्सो अपने पास रखेगा । सरकार और एस्सो को प्रबंधक बोर्ड में यथानुपात प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । इसका अर्थ यह होगा कि सभी विशेष संकल्पों के लिए जिनके लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है एस्सो की सहमति की आवश्यकता होगी । शोधनशाला समझौते का त्याग किया जायेगा । कच्चे तेल की सप्लाई का अधिकार व भविष्य में विकास के लिए कोई आश्वासन नहीं मांगे गय हैं । वर्तमान कर्मचारियों को नोकरी में लगे रहने का आश्वासन होगा । 74% ईक्विटी का क्रय मूल्य समझोते के आधार पर किया जायेगा । परिसंपत्ति के पुनः मूल्यांकन के कारण होने वाले लाभ पर लागू कर कानूनों के अधीन कोई कर नहीं लगाया जायेगा । क्रय मूल्य उचित वार्षिक किश्तों में बाहर भेजा जा सकेगा । एस्सो की ईक्विटी पर न्यूनतम 15% लाभांश जो कि बाहर भेजा जा सके, की मांग की गई है ।

(2) यदि उपरोक्त (1) स्वीकार न किया जा सके तो एस्सो सरकार को अपनी शोधनशाला तथा वितरण कार्य व ल्यूब इंडिया लि० में अपना भाग समझोते के आधार पर बेचने के लिये तैयार है । परन्तु उनको यह आशा है कि एस्सो के कर्मचारी सरकारी कंपनी के कर्मचारी बनेंगे ।

बर्मा शेल ने भी अपनी शोधनशाला और वितरण की ईक्विटी में सरकार व जनता द्वारा काफी मात्रा में भाग लेने के प्रश्न पर बातचीत करन का प्रस्ताव दिया है । उनकी पेशकश शोधनशाला क्षमता व वितरण विस्तार, कच्चे तेल के मल्य के निर्धारण, कच्चे तेल की सप्लाई के अधिकार के स्थान पर उनको वर्तमान कच्चे तेल के आयात के लगभग 85% को न्यूनतम व्यापारिक पेशकश के अनुरूप बनान की स्वेच्छा पर आधारित है । उन्होंने बताये गये उत्पादन का एक भाग भारतीय तेल निगम को बातचीत से तय शर्तों पर देने का भी सुझाव दिया है । उन्होनें कच्चे तेल के मूल्य के अनुसार पदार्थों के मूल्य में पूरी वृद्धि और कुछ समय के लिये लाभ के कारण विदेशी मुद्रा के बाहर भेज जाने पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध की मांग की है । इस विषय में अब तक कोई निश्चय नहीं किया गया है और प्राप्त समझोतें पर विस्तृत जांच व विचार किया जा रहा है ।

Talks with Bangaladesh on Rivers of Eastern Region

254. Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether talks have been held with Bangladesh in regard to the harnessing of rivers of Eastern region for irrigation and other purposes, and

(b) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) Yes.

(b) The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission has had two meetings so far and has accorded priority to problems relating to flood forecasting and flood warning and the solution of certain border river problems. Satisfactory progress has been

made in these cases. Special joint study groups have been set up for study of the problems of river development in the Meghna and Tista Valleys. The Commission has decided to carry out an aerial photographic survey of the river Ganges from below Farakka in India upto Gorai off take in Bangladesh.

The Commission is scheduled to meet again in Delhi in the first week of December 1972.

जी० एम० सी० यार्ड, कानपुर के सहायक स्टेशन मास्टरों को ट्युशन फीस की वापसी

255. श्री भारत सिंह चौहान :

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडय :

क्या **रेल** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जी० एम० सी० यार्ड, कानपुर के सहायक स्टशन मास्टरों को बकाया टयूशन फीस की वापसी अभी तक नहीं की गई है; और

(ख) शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . जी० एम० सी० यार्ड, कानपुर के सहायक स्टेशन मास्टरों से शिक्षण शुल्क के बिल मण्डल–कार्यालय में सितम्बर और अक्टुबर, 1972 में प्राप्त हुए थे। जो बिल सभी प्रकार से पूर्ण थे उन्हें भुगतान के लिए मण्डल लेखा कार्यालय को भेज दिया गया है । जहां तक अधूरे बिलों का सम्बन्ध है, शीघ्र भुगतान कराने के लिए एक निरीक्षक को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों को बोनस देने की मांग

256. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों तथा उनके संघों ने 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देने सम्बन्धी सरकारी आदेशों को क्रियान्वित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने यह निश्चय किया है कि रेलवे आदि जैसे विभागीय स्थापनाओं के कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिसीमा से अलग ही रहने देना चाहिए ।

रेलों म दर्जों का पुनर्वर्गीकरण

257. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में केवल तीन दर्जे अर्थात् "स्लीपर्ज" "चेयर्स" और "सिटिंग" रखने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के श्रमिकों को अन्तरिम राहत का भुगतान

258. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के श्रमिकों को अन्तरिम राहत के भुगतान के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मतदान की आयु कम करना

259. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री राम प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के बारे में सरकार द्वारा इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रस्ताव पर सभी पहलओं से सावधानी पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है और संभावना है कि इस बाबत फैसला करने में कुछ और समय लग जाए ।

(ग) निर्वाचन विधि के संशोधनों के बारे में संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों के प्रतिनिधि भी थे, यह सिफारिश की है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए।

(घ) समिति की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद द्वारा पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों को हरताल का नोटिस देना

260. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् ने 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों को हड़ताल के कितने नोटिस दिये थे;

(ख) पश्चिमी रेलवे के प्रशासन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22(6) के अनुसार इनमें से कितने नोटिसों की प्राप्ति की सूचना दी थी; और

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कितने नोटिसों की प्राप्ति की सूचना नहीं दी गई थी और उसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इक्कीस।

(ख) अधिनियम की धारा 22(6) के अधीन पावती की सूचना भेजना अपेक्षित नहीं था।

Monthly loss on Rajdhani Express

261. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of loss suffered by Government monthly on Rajdhani Express.

(b) the revenue earned by Government from this train during the last two years; and

(c) the expenditure incurred by Government on the up-keep of the train during the year 1971-72 ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) It is not possible to work out the profit or loss on Rajdhani Express trains because expenses are not booked train-wise.

(b) The revenue earned from the Rajdhani Expresses running between New Delhi and Howrah during the last two financial years was as under :

Year	Earnings Rs.
1970-71	71.45 lakhs
1971-72	71.09 lakhs

The Rajdhani Expresses between New Delhi and Bombay Central have been started from 17th May, 1972. The earnings from these trains from 17-5-72 to 31-10-72 were Rs. 22.62 lakhs. It is to be mentioned in this connection that these trains were not run during the period from 1-8-72 to 7-10-72 due to breaches in the track resulting from heavy rains on Gangapur City—Mathura section.

(c) No separate accounts are kept for the maintenance of the Rajdhani Express Rakes.

U.N. Experts' Report on Construction of Ganga Cauvery Canal

262. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Prasannabhai Mehta :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the team of U.N. Experts has since submitted its Reports to Government regarding the construction of Ganga Cauvery Canal, and

(b) if so, the main features thereof and Government's reaction to the recommendations made therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Team of U. N. Experts has submmitted in August, 1972, its report on the National Water Grid for India.

(b) The Mission has endorsed the concept of the National Water Grid for future water resources development of India. It has observed that by the year 2000 A.D. or so the National Water Grid will be a vital necessity as India's national economy in its development and growth will be confronted with the problem of increasing scarcity of water by that time. It has been emphasised that no time should be lost to start the very complex and difficult investigations so that plans will be matured and prepared in due time and the facilities will become operative when the need will have come.

As regards the Ganga Cauvery Link Scheme, which is proposed to be the first link of the National Water Grid, the Mission believes that the project is technically feasible and presents no insurmountable engineering or construction problems but requires continuing study and refinement during several years to come.

The Mission has further observed that the proposed Ganga Cauvery Link Canal is by far largest project conceived in India. The engineers and other technical experts of India have experience in the planning, design and operation of water development projects. Large technical man power resources are also available in the country. This reserve of knowledge and personnel is adequate to undertake this scheme.

Apart from certain recommendations on the technical aspects of the scheme as regards planning, design and investigations, the Mission has made the following important recommendations in regard to institutional provisions for the successful implementation of the National Water Grid :—

(a) There should be a Government declaration that water is a national resource to be developed for the overall benefit of the nation. The distribution of responsibilities between the federal Government and the States should be based on a new federal water law.

(b) Water planning should be established on a national level. It should be based upon an inventory of the nation's water resources and water requirements and should set forth the general criteria for both surface and groundwater resources development to provide water for human and community needs, water for irrigation and industrial use, flood control, inland navigation, water quality control, and protection of the ecology. From the studies of the national water plan, the imbalance of water supply and demand on the national level will emerge and the general routes for the links of the National Water grid will become apparent.

(c) The foregoing programmes of study and implementation of National Water planning and of the features of the National Water Grid should be

carried out by a Central Water Authority, under the general guidance of a policy board on which the States and all federal Ministries and Agencies concerned with water should have membership. The Authority should be generally organised to reflect the major activities of planning, design, construction, operation and maintenance, financing and water pricing.

The recommendations of the report are receiving attention. After acceptance, it is proposed to take up field investigations and office studies of the National Water Grid in general and the prposed Ganga Cauvery Link Scheme in particular.

Nature of Accidents for Grant of Daily Allowance to S & T Department Staff

263. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3941 on the 29th August, 1972 regarding payment of Daily Allowance in lieu of Breakdown Allowance and state the nature of accidents in respect of which Daily Allowance is granted to the employees of the Signal and Telecommunications Department of the Indian Railways in place of Accident Allowance and Breakdown Allowance ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : For purposes of grant of breakdown allowance to specially earmarked staff of running sheds, carriage & wagon depots and relief train electrical units at nominated junctions as well as for purpose of special concessions like free food and T.A./Daily Allowances without stipulation of time & distance, to other staff of all departments including Signal & Telecommunication Department actually detailed to attend breakdown duties, a breakdown may be any accident which involves the calling out of breakdown train or engine with special staff or equipment from the nearest breakdown depot or shed or a breach or wash-away on the line which interrupts normal traffic.

विदेशी तेल कम्पनियों की पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग

264. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियां बार-बार यह मांग कर रही है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जाय;

(ख) यदि हां, तो ये तेल कम्पनियां किस अधार पर मूल्य-वृद्धि की मांग कर रही है; और

(ग) उस पर सरकार का क्या रवैया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). तीन विदेशी तेल कंपनियों की शोधन कंपनियों ने कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण शोधनशाला द्वार पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग की थी। सरकार ने उनके अध्यावेदन पर ध्यान-पूर्वक विचार किया है किन्तु उन्होंने फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धियां करना संभव नहीं पाया है।

धर्मजी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी द्वारा बम्बई में उर्वरक कारखाने की स्थापना

265. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मजी मोरारजी कैमीकल कम्पनी ने, जिसे बम्बई के पास एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था, कारखाना लगाने का इरादा छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। मे० धर्मजी मोरारजी केमिकल कम्पनी लि० ने अपना औद्योगिक लाइसेंस वापिस कर दिया है ।

(ख) इस कम्पनी ने इस उर्वरक प्लांट को आरम्भ में सेवा-न्हावा, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र में लगाने का प्रस्ताव किया था। दि सिटी एण्ड इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र (सिड्को) ने, परियोजना के दूषण प्रभाव के आधार पर, प्रस्तावित स्थान के लिय अनुमति नहीं दी है। सिड़को द्वारा रत्नागिरी जिले के डभोल में एक वैकल्पिक स्थान को मे० डी० एम० सी० ओ० ने उनके उर्वरक प्रायोजना की स्थापना के लिये उपयुक्त नहीं समझा ।

काबिनी नदी के जल के बारे में मैसूर और केरल के मध्य विवाद

266. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी को एक सहायक नदी, काबिनी, के जल के संबंध में मैसूर और केरल के बीच कोई विवाद है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि मैसूर स्थित काबिनी परियोजना के पूरा होने पर केरल के कुछ क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) . योजना आयोग ने 1958 में, एक लघु आकार की काबिनी परियोजना अनुमोदित की जिससे केरल की कोई भी भूमि जलभग्न नहीं होनी थी ।

मैसूर सरकार ने जुलाई, 1970 में एक संशोधित काबिनी परियोजना भेजी थी जिससे केरल में कुछ क्षेत्र जलमग्न होना था। संशोधित परियोजना, जिसको भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, से पता चलता है कि केरल राज्य में लगभग 254 एकड़ कृष्य भूमि पश्चजल से प्रभावित होती है ।

केरल सरकार द्वारा परियोजना का विरोध किया गया था । कावेरी जल-विवाद को हल करने के लिए अभियंताओ, एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश और एक कृषि विषशज्ञ को एक तथ्यान्वेषों समिति का गठन किया गया है, जो कावेरी जल से सम्बन्धित सभी सम्बन्ध आंकड़े एकत्रित करने, इसके उपयोग आदि और इन आंकड़ों को आधार मान कर तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्यमंत्रियों में मतभेदों को दूर करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा ।

एलप्पी होते हुए कोचीन से कायमगुलम तक रेलवे लाइन

267. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एलप्पी होते हुए कोचीन से कायमगुलम तक एक रेलवे लाईन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है और उस पर अनुमानित कितना व्यय आयेगा ; और

(ग) यह रेलवे लाइन कब तक बिछाई जायगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई). (क) से (ग). जी हां। 1970 में किये गये सर्वेक्षण से प्रकट होता है है यह योजना आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद है। सर्वेक्षण द्वारा पता चला है कि लाइन बनाने की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये थी। इस क्षेत्र में बहुत अच्छी सड़कें एवं अन्तर्देशिय जलमार्ग उपलब्ध हैं। वर्तमान क्विलन-इर्णाकुलम मीटर लाइन जिसका बड़ी लाइन में बदलाव किया जा रहा है, तट से अधिक दूर भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और नयी रेलवे लाइनों के बनाने के लिए उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए, इस योजना पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन

268. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी संविधान-संशोधन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव का आधार क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

ईराक से आयातीत कच्चे तेल की मात्रा

269. **श्री रामकंवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईराक से कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या ईराक से आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें कितनी वृद्धि की जायेगी और इसके परिणामस्वरुप कच्चा तेल कहां तक आसानी से उपलब्ध होने लगेगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) 1972-73 के वित्तीय वर्ष के दौरान ईराक से कुल 425,000 मीटरी टन कच्चा तेल आयात करने का विचार है।

(ख) और (ग). 1973-74 के दौरान कच्चे तेल का आयात बढ़ कर 700,000 मीटरी टन और 1974-75 के दौरान 825,000 मीटरी टन हो जाएगा। इस समस्त कच्चे तेल के बरौनी शोधनशाला के तीसरे यूनिट में शोधित किये जाने का विचार है। इन आयातों से देश में कच्चे तेल की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी और ये वर्तमान आयातों से अधिक होंगी। कच्चे तेल की अन्य आवश्यकताओं के लिय उपयुक्तता तथा बढ़ती हुई जरूरतों पर निर्भर होते हुए इस कच्चे तेल के आयात की मात्राओं में और वृद्धि की जा सकेगी।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र

270. **श्री राम कंवर :**

श्री पन्नालाल बारुपाल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों ने सरकार के किसी रवैये के विरोध स्वरुप हाल ही में त्यागपत्र दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने त्याग पत्रों में ऐसा करने के क्या कारण बताए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख): भारतीय उर्वरक निगम के कुछ निदेशकों ने एक पत्र प्रस्तुत किया था जिस में सरकारी उपक्रमों में उच्च-स्तरीय पदों से संबन्धित पेनल बनाने की वर्तमान कार्यप्रणाली के लागू किये जाने से उत्पन्न कठिनाईयों जिनका कि प्रबन्धकों को सामना करना पड़ता है और विशेष रुप से निगम द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को पेनल में न लिये जाने की ओर ध्यान दिलाया गया था। पत्र में यह भी कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र में स्व-शासन को बनाये रखने हेतु यदि इस कार्य प्रणाली को उचित रूप से न बदला जाय तो उस पत्र को उनका त्याग पत्र समझा जाये। इस विषय में चेयरमैन प्रबन्ध निदेशक के साथ विचार विमर्श किया गया था। उन के द्वारा उठाए गये प्रश्नों की जांच की जा रही है।

दिल्ली में तिलक ब्रीज को चौडा करना

271. **श्री शशि भूषण :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिलक ब्रिज को चौड़ा करने का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इसे पूरा करने की पुनरीक्षित अनुसूची क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : तिलक पुल को चौड़ा करने के काम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि दिल्ली नगर निगम सड़क यातायात को दूसरे मार्ग से ले जाने में असमर्थ था क्योंकि वक्फ बोर्ड की मस्जिद के समीप वाली जमीन के टुकड़े को अधिग्रहण करने में कठिनाई थी। जिस काम को मार्च, 1974 तक पूरा करने का कार्यक्रम था अब उसके अक्टूबर, 74 तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में तीसरे मुख्य रेलवे जंक्शन का निर्माण

272. **श्री शशि भूषण:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तीसरे मुख्य रेलवे जंक्शन का निर्माण करने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला और दिल्ली में तीसरे रेलवे जंक्शन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और प्रस्तावित स्थान कौन सा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): सर्वेक्षण और अध्ययन किये जा रहे है और आशा है कि ये 1973 में पुरे हो जायेंगे जिसके बाद ही परिणाम मालूम होंगे।

इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकनिकल सिगनल मेन्टेनर्स के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

273. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री उत्तर रेलवे के इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल मेन्टेनर्स के पदों का दर्जा बढ़ाय जाने के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3814 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पद संख्या पी० सी० 68/एफ० ई० 2/4 दिनांक 9 नवंबर, 1971 द्वारा दिये गये आदेशों की क्रियान्विति की नवनितम स्थिति क्या है ।

(ख) विभिन्न रेलवे जोनों में जोनवार 175-240 रुपये के वेतनमान में नियुक्त अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिगनल मेनटेनर्स की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली गाजियाबाद, सहारनपुर, अम्बाला छावनी जैसे बड़े-बड़े यार्डों में 175-240 रुपये के वेतनमान में मैकेनिकल सिगनल मेनटेनर्स के पद नहीं बनाये गये हैं; और

(घ) क्या उत्तर रेलवे दिल्ली क्षेत्र और अन्य स्थानों पर 110-160 और 130-372 रुपये के वेतनमानों में काम कर रहे इलैक्ट्रिकल सिगनल मेनटेनर्स रुट रिले इन्टरलौकिंग के आधुनिकतम उपकरणों को चला रहे हैं यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उत्तर रेलवे पर बोर्ड के 9-11-1971 के आदेशों को अभी तक पूर्ण रुप से लागू नहीं किया गया है । अतिरिक्त बिजली/यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों की व्यवस्था के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 175-240 रुपय के ग्रेड में कोई पद नहीं है । 175-240 रुपये के ग्रेड में यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों की व्यवस्था के प्रस्ताव पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ।

(घ) केवल दिल्ली मण्डल में ही रुट रिले अंतर्याश व्यवस्था शुरू की गयी है; उत्तर रेलवे के अन्य किसी मण्डल में नहीं । इस समय 110-180 रुपये और 130-212 रुपये के ग्रेड में काम कर रहे बिजली सिगनल अनुरक्षक ही रूट रिले अंतर्याश और ब्लाक उपकरणों को चला रहे हैं । दिल्ली मण्डल में 175-240 रुपये के ग्रेड में बिजली सिगनल अनुरक्षकों की व्यवस्था के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । इस संबंध में प्रगति पर निगाह रखी जा रही है और उसे तेज किया जा रहा है । उत्तर रेलवे से कहा जायेगा कि वह इसे सुनिश्चित रुप से यथासंभव शीघ्र लागू करने की व्यवस्था करे ।

तरल पैट्रोलियम गैस की कमी

274. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **पैट्रोलियम** औप **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरों में कुकिंग के लिए प्रयुक्त तरल पैट्रोलियम गैस की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग): गत जुलाई तथा अगस्त के महीनों के दौरान एल० पी० जी० की घरेलू उपयोग के लिये कहीं कहीं कमी हो गई थी । कमी मुख्यत: तोड़फोड़ से हुई परिवहन संबंधी कठिनाइयों तथा बर्मा शैल एवं एस्सो शोधनशालाओं के पास उत्पादों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुई थी । भारतीय तेल निगम ने अब इन

दोनों कम्पनियों को इस उत्पाद की कुछ मात्राएं दी हैं ताकि वे अपने वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। भारतीय तेल निगम ने बर्मा शैल और एस्सो के कुछ ग्राहकों को ले लेने का भी निर्णय किया है ताकि ग्राहकों को नियमित रुप से सप्लाई की जा सके। इन उपायों को अपनाने से स्थिति में अब काफी सुधार हो गया है। स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारतीय रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्रों का पुनर्गठन

275. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्रों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई क्षेत्र में (मध्य तथा पश्चिमी रेलवे) अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी की दर

276. **(श्री श्री० एम० कल्याणसुन्दरम)** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई क्षेत्र में मध्य तथा पश्चिमी रेलवे द्वारा अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की दर क्या है;

(ख) बम्बई में अन्य उद्योगों में इन्हीं श्रेणियों के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी की तुलना में इस दर की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या वर्तमान बढ़े हुए जीवन निर्वाह व्यय को देखते हुए वर्तमान मजूरी की दर का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री(श्री टी० ए० पाई): (क) मध्य रेलवे 3-50 रुपये। पश्चिम रेलवे 3-00 रुपये।

(ख) राज्य सरकार ने बम्बई क्षेत्र में जो दरें निश्चित की हैं वे अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं। इनकी तुलना रेलों द्वारा निश्चित की गयी दरों से नहीं की जा सकती। सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद, रेलें, सभी क्षेत्रों के लिए नैमित्तिक मजदूरो की एक जैसी दरें निर्धारित करती हैं।

(ग) दरों का पुनरीक्षण समय-समय पर किया जाता है और उपर्युक्त क्षेत्र में अगला पुनरीक्षण शीघ्र किया जाने वाला है ।

समुद्र तटीय रेलवे लाइन द्वारा मंगलोर को बम्बई के साथ जोडना

277. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम समुद्र तट पर समुद्र तटीय रेलवे लाईन द्वारा मंगलोर को बम्बई के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे लाइन अथवा उसके किसी भाग का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है; और

(ग) रेलवे लाईन बिछाने पर अनुमानत: कितना व्यय आयेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग): आप्ता (बम्बई के निकट) से मेंगलूर तक एक नयी लाइन के लिए इंजीनियरी टोह और यातायात सर्वेक्षणों का काम हाल में पूरा हो गया है और रिपोर्टों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। इस लाइन की अनुमानित लागत 213 करोड़ रुपये होगी।

पंजाब में जनरेटर लगाया जाना

278. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार का विचार तीन मास में 35 जनरेटर लगाने का है;

(ख) इन्हें लगाने के बाद पंजाब को प्रतिदिन कितनी बिजली मिलेगी; और

(ग) क्या ये जनरेटर लग जाने के बाद, पंजाब पड़ौसी राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) कुल मिलाकर 13.74 मेगावाट के बारह डीज़ल सेट जनवरी, 1973 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में लगाए जाने की सम्भावना है। ये उन 24 सेटों (26.44 मेगावाट) के अतिरिक्त हैं जो पहले लगाए जा चुके हैं।

(ख) सभी डीज़ल सेटों की स्थापना के उपरांत इन सेटों से लगभग 5,6 लाख यूनिट अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होगी।

(ग) इस विद्युत का उपयोग केवल पंजाब में ही होगा।

माल डिब्बो के शीघ्र आवागमन के लिए शेडों से माल का हटाया जाना

279. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बो के शीघ्र आवागमन की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे शैडों से शीघ्रता से रेलवे माल हटाने पर मजबूर करने के लिए क्या प्रभावकारी कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) हेर फेर करने वालों और भ्रष्ट व्यापारियों द्वारा माल के डिब्बे रोक रखने की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग): यह विनिश्चय किया गया है कि 1-12-1972 से स्थान-शुल्क और विलंब शुल्क प्रभार की दरें बढ़ाकर इतनी बोझिल कर दी जायें कि रेल परिसर से माल शीघ्र हटा लिया जाया करे।

रेलवे के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना

280. **श्री समर गुह** :

श्री वी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रेलवे के प्रशासन में श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): (क) और (ख): रेलवे उद्यम के संचालन और उसे सुव्यवस्थित करने के बारे में निर्बाध प्रगति तथा विचारों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से सरकार ने एक संयुक्त मंच

स्थापित करने का विनिश्चय किया है जो "कार्पोरेट एंटरप्राइज ग्रुप आफ मैनेजमेंट एण्ड लेबर" (संक्षिप्त नाम सी० ई० जी०) कहलायेगा। इसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अपर सदस्य, सचिव रेलवे बोर्ड और नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मैन तथा आल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सी० ई० जी० के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

इस उद्यम की कार्य कुशलता और आर्थिक सक्षमता में सुधार करने के लिए रेलों के कार्य संचालन का मूल्यांकन करना और अर्थोपाय पर विचारों तथा आंकड़ों का आदान-प्रदान करना;

पूंजी निवंश कार्यक्रमों, विशेष रुप से आवासीय और कल्याण सेवाओं के बारे में निदेश कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना;

संगठनात्मक प्रभाव को अधिकतम कारगर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र एवं क्रियात्मक उपाय ढूंढना और एक सेवा संगठन के रुप में रेलों का चित्र तैयार करने के लिए शिल्प विज्ञान का उपयोग करना।

किंतु कर्मचारियों के मामलों, जिनमें वे मामले भी शामील हैं जो स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की परिसीमा में आते हैं पर सी० ई० जी० द्वारा विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल को दुब्दा बेसिन जल-निकास योजना की नहर की मार्ग रेखा में परिवर्तन

281. **श्री समर गुह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल की दुब्दा बेसिन जल निकास योजना की नहर की मार्ग रेखा में परिवर्तन करने का है;

(ख) क्या नहर की प्रस्तावित नई मार्ग रेखा से अधिक लागत आयेगी और रामनगर के निर्धन वर्ग के अधिकांश लोगों को कठिनाई होगी;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये गये है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : विभिन्न वैकल्पों पर अध्ययन करने के पश्चात, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई दुब्दा बेसिन स्कीम कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित स्कीम में रामनगर क्षेत्र में से जाने वाली आऊटफाल चेनलके लिए व्यवस्था की गई है। इस चेनल के रेखांकन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभ्यावेदनों की जांच के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि स्वीकृत स्कीम के अनुसार कार्य चलाया जाए।

बंबई और कलकत्ता की भूमिगत रेलवे पर व्यय

282. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में 22 किलोमीटर भूमिगत रेलवे पर 300 करोड़ रुपये व्यय आयेगा जब कि कलकत्ता में 18 किलोमीटर भूमिगत रेलवे पर 180 करोड रुपये व्यय आयेगा।

(ख) यदि हां, तो बंबई और कलकत्ता में प्रस्तावित दो भूमिगत रेलों पर व्यय में इतना अधिक अंतर होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन भूमिगत रेलों के निर्माण के कार्य का ठेका किन संगठनों को दिया गया है; और

(घ) इन दोनों भूमिगत रेलों का निर्माण कार्य आरंभ होने तथा पूरा होने की अवधि क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : बंबई में ट्यूब रेलवे से संबंधित अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है। तदनुसार इसकी लागत और लंबाई आदि के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

फिर भी, ब्रिटेन के परामर्शदाताओं ने, जिन्हें महानगर परिवहन परियोजना संगठन को राय देने के लिए नियुक्त किया गया था, अन्तिम रुप से यह सुझाव दिया गया था कि कोलाबा और कुर्ला के बीच द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए 25 कि० मी० लंबी एक रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में विचार किया जाये। अब इस लाइन की व्यावहारिकता पर अध्ययन किया जा रहा है परामर्शदाताओं ने बहुत मोटे अंदाज के तौर पर उपर्युक्त लाइन के निर्माण की संभावित लागत भी लगभग 195 करोड़ रुपये निकाली थी। महानगर परिवहन परियोजना संगठन व्यावहारिकता अध्ययन के आधार पर परियोजना लागत का मूल्यांकन कर रहा है।

दमदम-टालीगंज खंड के लिए कलकत्ता में भूगत रेलवे लगभग 16.5 कि० मी० लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये होगी।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, बंबई द्रुत परिवहन प्रणाली लाइन के विभिन्न तत्वों की लागत के लिए स्पष्ट रुप से कारण बताना संभव नहीं है। इस प्रकार, बंबई और कलकत्ता के बीच खर्च आदि की तुलना करना अभी संभव नहीं है।

(ग) और (घ) : कलकत्ता परियोजना के लिए डिजाइन और निर्माण का काम 1972-73 में शुरू किया गया था और इस परियोजना के पुरे होने में 7 वर्ष लग जाने की सम्भावना है। कलकत्ता में निर्माण के लिए टेंडर मांगे गये हैं, लेकिन अभी मिले नहीं हैं। इसलिए, कलकत्ता भूगत रेलवे के लिए ठेकेदारों के संगठन के नाम नहीं दिये जा सकते।

इस संबंध में बंबई के विषय में अभी प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बिजली का संकट

283. **श्री समर गुह :**

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वर्तमान बिजली संकट को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली का संकट अभी विद्यमान है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में, विशेषकर औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखने के लिये, बिजली के संकट को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश में बिजली के संकट का सामना करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों/प्रदेशों को, यथा संभव, वर्तमान पारेषण सम्पर्कों के जरिए विद्युत स्थानान्तरण करना।

(2) रखरखाव कार्य को स्थगित करके और आरक्षित मात्रा को कम करके वर्तमान उत्पादन क्षमता के समुपयोजन को बढ़ाना।

(3) निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

(4) फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को, जहां संभव हो, बिजली का आवंधित स्थानान्तरण करने के लिए स्वीकृत अन्तर्राजीय और अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों के निर्माण में तेजी लाना ।

(ख) जी, हां । उपलब्ध ऊर्जा में लगभग एक मिलियन यूनिट प्रतिदिन और व्यस्ततम समय में लगभग 110 मेगावाट की कमी है ।

(ग) जब तक तीन-चरण वाशरिया स्थापित नहीं हो जाती सभी ताप केन्द्रों के लिए अच्छी किस्म के कोयले का प्रबंध किया जाना है ताकि ताप उत्पादन यूनिटों के आउटेजिज़ कम हो जाएं । अनिवार्य फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक तत्काल प्राप्त किया जाना है ताकि उन ताप उत्पादन यूनिटों को मरम्मत में तेजी लाई जा सके जो खराब हो जाते हैं । संतालडोह जैसी निर्माणधीन परियोजनाओं तथा संबंधित पारेषण कार्यों के प्रचालन कार्य में तेजी लाई जानी है । जब तक विद्युत प्रणाली में और योग नहीं हो जाते, दामोदर घाटी निगम को अपनी विद्युत प्रणाली में और अतिरिक्त भार नहीं लेना है ।

आसाम और गुजरात द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर रायल्टी में वृद्धि

284. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और गुजरात द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में हाल ही में वृध्दि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है और इसमें कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में असम और गुजरात को वर्षवार कुल कितनी रायल्टी अदा की गई ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 10 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ा कर 15 रुपये प्रतिटन कर दी गई है जो 1-1-72 से लेकर 31-3-79 तक लागू रहेगा । यह वृद्धि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये एक पंचट के अनुसार है; यह पंचाट केन्द्रीय सरकार और गुजरात एवं असम सरकारों के बीच हुए समझौते पर आधारित है ।

(ग) 1969,1970 तथा 1971 के वर्षों के दौरान असम आयल कंपनी तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने असम सरकार को कच्चे तेल पर रायल्टी के रुप में क्रमश: 318.38 लाख रुपये और 324.22 लाख रुपये दिये; और 1969-70 तथा 1971-72 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम सरकार को कच्चे तेल पर रायल्टी के रुप में क्रमश: 22.46 लाख रुपये 18.72 लाख रुपये तथा 30.38 लाख रुपये दिये । इन तीन वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात सरकार को क्रमश: 338.16 लाख रुपये, 366.16 लाख रुपये तथा 371.85 लाख रुपय की रायल्टी दी ।

'दुहाई हाल्ट' (उत्तर रेलवे) पर रेल टिकटों के विक्रय से आय

285. **श्री एम० राम गोपालरेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलडहर और मुरादनगर रेलवे स्टेशनों के बीच दुहाई में रेलवे 'ट्रेन हाल्ट' है और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस हाल्ट पर टिकटों के विक्रय से कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) 1970-71 और 1971-72 के दौरान इस हाल्ट स्टेशन पर टिकटों की विक्री से कुल 65376 रु० की आमदनी हुई।

बिजली की कमी के कारण उर्वरक कारखानों के उत्पादन में कमी

286. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की कमी के कारण कुछ उर्वरक कारखाने आंशिक रूप से बन्द हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी के कारण कितने कारखानों के उत्पादन में कमी हुई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : विद्युत कमी का सात उर्वरक कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था परन्तु कोई कारखाना विद्युत की कमी के कारण आंशिक रुप में भी बन्द नहीं हुआ था।

जम्मू के निकट छिद्रण कार्य

287. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू के निकट तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण किये जा रहे तेल के कुएं में सफलता प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस तेल के कुएं के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। व्यधन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) 6000 मीटरों की आयोजित गहराई की तुलना में कुएं का अभी तक 3665 मीटर तक की गहराई तक व्यधन हुआ है।

धीमी प्रगति के मुख्य कारण निम्नप्रकार हैं :—

(1) शैल समूह के नमन की बड़ी कोण जिसके कारण अनुमय सीमाओं से आगे कुएं का विचलन न होने देने के लिए विशेषकर सावधानी बरतनी पड़ती है;

(2) बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से ही व्यधन मिट्टी का अप्रत्याशित उच्च तापमान जिसके कारण मिट्टी पम्प का अन्तिम भाग शीघ्र ही घिस गया।

(3) अत्यधिक दबाव से पाली का बार बार निस्सारण जिसको दूर करने के लिए मिट्टी का अपेक्षित गुरुत्व बहुत अधिक बढ़ाना पड़ा था; इसका फल हुआ अत्यन्त मन्द गति से खुदाई;

(4) ड्रिल विट् जो कि 804 मीटर की गहराई पर खुदाई के दौरान खुल गया था, के मिलिंग कार्य में लगा समय;

(3) विभिन्न गहराइयों में अड़चनें और अड़चनों को हटाने में लगा समय।

आंध्र प्रदेश में नदिकुडि (बीबीनगर) और गुन्टुर के मध्य नई रेलवे लाइन बिछाना

288. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में नदिकुडि (बीबीनगर) और गुंटूर के मध्य रेलवे लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने के लिए केंद्र से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख) : सिकंदराबाद (बीबीनगर) से नाडीकुडे तक एक बड़ी लाइन के निर्माण और गुंटूर-माचेरला मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए मिली जुली परियोजना के रूप में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही हैं।

नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को अलग-अलग दर से आवास भत्ता दिया जाना

289. **श्री प्रताप सिंह नंगो** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को अलग-अलग दर से आवास भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार को अनेकों शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारी संघ ने भी इसका घोर विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी नहीं, किन्तु भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) सितम्बर, 1971 में सरकार द्वारा जारी की निर्देशन रेखाओं के अनुसार दिल्ली में स्थित सरकारी उद्यमों में सारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आवास भत्ता, सम्बद्ध कर्मचारियों के मूल वेतन के अधिकतम का 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार 1-10-1972 से दिल्ली में स्थित निगम के कर्मचारियों का आवास भत्ता 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। किन्तु बाद में बंगला देश से शरणार्थियों की भारी संख्या में आने से उत्पन्न स्थिति के कारण सरकार ने दिसम्बर 1971 में निर्णय लिया था कि यह वृद्धियुक्त आवास-भत्ता लागू नहीं होगा। किन्तु निगम ने उन मामलों में जहां पर कर्मचारियों ने मालिक मकानों के साथ वृद्धियुक्त आवास भत्ते के लिए पक्की वचनबद्धता की हुई थी, 30 प्रतिशत आवास भत्ते की वृद्धि-दर को तत्काल वापिस नहीं लिया था। ज्योंहि वे उन मकानों को, जिनमें वे आजकल रह रहे हैं, खाली करेंगे उस समय से उनको वेतन का 25 प्रतिशत अर्थात् मूल दर पर आवास भत्ता दिया जायेगा।

बाराबंकी और गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

290. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर बाराबंकी और गोरखपुर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य रुपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): यह खंड बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबधित परियोजना का अंग है जिसे 25-4-1972 को मंजूर किया गया है। इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर ली गयी है।

बिजली घर के उपकरणों का निर्माण करने वाले स्वदेशी एककों संबंधी प्रतिवेदन

291. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजलीधर के उपकरणों का निर्माण करने वाले स्वदेशी एककों की क्षमता का निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में बिजली का उत्पादन

292. **प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पनबिजली, तापीय बिजली और अणु-शक्ति से बिजली का वर्तमान उत्पादन कितना है और प्रत्येक राज्य में वर्तमान इसकी आवश्यकता कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में बिजली की कमी को सरकार किस प्रकार और कब तक पूरा करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) विवरण संलग्न है जिसमें 1970–71 के वर्ष, जिसके लिए अद्यतन आंकड़े विस्तार में उपलब्ध है, के लिए प्रत्येक राज्य में विद्युत शक्ति, जल विद्युत, ताप और परमाणु विद्युत का उत्पादन दर्शाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3658/72]**

विवरण–II भी संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य में विद्युत की दैनिक आवश्यकताओं के मुकाबले दैनिक विद्युत उत्पादन दर्शाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3658/72]**

(ख) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जिसके अधीन पाँचवी योजना के अंत तक विभिन्न राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए देश में कूल 42 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित की जानी है। यदि योजना के अनुसार परियोजनाएं क्रियान्वित की जाए, 1978–79 तक विभिन्न राज्यों की विद्युत आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी।

गंडक नदी घाटी परियोजना द्वारा सिंचाई

293. **प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) जब गंडक नदी घाटी परियोजना पूरी हो जाएगी (एक) बिहार (दो) उत्तर प्रदेश और (तीन) नेपाल कुल कितने क्षेत्र को सिंचाई हो सकेगी; और

(ख) गोरखपुर जिले को पूरी तहसील पतरेन्दा में, जहां इस समय सिंचाई का कोई साधन नहीं है, गण्डक परियोजना से कब तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गंडक परियोजना के पूर्ण होने पर सिंचाई के अधीन लाया जाने वाला कुल क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा :—

बिहार . .	11.51 लाख हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश . .	3.08 लाख हैक्टेयर
नेपाल . .	0.52 लाख हैक्टेयर

(ख) गंडक परियोजना में, जिस प्रकार से यह अब कार्यान्वित हो रही है, गोरखपुर जिला की फरेन्दा तहसील में सिंचाई की परिकल्पना नहीं की गई है। इस क्षेत्र में सिंचाई करने का कौन सा अत्युत्तम तरीका है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को गंडक परियोजना द्वारा बिजली की सप्लाई

294. **प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गण्डक परियोजना पूरी होने पर (1) बिहार (2) उत्तर प्रदेश और (3) नेपाल को कितनी कितनी बिजली सप्लाई की जायगी ;

(ख) गण्डक परियोजना पर आरम्भ में प्रस्तावित लागत कितनी थी और उसके पूरा होने पर इस पर कुल कितना खर्च होगा; और

(ग) विभिन्न हितग्राहियों द्वारा उक्त व्यय को किस प्रकार बांटकर वहन किया जायगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बहुदेश्यीय गंडक परियोजना द्वारा उत्पन्न की जा रही समस्त 15 मैगावाट विद्युत नेपाल को दी जानी है अतः गंडक विद्युत केन्द्र से बिहार और उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) अक्तूबर, 1969 में योजना आयोग द्वारा यथास्वीकृत बहुद्देश्यीय गंडक परियोजना की अनुमानित लागत 158.57 करोड़ रुपये है (विद्युत सम्बन्धी भाग की लागत 7.44 करोड़ रुपय है) परियोजना की लागत इसके पूर्ण होने पर 220 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की सम्भावना है ।

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल लाभ स्कीमों के बीच परियोजना की लागत का विभाजन निम्नलिखित है :—

बिहार . .	159 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश .	39 करोड़ रुपये
नेपाल लाभ स्कीमें .	22 करोड़ रुपये

हिन्दी में रेलवे को समय-सारणी प्रकाशित करने वालों को कागज की समान दर पर सप्लाई

295. **श्री एस० सी० सामंत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हिन्दी समय सारणी के प्रकाशकों के इस अनुरोध पर अनुकूल विचार नहीं किया गया कि उन्हें विभिन्न जोनों की समय सारणी के लिये रंगीन कागज सहित छपाई का कागज उसी दर पर उपलब्ध कराया जाय जिस पर कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी की समयसारणी के लिये उपलब्ध कराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऐसे किसी अनुरोध पर इस मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे समय-सारणी के विक्रय पर समान कमीशन दर

296. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्हीलर तथा अन्य बुक-स्टाल एजेंसियों से, हिन्दी की रेलवे समय-सारणी के विक्रय पर कमीशन की दर कम करने के लिए कहना उचित समझती है, चाहे प्रकाशक इस संबंध में अनुरोध न भी करे;

(ख) विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बुक-स्टाल मालिकों द्वारा 28 प्रतिशत से अधिक कमीशन लिये जाने क्या कारण हैं जब कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी की अखिल भारतीय समय-सारणी के विक्रय पर केवल 12.$\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन लेते हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिन्दी समय-सारणी के साथ के ऐसा भेदभाव न बरता जाएं, कोई कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग) : अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में छपी क्षेत्रीय रेलवे समय-सारणियों की बिक्री पर मेसर्स ए० एच० व्हीलर और अन्य पुस्तक विक्रेताओं को जो कमीशन दिया जाता है उसकी दर 20 और 25 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है। रेलवे बोर्ड द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी की बिक्री पर मेसर्स ए० एच० व्हीलर आदि को दिये जाने वाले कमीशन की दर 12.$\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। "रेलवे टाइम टेबुल आफिस" वाराणसी नाम की निजी संस्था द्वारा हिन्दी में प्रकाशित अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी की बिक्री पर रेलवे स्टालों के पुस्तक विक्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले कमीशन की दर के संबंध में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। चूंकी रेलवे बुक स्टालों पर हिन्दी में प्रकाशित अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी की बिक्री और तत्संबंधी अन्य बातें एक निजी संस्था और संबद्ध बुक स्टाल एजेंट के बीच की आपसी व्यवस्था है अत: इस प्रकाशन पर लिये जाने वाले कमीशन की दर के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई विचार नहीं है ।

शालीमार यार्ड (दक्षिण पूर्व रेलवे) में पैकेजों को न हटाया जाना

297. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सितम्बर, 1972 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार यार्ड में 86,000 पैकेज विना हटाये पड़े थे; और

(ख) क्या सरकार ने उन पैकेजों को उठाने के लिए कोई कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 20 सितम्बर, 1972 को शालीमार शेड में 84,542 पैकेज बिना सुपुर्द किये रह गये थे।

(ख) जी हाँ।

सियालदह यार्ड (पूर्वी रेलवे) में माल डिब्बों का रुका रहना

298. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 सितम्बर, 1972 को पूर्वी रेलवे के सियालदह यार्ड में 900 माल डिब्बे रुके पड़े थे; और

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : जी नहीं। 21 सितंबर, 1972 को सियालदह माल यार्ड में अर्द्ध रात्रि को रुकने वाले माल डिब्बों की संख्या केवल 301 थी। निकट अतीत में किसी भी दिन अवशिष्ट मालडिब्बों की संख्या 100 नहीं रही।

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा बड़ी लाइन का मिराज से गोवा और लोंडा से हास्पेट तक विस्तार

299. **श्री श्यामनंदन मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ी लाइन का मिराज से गोआ और लोंडा से हास्पेट तक विस्तार करने तथा वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बात क्या है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): मिरज से मार्मगोआ, लोंडा से हास्पेट और अलनवरा से डंडेली तक के खंडों को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1963-64 में इंजीनियरी और यातायात सवक्षण किये गये थे। इस बदली पर उस समय 33 करोड रुपये की लागत का अनुमान लगाया गयाथा। वर्तमान लागत लगभग 45करोड़ रुपये होगी करोड़ पहले किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्टों को अद्यतन बनाने का प्रश्न फिलहाल विचाराधीन है। जिसका विनिश्चय बेलारी होसपेट लौह अयस्क भंडारों के समन्वित विकास के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

गोविन्द सागर के जलाशय में गाद जमा हो जाना

300. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोविन्द सागर के जलाशय में गाद अनुमान से अधिक जमा हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका जलाशय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) बांध में गाद के बहने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जलाशय के प्रथम पांच वर्षों की अवधि के लिए किए गए पर्यवक्षणों से पता चला है कि परियोजना रिपोर्ट में प्रत्याशित गाद भरने की दर से इस अवधि में गाद भरने की दर अधिक रही है। इसके बाद के वर्षों में किए गए पर्यवेक्षणों से बहरहाल, यह पता चला है कि गाद भरने की दर क्या हो गई है और इस लिए जलाशय के जीवन काल के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) बाहक्षेत्र में गाद को कम करने के लिए भूसंरक्षण उपाय हाथ में ले लिए गए हैं।

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या

301. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70 और 1970–71 में रेलवे सुरक्षा दल के कमचारियों की संख्या कितनी कितनी थी?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : 1969–70 और 1970–71 में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 55,793 और 56,848 थी।

प्रत्येक रेल गाडी के साथ सशस्त्र गार्द की व्यवस्था

302. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक गाड़ी में एक सशस्त्र गार्द की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ऐसी मांग कुछ राज्यों से प्राप्त हुई है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) नहीं।

Posts of Judges vacant in Supreme Court and High Courts

303. **Shri Narendra Singh :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the total number of posts of Judges which remained vacant in the Supreme Court and in each of the High Courts at the end of the last three years indicating the reasons therefor?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhle) : A statement showing the vacancy position in the Supreme Court and in each of the High Courts at the end of 1969, 1970 and 1971 is attached. [*Placed in the Library*. See *No. L. T.*—3659/72.]

According to the procedure laid down, proposals to fill vacancies in the Supreme Court have to be initiated by the Chief Justice of India. In respect of vacancies in the High Courts, the proposals will be initiated by the Chief Justice of the High Court concerned and sent to the Chief Minister. The Chief Minister will in consultation with the Governor forward his recommendations to the Government of India. If

there is a difference of opinion between the Chief Justice and the Chief Minister, an attempt is made to resolve the difference by personal discussion or by correspondence. The process of consultation necessarily takes some time. To avoid delay in the appointments it has been impressed on the State authorities that proposals to fill vacancies in the High Courts should be initiated well in advance of the occurrence of the vacancies.

मध्य प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को ठेके देना

304. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्रायोगिक परियोजनायें चालू की हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य रुपरेखा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत कोई ठेका दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या हैं और उनको किस प्रकार का निर्माण कार्य सौपा गया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में ये बातें रखी गयी हैं :—

(i) बेरोजगार सिविल इंजीनियरी स्नातकों को शुरू में बयाना और प्रतिभूति जमा कराये बिना एक लाख रुपये तक की लागत के सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के ठेके देना;

(ii) जिन ठेकेदारों के पास 10 लाख रुपये और इससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों के ठके होंगे उन्हें कम से कम ऐसे दो नये सिविल इंजीनियरी स्नातकों और दो सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा धारियों को नियुक्त करना होगा जिन्हें कोई अनुभव न हो और उन्हें छः महीने की अवधि के लिए कम से कम 150/- रुपये मासिक प्रति व्यक्ति वृत्तिका देनी होगी और इसके बाद ठके की अवधि तक के लिए प्रत्येक स्नातक को प्रति माह कम से कम 250 रुपये और प्रत्येक डिप्लोमा धारी को प्रति माह 150 रुपये देने होंगे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Requirement of Power in the Country

305. **Shri Narendra Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the present requirement of power and extent thereof after one year;

(b) the extent to which the demand is being met at present (particularly in dry months) and the extent to which it is likely to be met after one year; and

(c) the approximate value of industrial and agricultural loss suffered by India every year on account of power shortage during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) The present peak demand for power in the country is about 12.3 million kW with the corresponding energy demand of about 197 million kWh per day. The peak demand after a year is estimated at about 14 million kW with the corresponding energy demand of about 225 million kWh per day.

(b) At present during the drought period, there is a shortage to the extent of about 25 million kWh per day. Subject to favourable monsoon during the next year and the additional 1.4 million kW of generating capacity being commissioned as targetted, the shortage will be reduced very considerably.

(c) It is not possible to assess, accurately, in terms of money, the loss of production in the field of industry and agriculture due to shortage of power, as the production in these sectors depend on a multiplicity of factors.

Division-Wise supply of Railway Wagons

306. Shri Narendra Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the Division-wise data in regard to the demand and supply of Railway wagons throughout the country during each of the last nine months;

(b) the action taken by Government to cope with the demand; and

(c) whether any method for immediate removal of difficulty faced at a particular station in this regard has been evolved?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) to (c): Two statements are attached. [*Placed in the Library.* See *No. LT*—3660/72.]

कच्चे तेल के आयात के लिये ईराक और कुवैत के साथ करार

307. **श्री राम सहाय पांडेय :**

श्री भान सिंह भौंरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ईराक और कुवैत के साथ हाल ही में बातचीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) क्या उन देशों में कच्चे तेल के आयात के लिये परिवहन व्यवस्था को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) 1972–75 के दौरान 1.95 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के आयात के लिये ईराक नेशनल आयल कंपनी तथा भारतीय तेल निगम के बीच एक करार हो चुका है । समस्त कच्चे तेल के बरौनी शोधनशाला के तीसरे यूनिट में शोधित किए जाने वाले का प्रस्ताव है तथापि इस कच्चे तेल की अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयुक्तता तथा बढती हुई जरूरतो पर निर्भर होते हुए इस कच्चे तेल के आयात की मात्राओं की उपयुक्त समय पर बढाया जा सकता है ।

दिल्ली में तरल पैट्रोलियम गैस सिलेण्डरों की कमी

308. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से दिल्ली में रसोई के लिए तरल पैट्रोलियम गैस सिलैण्डर की कमी से चल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए तरल पैट्रोलियम गैस सिलैण्डरों की कमी दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो क्या ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : गत जुलाई और अगस्त के महीनों में घरेलू प्रयोग के लिए तरल पैट्रोलियम गैस की अत्यन्त कमी रही थी। ये कमियां मुख्यत: दरारों के कारण परिवहन कठिनाइयों तथा बर्मा शैल एवं एस्सो शोधनशालाओं को उत्पादों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उत्पन्न हुई। भारतीय तेल निगम से इन दो कम्पनियों को उत्पाद की कुछ मात्राएं उपलब्ध हो गई है। ताकि वे अपने वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। भारतीय तेल निगम ने बर्मा शैल और एस्सो कम्पनियों के कुछ ग्राहकों को लेने का निश्चय किया है ताकि इन ग्राहकों को नियमित सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इन उपायों को अपनाने से अब स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा यथा शीघ्र सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बिहार के गांवों में बिजली की सप्लाई

309. **कुमारी कमला कुमारी** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर (बिहार) में कितने गांवों को बिजली मिल रही है; और

(ख) बिहार में उन गांवों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्हें 1975 तक बिजली मिल जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार के छोटा नागपुर डिविजन में 31-3-1972 तक 10.75 ग्राम विद्युतीकृत किए गए थे; और

(ख) यह आशा है कि चतुर्थ योजना के अंत तक (31-3-1974 तक) बिहार में 10,800 ग्राम विद्युतीकृत कर दिए जाएंगे। 1974–75 वर्ष के लिए लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

310. **कुमारी कमला कुमारी** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) दोनों राज्यों में इस समय कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार (दामोदर घाटी निगम को छोड़कर) विद्युत प्रणाली में लगभग 0.56 मिलियन यूनिट/प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश विद्युत प्रणाली में 3.3 मिलियन यूनिट/प्रतिदिन की उपलब्ध बिजली में इस समय कमी है ।

(ख) **बिहार के लिए** :— ताप यूनिटों को मजबूरन आउटेजिज को कम करने के लिए बिहार में ताप-विद्युत केन्द्रों के लिए अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई का प्रबंध किया जा रहा है। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा की जा रही पतरातू में दूसरे 50 मेगावाट के यूनिट के लिए रोटर की मरम्मत में तेजी लाई जा रही है। पतरातू में एक 100 मेगावाट सेट के लिए बायलरों में से एक का मुख्य बाध्य वाल्व हवाई जहाज से मंगाया जा रहा है। उड़ीसा और बिहार के बीच जोड़ा-चांदिल 220 के० वी० अन्तर्राज्यीय लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश के लिए :— मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को विद्युत सप्लाई यथासम्भव की जा रही है। उत्तर प्रदेश ओब्रा ताप-विद्युत केन्द्र में 100 सेट के प्रचालन में शीघ्रता लाई जा रही है ।

(ग) बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल दैनिक विद्युत उत्पादन क्रमशः 5.56 मिलियन यूनिट (दामोदर घाटी निगम को छोड़ कर) और 21 मिलियन यूनिट है ।

रांची और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस सेवा चालू करना

311. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची और दिल्ली के बीच बरास्ता चोपन, चुनार तथा गहंवा रोड एक एक्सप्रस सेवा चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किया जायगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में बिजली संयन्त्र की स्थापना

312. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामऊ जिले में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या अब उसे अन्य स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : बिहार के पलमऊ जिले में कोयल कारो जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 720 मैगावाट क्षमता के जल-विद्युत संयंत्र को प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है। अब इस परियोजना को पांचवी ोजना में कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जल विद्युत परियोजना होने के कारण इसका कहीं और स्थानांतरण करना सम्भव नहीं है ।

Irrigation Schemes in Drought Hit areas

313. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri G. T. Gotkhinde :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give priority to irrigation schemes in drought hit areas during the Fifth Plan; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : The proposals for the V Plan have not yet been finalised. While considering the inclusion of new irrigation schemes in the V Plan, priority is proposed to be accorded to schemes which will benefit drought areas.

Appointment of a Committee on Electricity shortage

314. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a Committee to look into the causes of acute shortage of electricity in the country and whether the said Committee has since submitted a report;

(b) whether Electricity supply position is deteriorating day by day; and

(c) the time by which the position in this regard is likely to improve ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) A group of Ministers has been set up to devise steps for bringing about an urgent improvement in the Power Supply Position.

(b) & (c) : At present during the drought period there is a shortage to the extent of 25 million kWh per day which is expected to come down considerably after a year, subject to a good monsoon and the commissioning of targetted 1.4 million kW of additional generating capacity.

Conversion of Narrow Gauge line upto Balaghat into broad gauge line in Madhya Pradesh

315. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in the absence of the broad gauge line in Balaghat District (M.P.), great difficulty is experienced in transporting Manganese from there to other parts of the country;

(b) whether the Railway Department propose to convert the metre gauge line into broad gauge line and if so by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No great difficulty in transporting Manganese Ore from the area is being experienced.

(b) & (c): A detailed traffic survey of the Satpura Narrow Gauge net work, which *inter aila* includes the Balaghat section, has been included in the Budget for 1971-72. The survey is now in progress. Further action will be taken after the survey is completed and results thereof become known.

Dispute over Narmada waters

316. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Somchand Solanki :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan have come to any agreement in regard to the long standing dispute over Narmada waters; and

(b) if so, the salient features thereof and whether the said agreement has been approved by the Prime Minister ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) & (b) : The Chief Ministers/Ministers of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan had discussions on the Narmada dispute from 18th to 22nd July, 1972. They pointed out that, though Narmada is one of the best rivers of the country with a great potential, it has not been developed so far and requested the Government of India to give priority to its development in this decade. The Chief Ministers felt that development of Narmada should no longer be delayed in the best regional and national interests and therefore agreed to the settlement of disputes connected with this river by mutual agreement and with the assistance of the Prime Minister.

The quantity of water in Narmada available for 75 per cent of the years is assessed at about 28 million acre feet. The requirements of Maharashtra and Rajasthan for use in their territories are 0.25 and 0.5 million acres feet respectively; these are without prejudice to the level of the Canal.

The Chief Ministers requested the Prime Minister to allocate the balance of water of 27.25 million acres feet between Madhya Pradesh and Gujarat taking into account the various relevant features in both the States. The Chief Ministers also requested the Prime Minister to fix a suitable height for the Navgam dam after going into the various view points. Thereafter they would finalise the arrangements for power generation and its distribution.

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

317. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether six irrigation schemes in Sahdol and Satna in Madhya Pradesh were taken up for execution in the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon and the time by which they are likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) Two medium irrrigation schemes namely Kulgarhi and Bhainswar are under execution in Satna district. No scheme is under execution in Sahdol district.

(b) The estimated cost of these schemes is :—

Kulgarhi Rs. 77.34 lakhs

Bhainswar Rs. 80.00 lakhs

Kulgarhi project has been completed in 1971-72 and Bhainswar project is expected to be completed in 1973-74.

भारतीय उर्वरक निगम में निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति

318. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 14 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2887 और 2888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में सरकार द्वारा इस बीच कोई निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : 1969 में एक निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति की गयी थी परन्तु बाद में भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाने पर पहला पद कुछ समय तक रिक्त रहा। इस समय निगम में निदेशक (टैकनिकल) का पद नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों को "जर्किंग अलाउन्स"

319. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में कर्मचारियों को "जर्किंग अलाउन्स" देने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो इसको पाने के लिए किन वर्गों के कर्मचारी हकदार हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऐसा कोई भत्ता रेल कर्मचारियों को नहीं दिया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Complaints against loss in Departmental catering in Indian Railways

320. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the departmental catering on the Indian Railways is running in loss;

(b) whether complaints alleging supply of stale food and adulteration in food by the Departmental catering units are on the increase; and

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme to abolish completely the catering arrangement in running trains and to make available more accommodation to passengers ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) There is no scheme to completely abolish the catering arrangement on mobile units. It is, however, proposed to gradually replace dining cars with pantry cars which will have some accommodation for passengers so that a part of the Coach may be utilised by them.

Assistance to Punjab for working of Diesel Power Sets

321.. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a large number of diesel power sets are lying idle in Punjab;

(b) the assistance given by the centre for producing more power to Punjab and for getting the diesel power sets working;

(c) whether the State Government had invited German and Soviet engineers for getting the diesel sets working; and

(d) if so, the results achieved ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Punjab has so far commissioned 24 Nos. diesel generating sets aggregating to 26.44 MW capacity. Additional 15 Nos. diesel generating sets of 24.24 MW total capacity are in various stages of erection and commissioning.

(b) Centre permitted Punjab to import 27 Nos. diesel generating units aggregating to 36 MW for power generation. Besides, senior engineers from the Central Water and Power Commission visited the sites for looking into the difficulties in regard to the foundations of the heavy diesel sets and work is now progressing based on their advice.

(c) Experts have been called from Germany and the U. S. S. R. for supervision of erection and commissioning of the diesel generating sets imported from these countries.

(d) The work is in progress.

Incidents of loot, thefts and dacoities in Indian Railways

322. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the incidents of thefts, dacoities and looting in Railways have increased during the last eight months of 1972 as compared to the previous year 1971; and

(b) if so, the comparative figures in this regard and the preventive measures being adopted in this direction ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Profit earned by I. O. C. during 1971-72

323. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the amount of profit earned by the Indian Oil Corporation in 1971-72 as compared to that in 1970-71; and

(b) the factors leading to the earning of profit by the concern and the steps being taken to increase its profit further in future?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale): (a) The profits earned by the Indian Oil Corporation after depreciation, interest and taxes for 1970-71 and 1971-72 are shown below:

1970-71	Rs. 15.77 crores
1971-72	Rs. 31.94 crores

(b) The increased profit during 71-72 is mainly due to overall increase in the sales turn-over. Certain long-standing factors which needed remedial action like reimbursement of under-recovery on sales-tax on products sold to the IOC by the Madras and Cochin Refineries and reimbursement of non-recoverable duty on imports by the Government of India have also contributed to the increased profits. For increasing the profits further in future, steps are being taken to increase the sales turn over, as also to reduce revenue expenses wherever possible by introducing

economies in operation, better control on handling of products, and efficiency research studies in selected areas. The profit margin of the Oil Cos. is however fixed by the Oil Prices Enquiry Committee and increase of profits is possible through growth in business and by economy in operation. This is constantly attended to by the IOC.

Construction of quarters for Railway Employees

324. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct some new houses for the Railway employees; and

(b) if so, the categories of employees who would be allotted these houses and whether all the Railway employees would be covered under this scheme?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b) : The policy of the Railways in this respect is to provide quarters on a programmed basis for such of the essential staff who are likely to be called on duty at any time during day or night, and for non-essential staff at way-side stations and other places where housing presents difficulty on account of absence of private enterprise. Among essential staff again, preference is being given to essential running staff by earmarking for them 50% of the funds allocated annually for construction of new quarters. Within this policy, quarters are constructed every year to the extent of availability of funds.

Translation of Law Books in Hindi

325. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether authentic Hindi translation of law books is in progress; and

(b) if so, the date by which it is likely to be completed.

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhari) : (a) & (b) : 59 Law books which have acquired the status of classics on the subjects dealt with therein have been selected for translation into Hindi. Steps have been initiated for obtaining the translation rights of the books from the authors/publishers concerned and also for selecting suitable Translators for undertaking the work. After the translation rights are obtained, the time taken for completion of translation of each book will depend on the size and complexity of the subject dealt with in the book and the time required by the Translator concerned. Every effort will be made for completing the work as early as possible.

Writing of Judgments in Hindi

326. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to encourage Judges to write their judgments in Hindi; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) & (b) : Under Section 7 of the Official Languages Act, 1963, on the recommendations of the State Government, President has authorised the use of Hindi, in addition to the English language, for purposes of judgment, decree or order passed or made by the Allahabad, Rajasthan and Patna High Courts.

जल संसाधनों तथा विद्युत विकास के संबंध में एशिया तथा सुदूर पूर्व विदेशों के लिए आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन

327. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री गिरधर गोमांगो :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व देशों के लिए आर्थिक आयोग द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दि (1971-80) के प्रगति लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारत को जल संसाधनों तथा विद्युत विकास पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस अध्ययन प्रतिवेदन पर मनीला में हुए जल संसाधन विकास संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन के 10 वें सत्र में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, भी विचार किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : इकाफे सचिवालय ने एक पत्र में जिस पर सितम्बर, 1972 में जल संसाधन विकास पर फिलीपीन्स में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श किया गया था, मूल्यांकन किया है कि 1970 से 1980 तक की दशाब्दी में सरकारी क्षेत्र में भारत में जल संसाधनों और विद्युत विकास पर व्यय सम्भवत: निम्नलिखित होगा :—

सिंचाई और जल-निकास	4588	मिलियन अमरीकी डालर
बाढ़ नियंत्रण	415	,, ,, ,,
भू-संरक्षण	498	,, ,, ,,
जल सप्लाई और सफाई	1272	,, ,, ,,
विद्युत् सप्लाई (ताप विद्युत-जनन और विद्युत पारेषण को शामिल करके)	7642	,, ,, ,,
कुल .	14,415	मिलियन अमरीकी डालर

जनसंख्या	632.5	मिलियन
प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष व्यय	2.28	अमरीकी डालर
सिंचित क्षेत्र 1969	35,900,000	है०
सिंचित क्षेत्र में 1969-74 में वृद्धि . . .	7,094,000	है०
सिंचित क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि . . .		
1970-80	17,000,000	है०
1980-90	15,000,000	है०

यह मान कर कि सिंचाई और जल-विकास पर मोटें रूप में औसतन 700 डालर प्रति हैक्टयर लागत आएगी, पम्पित जल सप्लाई पर 20 डालर प्रति व्यक्ति लागत आएगी, जल-विद्युत संयंत्र पर 400 डालर प्रति किलोवाट लागत आएगी और ताप संयंत्र पर 200 डालर प्रति किलोवाट लागत आएगी, इकाफे सचिवालय ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बारह विकासशील देशों

नामशः अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीनस् और थाईलैंड, में जल संसाधनों और विद्युत विकास पर प्रत्याशित व्यय उससे कम है जो दूसरी विकास दशाद्वी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

बहरहाल, उन्होंने टिप्पणी की है कि जल संसाधनों का विकास उनमें से केवल एक भाग है, जो कि राष्ट्रीय, कृषि तथा उद्योग विकास के अंग होते हैं और अभी तक जल संसाधन विकास तथा आर्थिक विकास के बीच परिणामात्मक सम्बन्ध बताने का कोई मार्ग नहीं है।

"आसाम मेल" को फरक्का के मार्ग से चलाया जाना

329. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :**

श्री दशरथ देव :

क्या **रेल** मंत्री 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम मेल को बरास्ता फरक्का चलाने के मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई):(क) जी हां, यह विनिश्चय किया गया है कि असम मेल का मार्ग बदल कर उसे फरक्का के रास्ते लम्बे मार्ग से न चलाया जाये।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पंजाब और हरियाणा में बिजली संकट

330. **श्री भान सिंह भौंरा :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब को 1966 में उनको पुनर्गठन के पश्चात् गम्भीर बिजली संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : भाखड़ा जलाशय के कम भरे जाने के कारण तथा इसके परिणामस्वरूप भाखड़ा से कम बिजली मिलने से पंजाब और हरियाणा, प्रत्येक, लगभग 2 मिलियन युनिट प्रतिदिन बिजली की कमी का सामना कर रहे है।

(ग) पंजाब : मध्य प्रदेश में सतपुडा विद्युत केंद्र से पंजाब को 0.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त बिजली का प्रबंध किया गया है किन्तु बिजली इससे कम मात्रा में सप्लाई की जा रही है। कोटा-जयपुर 220 के० वी० लाइन के शीघ्र ही पूर्ण हो जाने पर यह बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में बस्सी विद्युत केंद्र से 0.3 से 0.5 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली प्रतिदिन पंजाब को दी जा रही है ताकि वहां बिजली की कमी घट जाए।

जो डीजल उत्पादन यूनिट इस समय प्रतिष्ठापित किए जा रह हैं उनमें तेजी लाई जा रही है।

भटिंडा ताप परियोजना में भी इसके शीघ्र प्रचालनार्थ तेजी लाई जा रही है।

हरियाणा : हरियाणा में बिजली की कमी को खत्म करने के लिए हरियाणा को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में ताप केंद्र से 0.8/1.0 मिलियन यूनिट प्रतिदिन फालतू बिजली दी जा रही है।

34 मैगावाट के डीजल उत्पादन सेटों को प्रतिष्ठापित करने के लिए सरकार हरियाणा के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

राणाप्रताप परमाणु विद्युत परियोजना से इसके वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने पर, हरियाणा और पंजाब को फालतू बिजली दी जाएगी।

पंजाब में उर्वरक परियोजना की स्थापना

331. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री पंजाब में उर्वरक परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में 4 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पंजाब में उर्वरक परियोजना की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस प्रस्ताव पर सरकार अभी तक विचार कर रही है।

विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

332. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 राज्यों की 18 विद्युत परियोजनाओं के अवरोधक स्वरूप कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसने क्या क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Talks on Bansagar Project between Bihar and Madhya Pradesh

333. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any talks in regard to Bansagar Project have been held between Bihar and Madhya Pradesh as a result of mediation by the Union Minister of Irrigation and Power,

(b) if so, the outcome thereof, and

(c) whether Central Government propose to approve this project in its new form ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) : Discussions were held amongst the States of Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh on 30-10-72. It is hoped that it would be possible to arrive at a settlement in the further round of discussions proposed to be held in the near future.

Supply of Water by Damodar Valley Corporation to Bihar for Irrigation

334. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to supply water from the Damodar Valley Corporation to Bihar for irrigation purposes, and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b). The Government of Bihar have proposed diversion of Water from Tilaiya and Konar reservoirs for irrigating about 1.4 lakh acres in Gaya and 1.7 lakh acres in Hazaribagh districts respectively. The schemes were estimated to cost about Rs. 12.6 crores and Rs. 15 crores respectively.

These proposals involve some inter-State aspects and can be considered for implementation after these are resolved. For this purpose, the Chief Ministers of Bihar and West Bengal have agreed to set up a joint group of officers of the two States to study in detail this and other issues on which they have difference of opinion. The Chief Ministers would meet later on to discuss the matter further in the light of the report of the Group.

The meetings of the Group are taking place.

Judges in Patna High Court

335. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the total strength of Judges in Patna High Court?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : The sanctioned strength is 22 (16 permanent Judges and 6 Additional Judges).

Theft incidence in Goods Trains

336. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of theft incidents in goods trains in the Indian Railways during the last three months, Zone-wise;

(b) the amount paid as damages for the thefts during the said period, Zone-wise; and

(c) the concrete steps taken by Government to check the theft incidents?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The number of theft incidents in goods trains on the Indian Railways during the last 3 months is as under :

Railway	No. of cases
Southern	18
South Central	61
Northeast-Frontier	76
Western	59
South-Eastern	38
North-Eastern	94
Northern	85
Eastern	62
Central	37

(b) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha;

(c) The following steps are taken to check thefts on Indian Railways;

1. Goods trains carrying grains and pulses and other valuables are being escorted, especially over bad sections, by Armed Wing of the RPF.

2. Armed patrols and pickets are provided in crime prone yards and sections.

3. RPF Dog squads are utilised for patrolling the yards vulnerable for thefts.

4. Periodical claims prevention meetings are held jointly by the officers of the Security and Claims Prevention Departments to devise ways and means to put down thefts.

5. Effective use is made of Plain Clothes staff and Crime Intelligence Staff for collection and dissemination of information regarding crime and criminals.

6. Liaison is maintained with local and Railway Police to curb the activities of the criminals.

7. A campaign has been launched from 26-1-72 wherein *inter alia* cooperation of labour unions and State Governments has been sought for tracing out and tackling criminals/receivers of stolen property.

8. A number of criminals/receivers of stolen railway property have been detained under Preventive Acts especially in the Eastern Sector.

सिंचाई के लिए उपलब्ध जल

337. **श्री ई० बो० विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई के लिए कुल कितना जल उपलब्ध है;

(ख) जल को कितनी मात्रा विवादग्रस्त है; और

(ग) सरकार विवाद को कब तक हल कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) देश की नदियों में औसत वार्षिक बहाव लगभग 1360 मिलियन एकड़ फुट है। सिंचाई आयोग ने मूल्यांकित किया है कि इसमें से 540 मिलियन एकड़ फुट का सिंचाई के लिए समुपयोजन किया जा सकता है।

(ख) कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा के जल के सम्बन्ध में राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हैं। जबकि राज्यों ने न्यायाधिकरणों को विश्वसनीय बहाव तथा प्रत्याशित मांगों के अपने-अपने अनुमान प्रस्तुत कर दिए है, जल की मात्रा, जिस पर विवादों को हल किया जाना है, लगभग 12 मिलियन एकड़ फुट मानी जा सकती है।

(ग) ऐसी आशा है कि कृष्णा और नर्मदा के सम्बन्ध में विवादों को एक वर्ष के अन्दर सुलझा दिया जाएगा। गोदावरी के सम्बन्ध में किसी भी तारीख का बताना कठिन है क्योंकि अभी तक, न्यायाधिकरण द्वारा विवाद सम्बन्धी तर्कों को नहीं लिया गया है।

विद्युत की कमी के कारण नांगल उर्वरक संयंत्र का बन्द हो जाना और इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि

338. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की कमी के कारण नांगल उर्वरक संयंत्र के बन्द हो जाने की सम्भावना है;

(ख) चालू वर्ष में विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान विद्युत संकट का मुकाबला करने के लिये, जिसके कारण यह संयंत्र पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी नहीं।

(ख) 1-1-72 से 31-10-72 की अवधि के दौरान नंगल यूनिट की बिजली की कटौती के कारण लगभग 18,500 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 2,700 किलोग्राम भारी पानी की उत्पादन हानि हुई।

(ग) इस कारखाने की बिजली संबंधी आवश्यकताएं घटाने की दृष्टि से, संभरण सामग्री के रूप में बिजली के स्थान पर ईन्धन तेल पर आधारित इसके विस्तार के लिए एक बड़े कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कुकिंग गैस की सप्लाई

339. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी तेल कम्पनियां अपने ग्राहकों को कुकिंग गैस की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाय है ?

विधि और न्याय तथा पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : गत जुलाई तथा अगस्त के महीनों के दौरान एल पी जी की घरेलू उपयोग के लिये कहीं कहीं कमी हो गई थी। कमी मुख्यत: तोड़-फोड़ से हुई परिवहन संबंधी कठिनाइयों तथा बर्मा-शैल एवं

एस्सो शोधनशालाओं के पास उत्पादों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुई थी। भारतीय तेल निगम ने अब इन दोनों कम्पनियों को इस उत्पाद की कुछ मात्राएं दी है ताकि वे अपने वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। भारतीय तेल निगम ने बर्मा-शैल और एस्सो के कुछ ग्राहकों को ले लेने का भी निर्णय किया है ताकि इन ग्राहकों को नियमित रूप से सप्लाई की जा सके। इन उपायों को अपनाने से स्थिति में अब काफी सुधार हो गया है। स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने के प्रयत्न किये जा रह हैं।

सिंचाई के लिए नदी जल को उपयोग करने का लक्ष्य

340. **श्री इ० बी० विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए नदी के जल का प्रयोग करने के बारे में क्या लक्ष्य है; और

(ख) चौथी योजना में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि की हानि होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): चतुर्थ योजना में वृद्धि तथा मध्यम परियोजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य 4.8 मिलियन हैक्टेयर था जिसमें से 4.7 मिलियन हैक्टेयर पहले से निर्माणाधीन स्किमों से प्राप्त होना था। योजना आयोग द्वारा चतुर्थ योजनावधि के दौरान उन बेसिनों में, जहां अन्तर्राज्यीय पहलू तय कर लिए गए या उत्पन्न नहीं हुए, कुछ नई परियोजनाएं भी स्वीकृत कर ली गई हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी के किनारे बनाये जा रहे नलकूपों के निर्माण को रोकना

341. **श्री राजराज सिंह देव** :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दिनांक 12 सितम्बर, 1972 में सेन्टर स्टाप्स हरियाणा ट्यूबवेल प्लान (हरियाणा की नलकूप योजना को केन्द्र द्वारा रोकना); शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा सरकार ने पश्चिमी यमुना नहर और यमुना नदी के बीच क्षेत्र से लगभग 465 क्यूसेक जल निकालने के लिए 155 नलकूपों के लगाने और इस जल को एक पलस्तर वाली नहर में ले जाने का प्रस्ताव किया है, जिससे पश्चिमी यमुना नहर से रबी में होने वाली रिसन क्षति को बचाया जा सकता है और हरियाणा में सिंचाई के विस्तार के लिए इस प्रकार उपलब्ध 934 क्युसेक जल की कुल मात्रा का इस्तेमाल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने नलकूपों के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इनसे यमुना में पुनर्जनन द्वारा उपलब्ध सप्लाई, जिसे उत्तर प्रदेश को आगरा नहर में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर कुप्रभाव पड़ेगा।

स्कीम पर 11 सितम्बर, 1972 की हुई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। प्रस्तावित नलकूपों के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार-भिन्नताओं के ख्याल से यह निर्णय किया गया था कि केवल पलस्तर वाली नहर पर कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है और यमुना बेसिन के राज्यों से असम्बद्ध, अभियंताओं और भू-वैज्ञानिकों को मिलाँकर अन्य विशषज्ञों की एक समिति द्वारा भूगत जल को बाहर निकालने के प्रस्तावों को जांच की जानी चाहिए--जिसमें यमुना में सूखा ऋतु-बहाव पर नलकूपों के प्रभाव भी शामिल होंगे। तकनीकी समिति को रिपोर्ट उपलब्ध होने पर उस क्षेत्र में नलकूपों के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों द्वारा पुनः विचार-विमर्श किया जाएगा। तब तक नलकूप कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं होगी। कृषि मंत्रालय ने इस समिति का गठन कर दिया है।

Cash Misappropriated from Jhansi Division of Central Railway

342. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large amount of Railway funds has been misappropriated in the Jhansi Division of the Central Railway during the last two years and if so, the amount thereof; and

(b) the action taken to detect the disappearance of the said amount from the Railway Treasury in the Jhansi Division during the said period?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Six cases of loss of cash involving Rs. 62,388.45 occurred in the Jhansi Division of the Central Railway during the last two years (ended 31-10-1972).

(b) Departmental enquiries have been held in each case. All cases are under further investigation by the C.I.D.

धर्मनगर-अगरतला रेलवे परियोजना

343. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर-अगरतला रेलवे परियोजना पर पूर्वोत्तर परिषद् (नार्थ इस्टर्न कौंसिल) में विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) धर्मनगर-अगरतला रेल परियोजना पर पूर्वोत्तर परिषद् में विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

(ख) इस परियोजना के लिए इंजीनियरी व यातायात सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं और उनकी रिपोर्टों की इस समय जांच की जा रही है। यह लाइन 153 कि० मी० लम्बी होगी और उसमें लगभग 45 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। यह लाइन नितान्त अलाभप्रद है। फिर भी, सब प्रकार से रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद अन्तिम निर्णय किया जायगा।

त्रिपुरा में डमबोरो-पन बिजली परियोजना का निर्माण पूरा होने में विलम्ब

344. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रिपुरा में डमबोरो-पन बिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने में जो अधिक विलम्ब हुआ है उसके क्या कारण है;

(ख) उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या प्रति यूनिट दर त्रिपुरा में प्रचलित दर से अधिक होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दाम्बोरू जल विद्युत परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ :—

(i) सीमा पार से परियोजना कार्य पर हमले ।

(ii) अप्रैल, 1971 के दूसरे सप्ताह से मानसून का शीघ्र आगमन ।

(iii) बंगलादेश की घटनाएं तथा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक मजदूरों, सीमेंट तथा परिवहन-सुविधाओं में कमी ।

(iv) नवम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह में चक्रवर्ती वर्षा के कारण काफर-बांध के बह जाने से कार्यों में गड़बड़ी ।

(ख) इस परियोजना के जून, 1974 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

बारामूरा (त्रिपुरा) में छिद्रण कार्य

345. **श्री वीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरामूरा (त्रिपुरा) में खुदाई स्थल पर कार्य निश्चित समय सारिणी के अनुसार प्रगति पर है ; और

(ख) मिट्टी परीक्षण से तेल तथा प्राकृतिक गैस की संभावनाओं के सम्बन्ध में नवीनतम रिपोर्ट क्या है ?

विधि और न्यास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय तक खोदी गई गहराई (1,500 मीटर) तक तेल अथवा प्राकृतिक गैस की विद्यमानता के किसी संकेत की सूचना नहीं मिली है ।

कुएं के 4,500 मीटरी तक की गहराई तक खोदे जाने की योजना बनाई गई है ।

केरल को परियोजनाओं को सहायता

346. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से केरल की कुट्टीयाडी, कन्नूरापुजला और पेरीपाखली परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल सरकार की इच्छित धनराशि आबंटित करने का है; और

(ग) धनराशि कब तक दिये जाने की आशा है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : सिंचाई एक "राज्य-विषय" है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन का प्रावधान राज्यों द्वारा अपने-अपने बजटों में समग्र विकास योजनाओं की रूपरेखा के अन्तर्गत किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है, किन्ही विशेष क्षेत्रों या परियोजनाओं के लिए नहीं। 1972–73 के लिए केरल के लिए योजना परिव्यय 64 करोड़ रूपये है जिसमें 33.95 करोड़ रुपये को केन्द्रीय सहायता है। बृहद् व मध्यम सिंचाई क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 5.20 करोड़ रुपये है।

केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हे राज्य योजना की रूपरेखा से बाहर 3 करोड़ रूपये को और विशेष केन्द्रीय सहायता सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य में प्रगति लाने हेतु दी जाए। यह उल्लेख किया गया है कि इसमें से 2 करोड़ रुपये कुट्टीयादी, कन्होरापुझा और परियार घाटो परियोजनाओं के लिए है। संसाधनों को कठिन परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हुआ कि यह अनुरोध स्वीकार किया जाए।

गुलधर और गाजियाबाद के बीच गाडीयों का रुकना

348. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या **रेल मंत्री** बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनगर, कविनगर तथा गाजियाबाद के अन्य उपनगरों के निवासियों से गुलघर और गाजियाबाद के बीच स्टेशन अथवा हाल्ट बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) गलडहर और गाजियाबाद के बीच गाड़ी के हाल्ट की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की जांच की गयी थी किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इससे गाजियाबाद-मेरठ सिटी खण्ड पर गाड़ियों के कुल चालन-समय पर प्रभाव पड़ेगा। इस खण्ड पर यातायात पहले से ही चरम सीमा तक पहुँच चुका है।

इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर द्वारा तैयार किया गया तेज गति से चलने वाला यात्रि डिब्बा

349. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर ने तेज गति से चलने लाले किसी यात्री डिब्बे का डिजाइन बनाया है और तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों के अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने एक तेज रफ्तार बोगी का अभिकल्प तैयार किया है और सवारी डिब्बा कारखाना ने प्रोटोटाइप बोगियों का निर्माण किया है।

(ख) इस बोगी की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) प्रति घंटा 160 कि० मी० या अधिक रफ्तार की क्षमता ;

(ii) इस तेज रफ्तार पर यात्रियों को और अधिक आराम ;

(iii) सेवा में अधिक विश्वसनीयता ;

(iv) देशी सामान और पूर्जों का अधिकतम उपयोग।

रेलवे सुरक्षा दल एककों को सशस्त्र करने के बारे में निर्णय

350. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल एककों को सशस्त्र करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : रेलवे सुरक्षा दल को तीन शाखाओं में संगठित किया गया है अर्थात् सशस्त्र स्कन्ध, वर्दीधारी शाखा और अग्निशामक शाखा। नीति के अनुसार, सशस्त्र शाखा पहले से शस्त्र-सज्जित है। पूर्वांचल में कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति से निवटने के लिए वर्दीधारी शाखा को भी अभी हाल में कुछ शस्त्र प्रदान किये गये थे। लेकिन, वर्दीधारी शाखा अपनी ड्यूटी अधिक प्रभावशाली ढंग से करने में समर्थ हो, इस उद्देश्य से उनको भी आंशिक रूप से शस्त्र-सज्जित करने का विनिश्चय किया गया है। इस विनिश्चय के अनुसार, सहायक उपनिरीक्षक और उससे उपर के सब अधिकारियों को पिस्तोलों/रिवाल्वरों से सज्जित किया जाना है और प्रधान रक्षक/वरिष्ठ रक्षक/रक्षकों में से 25 प्रतिशत को राइफलें सप्लाई की जानी हैं। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा विशेष दल नाम का एक आरक्षित दल है जो पूर्णतः सशस्त्र है।

निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन

351. **श्री एम० एम० जोजेफ** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्वाचन-प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तनों किस प्रकार के होंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में भूमि का नियतन

352. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** :

श्री बरफे जार्ज :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में भूमि का नियतन करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकारों के मध्य विवाद पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये पंचाट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि का नियतन मूल समयावलि के अनुसार पूरा कर लिया जायगा; और

(ग) नियतन का कार्य नियत अवधि के भीतर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में भूमि का आबंटन करने के संबंध में प्रधान मंत्री से कोई पंचाट देने को नहीं कहा गया था। बहरहाल, भूमि के आबंटन के लिए विस्थापितों की पात्रता से संबंधित कुछ मामले जिन पर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारें भिन्न भिन्न विचार रखती थीं, केन्द्रीय मंत्रीमहोदय सचिव को सलाह के लिए भेज गए थ। उनको सलाह को दोनों राज्यों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ब्यास विस्थापितों के लिए भूमि के आबंटन हेतु नियमावली का राजस्थान सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात् आबंटन किया जाएगा।

भाखडा प्रबंध बोर्ड के कार्यालय को नंगल टाउनशिप में ले जाना

353. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबंध बोर्ड के कार्यालय को चंडीगढ़ से नंगल टाउनशीप में ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समय नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम (नंगल शाखा) द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का हिमाचल प्रदेश में मालिक को वापिस किया जाना

354. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम (नंगल शाखा) के प्राधिकारियों ने सरकार द्वारा अधिगृहीत कुछ जमीन पंजाब के मालिकों को वापिस कर दी है;

(ख) क्या भूमि, जो कारखाने के पास बिना काश्त पड़ी है और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की है, मालिकों को वापिस दी जायगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय लेने की कब तक सम्भावना है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कांगडा वैली रेलवे को बन्द करना

355. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पोंग बांध में जल का स्तर बढ़ जाने के कारण कांगड़ा वैली रेलवे को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बांध के निर्माणाधीन अवधि के दौरान इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं किया था; और

(ग) इस क्षेत्र में पर्याप्त संचार व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जवांवाला शहर और गुलेर स्टेशनों के बीच (29.8 किलोमीटर के फासले में) ऊंची सतह पर एक वैकल्पिक रेल लाइन बनाने की योजना बनायी गयी थी और इसे अप्रैल 1969 में मंजूरी दी गयी थी। किंतु यह काम पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि फिर से बनायी जाने वाली इस लाइन के लिए ली गयी जमीन व्यास बांध के प्राधिकारियों द्वारा रेल प्रशासन को नहीं सौंपी जा सकी थी।

इस समय इस क्षेत्र में और कोई वैकल्पिक रेलवे लाइन बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। अत: इस से जल्दी से जल्दी कोई लाइन तैयार नहीं की जा सकती।

विदेशी तेल कम्पनियों के सहयोग से "आफ्शोर" तेल की खोज

356. श्री डी० पी० जदेजा ।
श्री वेकरिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कंपनियों भारत में "आफ्शोर" तेल की खोज के लिए सहयोग के संबंध में बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियो के नाम क्या है और भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कंपनियों के साथ किये गये वर्तमान समझौते के अधीन बारंबार होने वाली कठिनाइयों को रोकने के लिए सरकार का विचार सावधानी बरतने का है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : तेल कंपनियों सहित कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में अपतटीय अन्वेषण में सहयोग देने की अपनी रुचि व्यक्त की है। कुछ एक कंपनियों ने सहयोग के लिए प्रस्ताव की रूप रेखा दी है। परन्तु इन कंपनियों के नाम और उनके द्वारा दिय गये प्रस्ताव का विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

सरकार ने अभी तक अपतटीय तेल अन्वेषण के लिए विदेशी सहयोग पर कोई निश्चय नहीं किया है। यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हुई तो सरकार किये गये प्रबंध को राष्ट्रीय हित के अनुसार बनाये रखने के लिए सभी सावधानियां बरतेगी।

गुजरात में डेटरजेंट आलकाइलेट और एथिलिन ग्लाइकोल परियोजनाओं की स्थापना

357. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री बेकरिया :

क्या **पैट्रोलियम** और रसायन मंत्री 25 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3504 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में डेटरजेंट अलकाइलेट और एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है तथा वह कहां स्थापित की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : प्रक्रिया जानकारी, मूल इंजीनियरिंग तथा निर्वासन सहायता के लिए इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तुत किये गये विदेशी सहयोग करारों का अनुमोदन कर दिया गया है। इन यूनिटों को गुजरात में

कोयाली नामक स्थान पर स्थापित किया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार के साथ साझदारी करने का गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Sindh Project of Madhya Pradesh

358. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Sindh project of Madhya Pradesh has since been approved by the Central Government, and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which it is expected to be approved?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kurrel) : (a) & (b) : The Sind Project of Madhya Pradesh was approved by the Planning Commission on 19-10-1972.

Report on the Pairi River Project in Madhya Pradesh

359. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the date on which the Report on the Pairi River Project in Madhya Pradesh was received by the Central Government for approval, and

(b) the time by which it would be approved?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri B. N. Kurrel) : (a) & (b). The report for Pairi River Project was received in the Central Water and Power Commission on 20-8-1971. The project has been modified by the State Government in the light of comments of the Central Water and Power Commission and the project will be put up for consideration of the Advisory Committee of the Planning Commission at their next meeting.

सतना-रेवां-छतरपुर-हरपालपुर-टीकमगढ़-झाँसी के लिए रेल लाइनें

360. श्री गंगाचरण दीक्षित :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में इस समय पर्याप्त रेल संचार सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सतना-सेवां-छतरपूर-हरपालपुर-टीकमगढ़-झासी रेलव लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधिन है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिय जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ख) . यद्यपि विंध्य प्रदेश क्षेत्र में रेल संचार की पर्याप्त सुविधाएं पहले से विद्यमान हैं, फिर भी सेवां के रास्ते सतना से ब्योहारी तक एक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी जा चूकी है और सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में डल्ली-राजहारा-जगदलपुर के लिए रेलवे लाइन

361. **श्री गंगाचरण दीक्षित :**

श्री अरविन्द नेताम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार से बस्तर जिले में डल्ली-राजहरा-जगदलपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने का लगातार अनुरोध करती आ रही है;

(ख) क्या बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) का विकास मुख्यतया रेलवे संचार व्यवस्था न होने के कारण नहीं हो सका ; और

(ग) यदि हां, तो डल्ली-राजहारा की जगदलपुर बरास्ता नारायणपुर, कूड़गांव से रेल द्वारा जोड़ने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यह लाइन कब तक चालू हो जायगी?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :

(क) जी हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि मुख्यत: रेल संचार व्यवस्था के अभाव में उस क्षेत्रका समग्र विकास रुक गया है।

(ग) डिल्ली-राजहरा से दांतेवाड़ा जगदलपुर तक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण अभी हाल में पूरा हुआ है और उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के विचाराधिन है। जांच पूरी हो जाने और उसके परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के संबंध में निर्णय किया जायगा।

Appointed of Judges in Allahabad High Court

362. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether some new appointments of Judges have been made in the Allahabad High Court last month; and

(b) if so, the total number of such appointments?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Yes, Sir. The appointments took effect from 4-9-72.

(b) Four.

विद्युत् पारेषण हेतु रूसी सहायता

363. **श्री एस०ए०मुरुगनन्तम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या रूस का विचार विद्युत पारेषण क्षेत्र में भारत को सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत चल रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों म उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) बिजली पारेषण के क्षेत्र में अभी तक कोई स्कीम रूसी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972-73 की पहली तिमाही में भारतीय उर्वरक निगम के चार एककों की प्रगति

364. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के पांच एककों में से चार के उत्पादन में 1972-73 की पहली तिमाही में 40% की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवे एकक का नाम क्या है जो अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है और उसके लक्ष्य से पिछड़े जाने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। 1972-73 की पहली चौथाई में सिन्द्री को छोड़कर बाकी चार चालू यूनिटों में पिछले साल के उसी समय के उत्पादन पर लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) सिन्द्री में उत्पादन पर (i) पुराने प्लांट में भारी खराबियों, (ii) अमोनिया सलफेट के उत्पादन के लिए जिपसम की आवश्यकता उचित मात्रा की अनुपलब्धि, (iii) कोक व कोक ओवन गैस के दक्ष उत्पादन के लिय आवश्यक कोयले की प्राप्ति में समस्या और (iv) अन्य प्रक्रिया समस्याओं जैसे कारणों का बुरा प्रभाव पड़ा। अमोनिया प्लांट के विद्युत सब-स्टेशन में अचानक आग लगने का भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

गुजरात और राजस्थान को विद्युत पारेषण लाइनों द्वारा जोड़ा जाना

365. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात को विद्युत पारेषण लाइनों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार को अन्तर्राज्यीय प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती; और

(ग) क्या इस समय कोई ऐसा राज्य है जिसमें एक से अधिक विद्युत ग्रिड हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). गुजरात में राणासन और राजस्थान में देबरों को जोड़ते हुई एक 220 सिंगल सर्किट पारेषण लाइन को निर्माण के लिए हाथ में लिया गया है। यह लाइन दो राज्य विद्युत प्रणालियों को आपस में जोड़ेगी। गुजरात में टावर्स के लिए सर्वेक्षण और स्टब-सैटिंग का 25% कार्य पूर्ण हो गया है। राजस्थान के मामले में सर्वेक्षण, प्राथमिक कार्य और सामग्री की प्राप्ति आरम्भ कर दो गई है। इस लाइन के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता राज्यों को दी गई है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन गुजरात को 1971-72 के दौरान 30 लाख रुपये दिए गए थे और चालू वर्ष के लिए 10 लाख रुपये की धन-राशि की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के मामले में चालू वर्ष के लिए 40 लाख रुपये की धन-राशि की व्यवस्था की गई है। इस लाइन के 1973-74 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

समय-समय पर उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त लाइन क्षमता के लिए व्यवस्था करने हेतु अन्तर्राज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय लाइनों का निर्माण एक संतत प्रक्रिया है। जब कि क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों का विकास विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसके साथ-साथ अन्तः क्षेत्रीय सम्पर्क को स्थापित किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्रिड बन जाएगा।

(ग) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के राज्यों में विद्युत प्रणालियों के एकीकरण प्रगति पर है। शेष राज्यों में एकीकृत विद्युत ग्रिड प्रणालियां हैं।

ग्रामीण बिजली निगम द्वारा ग्रामीण बिजली परियोजनाओं के लिए सहायता

366. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बिजली निगम ने हाल में 16 ग्रामीण बिजली परियोजनाओं की सहायता देना स्वीकार कर लिया है, जिनमें से 8 पिछड़े क्षेत्रों और कम विकसित क्षेत्रों में हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के उन पिछड़े अथवा विकसित क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) परियोजना कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 26-9-1972 को हुई अपनी बैठक में दस राज्य बिजली बोर्डों को 16 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की, जिनमें 813.403 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है और जिनमें 1420 ग्रामों के विद्युतीकरण, 14139 पंपों के ऊर्जन और 2508 लघु तथा कृषि उद्योगों को बिजली की सप्लाई का व्यय रखा गया है। इन 16 परियोजनाओं में से 6 पिछड़े इलाकों से संबंधित है।

(ख) और (ग) . पिछड़े इलाकों से संबंधित परियोजनाओं के नाम और विवरण नीचे दिये जाते हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	कुल कार्य			स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
		ग्राम	पंप	लघु तथा कृषि उद्योग	
1	2	3	4	5	6
1	मेडक जिले में गजवाल तालुक (आंध्र प्रदेश) .	65	850	80	52.31
2	उड़ीसा के कटक जिले और बालासोर जिले में विशेष पारेषण।	..	..	..	55.81
3	उड़ीसा के बालासोर और मयूरगंज जिलों में पारेषण और वितरण प्रणाली की विशेष स्कीम।	..	..	..	78.56
4	पंजाब के दौपड़ जिले में आनंदपुर साहित्य तहसील।	173	1230	350	37.278
5	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खडी जिले की निगानसन तहसीलों में इसानगर, धौराहरा और रामिया वहरखण्ड।	94	500	170	54.34
6	उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 15 ब्लाक नामशः बछरावन, महाराजगंज, सिंधपुर, तिलोई, हरचन्दपुर, राही, खिरू, सरेनी, लालगंज, डालमन, जगलपुर, नसीराबाद, सालोन और ऊंचानगर।	200	460	210	57.35

कमला नदी तटबन्धों का विस्तार

367. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री कमला नदी तटबन्धों के विस्तार के सम्बन्ध में दिनांक 4 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला तटबन्धों को नेपाल में भिरछैया तक न बढ़ाने से भारत-नेपाल सीमा के बीच भारत का सारा क्षेत्र और पूर्वी तथा पश्चिमी कमला नहरों का सारा क्षेत्र पूर्णतया असिंचित रह जाता है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तटबन्धों को भिरछैया तक बढ़ाने के मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्य, जिसके लिए नेपाल सरकार भी सहमत हुई थी, अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कमला की बाढ़ों से भारत-नेपाल सीमा और कमला पूर्वी व पश्चिमी नहरों के बीच 64 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

कमला तटबन्धों का विस्तार इस क्षेत्र के बचाव के साथ साथ नहर तटों में दरारों को रोकने और जयनगर वियर के जल का तटों के ऊपर से बहाव रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया था। राज्य सरकार ने स्कीम का विस्तृत रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। चौथी योजना में भी स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बाढ़ तटों का कार्य करने के लिए पश्चिमी कमला नहर के दायें तट और पूर्वी कमला नहर के बायें तट को सुदृढ़ करने के लिए एक स्कीम और पर्याप्त उस निकास कार्यों की व्यवस्था, जो कि नहर तटों में दरारों की संभाव्यताओं को कम करेंगी, को भी एक स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत

368. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री उत्तर बिहार में बिजली की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता और खपत के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत के स्तर को 19 और 13 किलोवाट से बढ़ाकर शेष बिहार के 87 और 79 किलोवाट के स्तर पर करने तथा सम्पूर्ण बिहार के इस स्तर को बढ़ाकर क्रमशः 98 और 88 किलोवाट करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या बिजली का एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जैसा कि लोक सभा में 18-4-72 को अतारांकित प्रश्न सं० 3135 के उत्तर में दिया गया है बिहार के पास विद्युत जनन क्षमता के अधिक पूर्ण समुपयोजन के लिए क्षेत्र है। उपलब्ध क्षमता के अधिकतम समुपयोजन के लिए बिहार में अतिरिक्त पारेषण और वितरण लाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में है। भविष्य की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कुल 460 मैगावाट क्षमता की अतिरिक्त विद्युत-जनन परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है। बिहार को दामोदर घाटी निगम

प्रणाली से भी अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी, जहां कुल 240 मैगावाट विद्युत-जनन क्षमता चौथी योजना अवधि में प्रतिष्ठापित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त कुल 1080 मैगावाट विद्युत-जनन क्षमता का प्रतिष्ठापन पांचवीं योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में प्रस्तावित हो रही परियोजनाओं से भी कुल 840 मैगावाट विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। उपरोक्त विद्युत-जनन क्षमता के आवर्द्धन से उत्तर बिहार और शेष राज्य में भी विद्युत की उपलभ्यता और इसका समुपयोजन बढ़ जाएगा।

(ख) और (ग). जी, हां। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में विद्युत प्रणालियों के पास अब तक अन्तः सम्पर्क ग्रिड हैं। इन्हें पहले ही उपलभ्यता और मांग के आधार पर प्रणालियों के बीच विद्युत के वितरण के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों के समेकित प्रचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में क्षत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण के साथ-साथ अन्तः क्षेत्रीय लाइनें भी निर्माणाधीन हैं जिसका अन्ततः उद्देश्य एक अखिल भारतीय ग्रिड का विकास करना है।

इष्टतम सुदक्षता, मितव्ययिता और विश्वसनीयता के साथ विद्युत प्रणालियों के प्रचालन के उद्देश्य से अखिल भारतीय ग्रिड सभी बृहत् विद्युत प्रणाली और मुख्य बड़े विद्युत केन्द्रों को आपस में जोड़ेगा।

बिहार में कटिहार में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

369. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बिहार में कटिहर में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान मण्डल का वह संकल्प जिसमें प्रस्तावित तापीय विद्युत संयंत्र कीं कटिहार में स्थापित करने की मांग की गई है भारत सरकार को भेज दिया गया है;

(ख) क्या मामले की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). यह फैसला किया गया है कि ताप विद्युत केन्द्र डलखोला में स्थापित किया जाए।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना की प्रगति

370. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति के बारे में दिनांक 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण की सारी लागत का भार वहन करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) भारतीय क्षेत्र में नहर के निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथी योजना के अन्त तक कुल कितना व्यय किए जाने का अनुमान है और उसमें से कितनी राशि केन्द्रीय ऋण अथवा सहायता के रूप में होगी; और

(ग) क्या भारतीय क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण और नहर के निर्माण कार्य को एक साथ प्रारम्भ करने में कोई तकनीकी कठिनाई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) भारत सरकार ने चतुर्थ योजना के दौरान राज्य की योजना के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पश्चिमी कोसी नहर के नेपाल के भाग के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को विशेष सहायता देना स्वीकार कर लिया है। बिहार लाभ भाग को अनुदान के रूप में समझा जाएगा जबकि शेष राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी जाएगी।

(ख) बिहार सरकार ने बताया है कि पश्चिमी कोसी नहर पर कार्य के भारतीय भाग को धन की कमी के कारण चौथी योजना में क्रियान्वित होने की कोई सम्भावना नहीं चाहे राज्य सरकार धन की उपलभ्यता के अनुसार प्रारम्भिक कार्य शुरू करने का प्रस्ताव रखती है।

(ग) भारत की और नहर के निर्माण और भूमि ऊर्जन को एक साथ करने में, इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित वित्तीय प्रबन्धों को छोड़कर, कोई तकनीकी कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

उत्तर बिहार की अधवाडा परियोजना की प्रगति

371. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री उत्तर बिहार में अधवाड़ा परियोजना में प्रगति के बारे में 29 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखण्डेई, दरभंगा, बागमती और मोहिनी पर तटबन्ध बनाने की योजना केन्द्र को भेज दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा तथा पूरा होगा;

(ग) क्या डांस नदी के दायें किनारे पर रघोली-शान्तिघाट-अगरोपत्ती से तटबन्ध बनाने के प्रस्ताव का अध्ययन पूरा हो गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खरोई नदी की जलविज्ञान सम्बन्धी जांच कितने वर्ष तक की गई थी तथा उसके क्या वार्षिक परिणाम निकले थे?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). लखनदेयी-दरभंगा-बागमती तथा मोहिनी के साथ साथ तटबंधों के लिए स्कीम अभी तक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम शीघ्र ही भेजी जाएगी।

(ग) राज्य सरकार ने कहा है कि स्कीम तैयार की जा रही है।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गाज प्रेक्षण 20 वर्षों के लिए उपलब्ध है और निस्सार प्रेक्षण 1970 से किए गये हैं। इनसे पता चलता है कि तटों के ऊपर काफी पानी बह जाता है और मराइथा पर नदी का अधिकतम निस्सार प्रेक्षण लगभग 200 क्यूसेक है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा कुछ औषधियों की लागत विश्लेषण

372. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ औषधियों के नाम औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को लागत विश्लेषण के लिए भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि और न्याय तथा पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हा ।

(ख) ब्यूरो से अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। वह रिपोर्ट तथा पूर्व प्राप्त अन्य तीन रिपोर्ट विचाराधिन हैं ।

12 अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण औषधियों पर मूल्य नियंत्रण लागू करना

373. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में पहले से दर्ज की गई 17 औषधियों के अतिरिक्त 12 अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण औषधियों पर मूल्य नियंत्रण लागू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन स्थापित कार्यकारी दल ने 24 प्रपुंज औषधियों, जिनमें एम्पटो हार्ड जिलेटिन केप्सूल्स भी सम्मिलित है के लागत ढांचे की जांच की है। दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकारण की जांच

374. **श्री जगदीश नारायण मंडल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण में खराबियों और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, के बारे में अनेक ज्ञापन और शिकायत मिली हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग को नियुक्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच की मुख्य बातें क्या हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त भारतीय उर्वरक निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों वाले ज्ञापन और शिकायते परीक्षाधीन हैं। अधुना, भारतीय उर्वरक निगम को कार्यप्रणाली की जांच के लिये किसी उच्च शक्तियुक्त आयोग की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव नही है।

Production of Chemical Fertilizer by Barauni Fertilizer Factory

375. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the time by which Barauni Fertilizer Factory will start producing Chemical Fertilisers; and

(b) the production capacity of the said Factory?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) According to present indications the Barauni Fertilizer Factory is expected to start commercial production by October, 1973.

(b) The Factory is designed to produce 330,000 tonnes of urea equivalent to about 152,000 tonnes of nitrogen per annum.

Conversion of Prayag-Jogbani passenger train into express service

376. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to convert the Prayag-Jogbani passenger train on North Eastern Railway into Express train;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the public have made a demand to Government for the continuance of the said train as passanger train from Barauni to Katihar; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) & (b) : With a view to comply with the pressing demand for a fast train, Nos 37Up/38Dn Jogbani-Allahabad City Fast Passengers have been converted into Express from 1-11-72.

(c) Yes.

(d) For the convenience of local passengers on Katihar-Barauni section, timings of 503Up/504 Dn Parcel Passenger trains have been suitably adjusted more or less to the old timings of 37Up/38Dn on this section.

Introduction of an additional Express Train from Katihar Junction to Calcutta

377. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to introduce an additional express train from Katihar junction to Calcutta on North-East Frontier Railway for the convenience of passengers; and

(b) if so, from which date?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) Does not arise.

Disposal of Cases in Supreme Court and High Courts

378. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state the number of cases disposed of by the High Courts and the Supreme Court last year?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale): A statement giving the information is attached.

STATEMENT

	Supreme Court.	6,491
	HIGH COURTS	
1.	Allahabad	37,033
2.	Andhra Pradesh	32,733
3.	Assam & Nagaland (now Gauhati)	1,908
4.	Bombay	27,706
5.	Calcutta	32,115
6	Delhi	17,885
7.	Gujarat	11,922
8.	Himachal Pradesh	1,300
9.	Jammu & Kashmir	1,590
10.	Kerala	30,520
11.	Madhya Pradesh	15,700
12.	Madras	41,549
13.	Mysore	19860
14.	Orissa	4,490
15.	Patna	8,938
16.	Punjab & Haryana	27,745
17.	Rajasthan	9,501
	Total	3,22,505

Development of C.R.P. at Kathihar Yard for checking theft

379. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether thefts of goods from Railway wagons in the Katihar Yard of North-East Frontier Railway is a regular feature; and

(b) if so, whether Government propose to deploy C.R.P. therefor some months in order to check thefts?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) It is not a fact that thefts of goods from railway wagons in Katihar yard of Northeast Frontier Railway occur as a regular feature. However, some thefts occur now and then.

(b) The Railway Protection Force are taking necessary preventive measures to check these thefts. It is not proposed to deploy Central Reserve Police for this purpose.

बीकानेर रेलवे स्टेशन पर छात्रों द्वारा सम्पत्ति का विनाश

380. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिकानेर डिवीजन के उत्तेजित छात्रों ने बीकानेर रेलवे स्टेशन की सम्पत्ति को नष्ट किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई है और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाही की गई है; और

(ग) उसके परिणामस्वरुप अनुमानत: कितनी क्षति हुई?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन, बीकानेर में 9-9-1972 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 34 और 18-9-1972 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 35, पर दो मामले दर्ज किये गये। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में उनका चालान किया गया।

(ग) लगभग 16,000 रुपये।

कोचीन उर्वरक कारखाने को चालू करना

381. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन उर्वरक कारखाने को चालू किये जाने से रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस कारखाने को चालू करने में विलम्ब हो जाने के कारण अब तक कितनी हानि हुई है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां।

(ख) उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य पुरा हो चुका है और परीक्षण उत्पादन किये जा रहे हैं। परीक्षण उत्पादन के दौरान पेश आई यांत्रिक खराबियों तथा अन्य कठिनाइयों के कारण परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ है।

(ग) इस अवधि के दौरान 50% क्षमता प्रयोग के आधार पर संयंत्र के चालू करने में प्रत्येक मास के विलम्ब के लिए लगभग 15,000 मीटरी टन यूरिया।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने में बम विस्फोट

382. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1972 को गोरखपुर उर्वरक कारखाने में एक बम विस्फोट हुआ था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). 22 सितम्बर, 1962 को गोरखपुर उर्वरक कारखाने में एक विस्फोट हुआ था। इस घटना की विभागीय तौर पर जांच की गई थी। परियोजनाके अधिकारियों में भी हड़ताल करने वाले व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध तोड़फोड़ किये जाने के बारे में स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। विस्फोटक निरीक्षालय, आगरा तथा राज्य की सी० आइ० डी० ने भी इस मामले की जांच की है और निगम उनकी रिपोर्टों की प्रतिक्षा कर रहा है।

522 अप मानिकपुर-झांसी यात्री गाडी पर डाकुओं का हमला

383. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं ने 17 सितम्बर, 1972 की रात को 522 अप मानिकपुर-झांसी यात्री गाड़ी पर खुरहन्द और डिगवाई स्टेशनों के बीच हमला किया था, और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा दल ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और इसके परिणाम क्या निकले ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, 18-9-72 को 00-05 बजे।

(ख) गाड़ियों और रेल परिसीमाओं में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस की होती है ।

रेलवे सुरक्षा दल सरकारी रेलवे पुलिस के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखती है। इसी के फलस्वरुप निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :—

(i) इस खण्ड पर रात के समय चलने वाली दोनों सवारी गाड़ियों के साथ दो सशस्त्र पहरेदार चलते हैं और रेलों में अपराध करने वालों पर कड़ी निगाह रखने के लिए सादे कपड़ों वाले आदमियों को तैनात किया जाता है।

(ii) रात में गाड़ियों के पहुंचने के समय मार्गवर्ती स्टेशनों पर गश्त लगाने के लिए जिला पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

(iii) बांदा में सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में अस्थायी रुप से वृद्धि कर दी गयी है।

(iv) बांदा की सरकारी रेलवे पुलिस ने इस मामले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/394 के अधीन दर्ज कर लिया है और उस ने अब तक चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल जारी है।

चितरंजन लोको वर्क्स आदि में रेलवे जोनों तथा रेलवे बोर्ड से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती

384. **डॉ० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय के अधीन चितरंजन लोको वर्क्स, डिजललोको वर्क्स, इन्टग्रल कौच फैक्टरी और इण्डियन रेलवे कान्फेन्स एसोसिएशन में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति रेलवे जोनों अथवा रेलवे बोर्ड से की जाती है तथा उल्लिखित एककों के द्वितीय श्रेणी के पात्र अधिकारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). प्रथम श्रेणी की नौकरियों में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समग्र रेलवे के आधार पर की जाती है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और सवारी डिब्बा कारखाना के लिए अलग से भर्ती नहीं की जाती। चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना तथा सवारी डिब्बा कारखाना में प्रथम श्रेणी के पद विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से उपयुक्त अधिकारियों को तैनात करके तथा उत्पादन यूनिटों में काम कर रहे दूसरी श्रेणी के उपयुक्त अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भी भरे जाते हैं। भारतीय रेल सम्मेलन में, जो एक स्वायत्त संगठन है, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्तियां कार्यकारी परिषद् के परामर्श से भारतीय रेल सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। जब किसी रेल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो भारतीय रेल सम्मेलन द्वारा रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। भारतीय रेल सम्मेलन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उसी संगठन में प्रथम श्रेणी में पदोन्नति संबंधी नीति का नियंत्रण रेलवे बोर्ड नहीं करता।

दमदम जंक्शन से बोंगाइगांव (स्यालदाह डिवीजन–पूर्व रेलवे) तक दोहरी रेलवे लाइन

385. **डा० रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के स्यालदाह डिवीजन में दैनिक यात्रियों की निरन्तर मांग रही है कि दमदम जंक्शन से बोंगाइगांव तक लाइन को दोहरी बनाया जाये ;

(ख) क्या ऐसी दोहरी लाइन से बंगला देश के साथ व्यापार में भी सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दमदम और बानगांव के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) . इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण शरु किया गया था। रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

ईराक से अशोधित तेल लाने के लिए तेलवाही जहाजों की प्राप्ति में कठिनाई

386. **डा० रानेन सेन** :

श्री के० बालदंडायुत्तम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईराक से अशोधित तेल भारत लाने के लिये तेलवाही जहाजो को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) . यह प्रतीत होता है कि कुछ विदेशी तेल कम्पनियां, टेंकर मालिकों पर आपने राष्ट्रीयकृत नार्थ रूमला तेल क्षेत्रों से किसी गन्तव्य स्थान (भारत को सम्मिलित करते हुए) को ईराकी कच्चे तेल को न भेजने पर दबाव डालती रही है। इस तथ्य का तब पता चला जब किरायें पर टेंकर लेने के लिए मार्किट में प्रारम्भ की गई जांचों से कोई पेशकश उचित शर्तों पर प्राप्त न हो सकी। भारतीय नौवहन निगम के दो टेंकर जो अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के पास अवक्रय पत्र पर थे, प्राप्त किये गए हैं तथा एक भारतीय नौवहन फर्म से एक और टेंकर इस सेवा के लिए उपलब्ध हुआ है। उन टैंकरों में से पहला टैंकर ईराकी कच्चे तेल को लेकर हल्दिया पहुंच गया है।

तेल भाडा से सम्बन्धित धोखाधड़ी

387. **डा० रानेन सेन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1972 के "ब्लिट्ज" में "हु स्ट्रक इट रिच इन दि आयल फ्रेट स्केण्डल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) समाचार पत्र में उल्लिखत आरोप कई पहलुओं से प्रत्यक्षत: सही नहीं है। किन्तु भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के परामर्श से इस मामले में और जांच की जा रही है तथा वास्तविक स्थति सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

388. **श्री सी० जनार्दनन** :

श्रीमती भार्गवदवी तनकप्पन

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). सिंचाई एक राज्य विष्य है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन का प्रावधान राज द्वारा अपने अपने बजटों में समग्र विकास योजनाओं को रुप रेखा के अंतर्गत किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रुप में दी जाती है, किन्हीं विशेष क्षेत्रों या परियोजनाओं के लिए नहीं। वर्ष 1972-73 के लिए केरल के निमित्त योजना परिव्यय 64 करोड़ रुपये है जिसमें 33.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता है। बृहत् तथा मध्यम सिंचाई क्षत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 5.20 करोड़ रुपये है।

केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य में प्रगति लाने के लिए उन्हें राज्य योजना की रुपरेखा के बाहर 3 करोड़ रुपय की विशेष सहायता प्रदान की जाए। संसाधनों को कठिन परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हुआ कि यह अनुरोध स्वीकार किया जा सके।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज त्रावनकोर लि० अल्वाय का चतुर्थ चरण का विस्तार कार्यक्रम

389. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज त्रावनकोर लि० अल्वाय का चतुर्थ चरण (स्टेज) का विस्तार कार्यक्रम निश्चित समय से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम को द्रुतगति से चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). चौथे चरण की विस्तार परियोजना के कुछ खण्ड मुकमल हो गय हैं और अमोनिया संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन भी हो रहा है। मुख्यत: श्रम समस्याओं तथा देशीय निर्माताओं से कुछ उपकरण मिलने में हुई

देरी के परिणामस्वरुप अन्य खण्डों के चालू करने में विलम्ब हुआ है। उन उपकरणों, जिनके मिलने में विलम्ब हो गया है, के शीघ्र प्रेषण के लिए संबंधित निर्माताओं के साथ तीव्र अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त संबंधित श्रमिक यूनियनों से बातचीत की जा रही है।

बर्मा-शैल कम्पनी द्वारा ईराक से आये कच्चे तेल का शोधन किया जाना

390. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ईराक से आयात किए गए कच्चे तेल का शोधन करने के लिए सरकार ने बर्मा-शैल तेल कम्पनी से पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का पुनः चालू किया जाना

391. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग में चलाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन को कब तक पुनः चालू किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों पर पुनः नियोजित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ बराबर की साझेदारी में एक निगम गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) अभी अपेक्षित समय का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के चलाये जाने के लिए निगम

392. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के चलाय जाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार एक निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो निगम के सदस्यों तथा इसके चेअरमैन का नाम क्या है; और

(ग) उक्त शाहदरा-सहारनपुर रेलवे बोर्ड में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का कितना कितना भाग होगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ग) . उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ बराबर की साझेदारी में एक निगम गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को छोटी लाइन की बडी लाइन में बदलना

393. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि इसे दिल्ली/नई दिल्ली से जोड़ा जा सके ताकि इस क्षेत्र के प्रतिदिन यात्रा करनेवालों की भीड का सामना किया जा सके ।

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) . इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इस रेलवे को फिर से पहले वाले आमान अर्थात् मीटर लाइन के रूप में चलाया जाये अथवा अधिक चौड़े आमान अर्थात बड़ी लाइन के रुप में । अत: अभी यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि इसकी अनुमानित लागत क्या होगी और इस क्षेत्र में रेल सुविधाएं कब तक उपलब्ध करायी जा सकेंगी ।

दिल्ली-सहारनपुर के बीच बरास्ता-मेरठ विद्युत गाडियों का चलना

394. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ जिला से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार सहारनपुर और दिल्ली के बीच बरास्ता मेरठ "डेक्कन क्वीन" के ढंग की विद्युत-चालित गाड़ियां चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में तृतीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाया जाना

395. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद स्टेशन पर रात को दिल्ली आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है परन्तु हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में तृतीय श्रेणी के कुल दो डिब्बे जुड़े होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद स्टेशन पर होने वाली यात्रियों की भीड़ का सामना करने के लिए हावड़ा एक्सप्रेस के साथ तृतीय श्रेणी के अधिक डिब्बे जोड़ने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . आजकल 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में हफ्ते में 5 दिन लगाये जाने वाले एक पूर्णत: वातानुकुल सवारी डिब्बे के अतिरिक्त, दो सीधे सवारी डिब्बे—एक तीसरे दर्जे का और एक पहले दर्जे का इलाहाबाद से प्रतिदिन लगाये जाते हैं । इन स्थानों के बीच सीधे यातायात के लिए ये सीधे सवारी डिब्बे पर्याप्त हैं । 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में इलाहाबाद और दिल्ली के बीच सीध सवारी डिब्बों की संख्या में और वृद्धि करना परिचालनिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नही है क्योंकि इस गाड़ी में एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा नियमित रुप से लगाने की गुंजाइश नहीं है ।

Profit remitted to Foreign Countries by Foreign Oil Companies

396. **Dr. Laxminarayan Pandey:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the percentage of profit remitted to the foreign countries by the foreign oil companies during the last three years?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कोयला क्षेत्रों में तोलने के कांटों (वेब्रिजिज) की स्थापना

397. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयला क्षेत्रों में तोलने के कुल कितने कांटे (वेब्रिजिज) लगे हैं;

(ख) इन कांटों में लगाये जाने, उनके संचालन और देख-रेख, उन पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मर्यवेक्षण, कांटों की मापांकित पट्टी और उनके कार्यकरण की जांच तथा उपभोक्ताओं के प्रति दायित्वों के संबंध में सरकार द्वारा क्या नियम और विनियम बनाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास कांटों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायत आती रहती है और यदि हां, तो ऐसी शिकायत किस प्रकार की हैं और उनके संचालन में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी०ए०पाई) : (क) कोयला क्षेत्रों में काम आने वाली 87 चौकी तुला हैं, जिनमें साइडिंग मालिकों द्वारा लगायी गयी 55 निजी चौकी तुला भी शामिल हैं। इन चौकी तुलाओं के स्थानों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3661/72]**

(ख) संचलन के स्वरुप का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद कोयला खानों से सम्बन्धित स्टेशनों पर चौकी तुला लगायी जाती हैं। कुछ बड़ी कोयला खानों ने भी अपने चौकी तुला लगा रखी हैं इसलिए निजी चौकी तुला पर तोले गये कोयले के माल डिब्बों के लिए तोल की छूट दी जाती है।

चौकी तुलाओं के प्रभावकारी ढंग से अनुरक्षण और निरीक्षण के लिए रेलों का अपना व्यापक तंत्र है। निरीक्षण के काम में सफाई, तेल डालना और परख घाट से मानक जांच का काम शामिल है तथा राज्य के तोल और माप अधिनियम के अनुसार तोल सम्बन्धी शुद्ध अभिलेखन का समय समय पर प्रमाणीकरण किया जाता है। मंडल और मुख्यालय के अधिकारी भी निरीक्षण दौरों पर चौकी तुला के संचालन और अभिलेखों के अनुरक्षण की जांच करते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों के तोल और माप निरीक्षकों द्वारा तोल का अंशांकन और शुद्धता की जांच की जाती है। चौकी तुला का प्रचालन सरल कार्य है इसलिए कर्मचारियों को उनके पर्यवेक्षकों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) चौकी तुला के काम न करने या खराब होने के संबंध में रेल प्रशासन को कभी-कभी शिकायतें मिलती हैं जिन पर तत्परता से ध्यान दिया जाता है और यदि कोई दोष होता है तो उसे तत्काल दूर किया जाता है।

पहिये और धुरी बनाने वाले संयंत्र का स्थापना-स्थल

398. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहिये और धुरी बनाने वाले संयंत्र की स्थापना संबंधी रिपोर्ट को अन्तिम रुप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या संयंत्र की स्थापना के स्थल के बारे में निर्णय ले लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :(क) और (ख) : रिपोर्ट के सभी ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, इस परियोजना के स्थान से संबंधित प्रमुख बातों को प्रकाश में लाने के लिए किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर इस परियोजना को बेंगलूर के निकट स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में टिकटों एवं आरक्षण टिकटों की बिक्री में गडबड़

399. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई, तथा दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली "राजधानी एक्सप्रेस" गाड़ी और अन्य मेल गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के स्लीपरों के आरक्षण-टिकटों में चोर बाजारी के मामलों की सूचना अधिकारियों को दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के कष्टों को दूर करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) शायिकाओं/सीटों के आरक्षण में होने वाले कदाचार को रोकने के लिए किये गये उपायों के ब्यौरे से सम्बन्धित एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

सरकार इस समस्या की ओर निरन्तर ध्यान दे रही है। इस समस्या पर विचार करने के लिए हाल ही में संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की गयी है।

विवरण

(1) शायिकाएं यात्रियों के वैयक्तिक नामों पर बुक की जाती हैं और उनमें किसी तरह के फेर-बदल की अनुमति नहीं दी जाती।

(2) आरक्षित स्थान रोके न रखे जायें इसके लिए पंक्ति में लगे हुए व्यक्तियों को एक पार्टी के लिए 4 और परिवार के लिए 6 से अधिक शायिकायें देने की अनुमति नहीं दी जाती।

(3) बाकी रिक्त स्थान प्रतीक्षा-सूची में रखे गये यात्रियों को बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किये जाते हैं।

(4) प्रत्येक गाड़ी में स्थान की उपलब्धता की स्थिति प्रमुख स्थानों पर लगे नोटिस बोर्डों पर बतायी जाती है।

(5) आरक्षित स्थान के सम्बन्ध में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए टिकट खिड़कियों के पास विशिष्ट दस्ते तैनात किये जाते हैं।

(6) अत्याधिक भीड़-भाड़ के समय आरक्षण कार्यालयों और गाड़ियों की अक्सर जांच की जाती है।

(7) आरक्षण की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उन व्यक्तियों से जिनके नाम पर स्थान आरक्षित हुआ है, सीधे पूछताछ की जाती है।

(8) स्टेशनों पर लगे नोटिस बोर्डों के माध्यम से जनता से सहयोग मांगा जाता है और अनधिकृत स्त्रोतों से यात्रा और आरक्षण टिकट न खरीदने के लिए लोगों को सचेत किया जाता है।

(9) अत्यन्त भीड़-भाड़ के समय यथासम्भव गाड़ी सेवाओं में वृद्धि की जाती है और स्पेशल गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(10) जहां कहीं भी लोगों का कदाचार के ऐसे मामलों से सम्बन्ध पाया जाता है उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है। जहां सम्भव होता है ऐसे मामलों में मुकदमें भी चलाये जाते हैं ।

गोंडा और बहराइच रेलवे स्टेशनों पर उचित मूल्य की दुकानें

400. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा और बहराइच रेलवे स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे के कर्मचारियों और खोमचे वालों के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि वहां ऐसी दुकानें नहीं हैं, तो क्या सरकार का विचार वहां ऐसी दुकानें खोलने का है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :(क) जी हां, गोंडा में खोली गयी है । बहराइच में नहीं ।

(ख) खाद्यान और चीनी ।

(ग) जी नहीं ।

कर्मचारियों ने बहराइच में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए कोई मांग नहीं की है क्योंकि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं राज्य सरकार की राशन की दुकानों से प्राप्त कर रहे हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भाषा के प्रश्न को ले कर आसाम में हाल में हुए उपद्रव

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : श्रीमन, आसाम में विद्यार्थियों ने दो दिन पूर्व अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी । अब वहां स्थिति सामान्य है । अतः अब आज इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

दूसरे इस प्रस्ताव के बैलट में आसाम के किसी सदस्य का नाम नहीं आया है अतः कम से कम आसाम के एक संसद सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोस्वामी की मांग उचित है । सदन इस बात पर विचार करे कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार के समय हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं । उनकी दूसरी मांग के संबंध में नियमानुसार मैं असमर्थ हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : श्री गोस्वामी की दोनों बातें अन्तर्विरोधी हैं । एक ओर वह कहते हैं कि चर्चा नहीं होनी चाहियें दूसरे यह भी कहते हैं कि आसाम के किसी सदस्य को चर्चा में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम चर्चा को स्थगित करें?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जी । नहीं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"भाषा के प्रश्न को लेकर आसाम में हाल में हुए उपद्रव"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूषण चन्द्र पंत) : सरकार के लिए यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि असम में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद, तनाव तथा हिंसा होती रही है। इससे कामरूप, दारंग, नोगांग, सिवसागर तथा डिब्रूगढ़ जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 व्यक्ति मारे गए। इनमें से 3 व्यक्ति पुलिस की गोली के फलस्वरूप तथा 18 व्यक्ति दंगे तथा आगजनी के कारण मारे गये बताये गये जाते हैं। शेष 10 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में ठीक ठीक परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात 126 पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों समेत 760 व्यक्ति घायल हुए।

2 राज्य के अधिकारियों ने असम में हिंसा तथा अराजकता की घटनाओं से निपटने के लिए हर सम्भव उपाय किए। अनेक स्थानों में कर्फ्यु लगाया गया। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 88 नजरबन्दी समेत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 5690 थी। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से पूरी तरह सम्पर्क बनाये हुए है तथा केन्द्रीय बलों की नियुक्ति द्वारा सभी आवश्यक सहायता दी गई थी। स्थिति का निरीक्षण करने तथा सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने में सहायता करने के लिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा श्री रामनिवास मिर्धा असम गय थे। हाल के असम के दौरे में प्रधान मंत्री भी विभिन्न वर्गों के लोगों से मिली थी तथा सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर उन पर जोर डाला था। यह सन्तोष की बात है कि मुख्य मंत्री के प्रयत्नों के फलस्वरूप विद्यार्थियों ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है।

3 अब स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है तथा विगत दो दिनों में वहां कोई घटना नहीं घटी। ऐसी कठिन समस्याओं में कोई समाधान केवल शांतिपूर्ण वातावरण में ही पाया जा सकता है अतः सरकार सदन के सभी वर्गों तथा असम के लोगों से इस विषय में उदारता तथा समायोजन की भावना बरतने की अपेक्षा करती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : छात्रों द्वारा असम में आन्दोलन समाप्त करने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं बंगाली लोगों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने विदेशी एजन्टों के हाथ में न खेल कर स्थिति को बिगड़ने से बचाया है और दूरदर्शिता का परिचय दिया है।

असम के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को हिला देने वाली इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को हमें व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना है। असम के बंगाली लोग धारा प्रवाह रूप से असमिया भाषा बोल सकते हैं। इसे देखते हुए यह अशांति और आन्दोलन समझ में नहीं आते। संसद और सभी राजनैतिक दलों को चाहिये कि देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के प्रसार को अपना मुख्य ध्येय बनाएं। प्रादेशिक भाषाओं और भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याएं बढ़ रही हैं इनके होते हुए हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सोवियत रूस के उदाहरण को हमें देखना चाहिये कि अनेक भाषाओं का देश होते हुए भी एकता के लिए एक भाषा, रूसी भाषा को उन्होंने अपनाया है। कितनी शर्म की बात है कि 25 वर्षों के पश्चात् भी हम हिन्दी भाषा को स्वीकार नहीं कर सके हैं। सदन में अंग्रेजी में बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मैं हिन्दी में धाराप्रवाह रूप से भाषण कर सकूंगा। हमें भाषायी विद्वेश को समाप्त करना चाहिये।

यह भी तथ्य है कि असम सरकार पर दोषारोपण किया गया है। वस्तुतः असम सरकार बंगला भाषा का विरोध नहीं कर रही है। वास्तविकता यह है कि असम सरकार और सत्तारुढ़ दल की प्रतिष्ठा को गिराने के विचार से प्रशासन के भीतर से ही षड़यंत्र किए जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयासों द्वारा लोगों को आर्थिक संघर्ष से विमुख किया जा रहा है।

विरोधी पक्ष के सदस्य विशेषतया जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी के सदस्य, कल से सी० आई० ए० की बातें करके सदन में उत्तेजना फैला रहे हैं। इस बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि सी० आई० ए० की कार्यवाहियों के चिन्ह स्पष्ट हैं और उनसे ही हम बता सकते हैं कि किन कार्यवाहियों में उनका हाथ रहा है। देश के विभिन्न मांगों में होने वाली अशांति की घटनाओं में स्पष्टतया सी० आई० ए० तथा उसके एजेन्टों का हाथ है।

क्या यह सत्य है कि असम प्रशासन भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंध में स्थिति के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य मंत्री को स्थिति से अवगत कराने में पूरी तरह असफल रहा है? क्या असम प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने मुख्य मंत्री को सहयोग नहीं दिया है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त आंदोलन में भाग लिया है? हमें इस बारे में भी सोचना है कि प्रधान मंत्री के दौरे के तुरंत पश्चात् हो स्थिति सामान्य हो गई है, अंत में मेरा केवल यह अनुरोध है कि हमें यह भूल जाना चाहिये कि हम तमिल है अथला मैसूर के हैं। असमीया भाषा बोलने वाले हैं अथवा बंगला भाषा। केवल इतना ही हमें समझना चाहिये कि भारत हमारा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं भी इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न इस प्रश्न के साथ सम्बद्ध है। जहां तक असम सरकार पर असफलता का आरोप लगाने की बात है यह उचित नहीं है। मुख्य मंत्री राज्य के जनता के विभिन्न वर्गों के साथ निरन्तर परामर्श करते रहे हैं। इन कठिनाइयों के हल के लिए उन्होंने इस मामले कि सक्रियता से देखभाल की है। जहां कहीं कानून और व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने में प्रशासन तंत्र असफल हुआ है सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। कुछ अधिकारियों को मुअत्तल भी किया गया।

प्रधान मंत्री की यात्रा से भी स्थिति में सुधार हुआ और अब स्थिति बहुत अच्छी हैं। पिछले कुछ दिनों से कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। माननीय सदस्य की यह बात भी ठीक है कि इस समस्या पर हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहियें न कि भावनाओं में बह कर इस पर सोचना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व): असम में छठी बार भाषा के प्रश्न को लेकर उपद्रव हुए हैं। अभी तो 1960 की याद हमारे दिलों से भूली नहीं है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि भाषा के प्रश्न को लेकर इस प्रकार निर्दोष व्यक्तियों को लूटा जाता है व मारा जाता है। यदि कोई ठोस व प्रभावकारी नीति नहीं अपनाई जाती तो हमारा सीमान्त राज्य असम, विदेशी शक्तियों और प्रतिक्रियावादियों का अड्डा बन जायेगा।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि इस प्रकार की स्थिति में असम के गवर्नर विदेश यात्रा पर चले गए हैं। यह गवर्नर अन्य चार पडोसी राज्यों के भी गवर्नर हैं। आन्दोलन केवल स्थगित हुआ है वापस नहीं लिया गया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में यदि आन्दोलन फिर से शुरू हो तो असम ही नहीं उन चारों राज्यों की शांति भी भंग हो सकती है। इस प्रकार की बातों से यह भावना फैलती है कि यह सरकार इन घटनाओं के प्रति गम्भीर नहीं है।

असम सरकार अथवा मुख्य मंत्री पर मैं दोषारोपण नहीं करता। वास्तविक दोष तो केन्द्रीय सरकार का है। केन्द्रीय शासन भी उसी दल के हाथ में है जो दल कि राज्य में सत्तारुढ़ है। अतः केन्द्रीय सरकार को इस बारे में तुरन्त कुछ करना चाहिए।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

क्या गृह मंत्री को 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस' नामक संस्था की विद्यमानता का पता है? यह संस्था देश में तोड़फोड़ की घटनाओं में संबंद्ध है। विदेशी एजेन्टों का भी इस संस्था के साथ सम्बन्ध है। इस संस्था का फैलाव असम के लगभग प्रत्येक कालेज में है। असम की स्थिति के लिए यह संस्था जिम्मेदार है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 17 अक्तूबर, 1972 को जारी की गई 10–पार्टी अपील को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या किया है। मुख्य मंत्री कार्यवाही करने को सहमत भी हुए थे परन्तु असम कांग्रेस पार्टी के अपने आन्तरिक विवादों के कारण कुछ नहीं किया गया। सरकार स्पष्ट रूप से यह बताये कि देश की एकता की दृष्टि से क्या उपाय किए गए हैं, मुख्य राजनैतिक दलों के लिए भी यह असफलता की बात है कि कुछ विद्यार्थी अथवा युवक एकत्र होकर सारे देश में इस प्रकार की बात करते हैं। परन्तु सरकार पर तो और भी उत्तरदायित्व आता है। सरकार को देखना चाहिए कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जाए। घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 10–दलीय अपील को समस्या के अल्पावधि हल के लिए आधार बनाया जाना चाहिये तथा तत्पश्चात् दीर्घावधि हल निकाला जाये।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर परिषद् की बैठक क्यों नहीं बुलायी जाती है। असम में भाषा तथा अल्प सम्प्रदाय संबंधी अन्य विवादों के हल में इसका मुख्य योगदान होना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं इस समस्या के हल के लिए सदस्यों के ठोस सुझाव आमंत्रित करता हूं। इस समस्या का विशेष इतिहास है। यह भावनाओं की बात है अतः इस नाजुक समस्या के लिए सरकार सदस्यों की सहायता का स्वागत करेगी।

इस समस्या के हल में गवर्नर की अनुपस्थिति की बात कोई रुकावट नहीं है। इस का हल जनता के प्रतिनिधियों और असम सरकार को स्वयं निकालना है। केन्द्रीय सरकार भी असम राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का प्रयास करती रही है। इस समस्या के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय शिक्षा का माध्यम, कानून तथा व्यवस्था आदि विषय आते हैं। यह विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं अतः मुख्य उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार पर ही आता है। केन्द्रीय सरकार तो केवल सहायता मात्र ही कर सकती है।

इस बात से भी मैं सहमत हूं कि राज्य के सभी दलों को इस बारे में इकट्ठा होकर कार्यवाही करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि असम के सभी दल इकट्ठे होकर इस समस्या के हल के लिए प्रयत्नशील हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर परिषद् की बैठक बुलाने की बात है मैं यह समझता हूं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि विषय पर इतने व्यापक संदर्भ में विचार किया जाए। इससे तो विवाद का क्षेत्र बढ़ेगा। इस समय तो हमें असम के संदर्भ में ही इस विषय पर विचार करना चाहिये, हां उसमें हम व्यापक पेचीदगियों को अवश्य विचार में रखे।

शान्ति स्थापित करने और वातावरण को सामान्य बनाने के लिए सभी संबद्ध लोगों के प्रयासों से पता चलता है कि लोगों में सद्भावना है और वे गम्भीरतापूर्वक प्रयास में लगे हुए हैं। हमें आशा है कि असम की जनता और मुख्य मंत्री इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे और अगर उन्हें संसद की सहायता की आवश्यकता होगी तो वह भी उपलब्ध की जायगी।

श्री बी० के० दास चौधरी (कुच बिहार) : संबंधों में सुधार करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। हमें सबसे पहले भारतीयों की तरह आचरण करना चाहिये। देश के विभाजन के समय से असम में जो घटनायें होती रही हैं, वे अत्यधिक निन्दनीय हैं। इसी

प्रकार की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति 1949, 1950, 1954 और 1960 में भी होती रही हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन समस्याओं का स्थायी और दृढ़ समाधान ढूंढे। जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि आसाम में असमियाभाषी लोगों की जनसंख्या में 1931 से 1951 के बीच 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1931 में असमियाभाषी लोगों की संख्या 19,92,291 थी, जो 1951 में बढ़कर 49,71,220 हो गई। क्या यह जीव विज्ञान की दृष्टि से आश्चर्यजनक नहीं है। 1931 में बंगलाभाषी जनता 27.56 प्रतिशत थी, जो 1951 में घटकर 16.94 प्रतिशत ही रह गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य भाषा भाषी अल्प-संख्यकों को भी असमीयाभाषी लोगों में शामिल कर लिया गया था।

कुछ लोगों का हमेशा यह प्रयास रहा है कि आसाम में केवल असमियाभाषी लोगों का ही प्रभुत्व रहना चाहिए। 1951 में असमियाभाषी लोगों की जनसंख्या 56% थी जो 1961 में बढ़कर 57.14%ही हो गयी। भारत सरकार के ज्ञापन, 1956 के अनुसार 70% अथवा अधिक एकभाषी लोगों की जनसंख्या वाले राज्य को ही एकभाषी राज्य घोषित किया जा सकता है। अगर 70% से कम एकभाषी लोगों की जनसंख्या वाले राज्यों में अन्य भाषाओं को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री दास चौधरी सहित सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसी कोई बात न कहें, जिसमें विवाद को बढ़ावा मिले।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं सरकार के ध्यान में सही तथ्यों को लाना चाहता हूँ, जिससे सरकार के समक्ष इसका समाधान ढूंढने से पूर्व सभी तथ्य स्पष्ट हो सकें। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि आसाम में रह रहे सभी अल्प भाषी समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 ए के अन्तर्गत पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाय। आसाम के अल्पभाषी समुदाय को समाप्त करने का कुचक्र चल रहा है, अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

गृह मंत्री ने उसे 6 अक्तूबर के बाद ग्वालपाड़ा जिले के ढूबरी सब-डिवीजन की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ आगजनी, लूट, हत्या और मारकाट ही नहीं, बल्कि औरतों पर बलात्कार भी किया गया।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन घटनाओं के बारे में उचित निदेश-पदों के साथ व्यापक पैमाने पर न्यायिक जांच करना चाहेंगे? क्या वह मौके पर जाँच करने के लिए एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजने के लिए भी सहमत हैं? भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है और पीड़ितों को क्या मुआवजा दिया गया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है, उससे समस्या के समाधान में सहायता नहीं मिलेगी। हमें वातावरण शान्त और सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, जिससें सभी प्रश्नों पर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सके। मैं चाहता हूं कि आसाम के विभिन्न समुदायों में एकता और सायंजस्य की भावना हो, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदस्यगण उत्तर देने के लिए मुझे बाध्य न करें।

राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए प्रबन्ध किये हैं और अभी हाल के दंगों में प्रभावित लोगों के लिए कैम्प भी खोले हैं।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Assam is a beautiful piece of land and Bengal has been the birth-place of many revolutionaries and intellectuals. There would be national integration, if there is cultural cooperation between these two States.

[Shri R. S. Pandey]

This is not a question of Bengal or Bangla language. The real issue there is earning of livelihood. The foreign powers and their agents like C. I. A. try to divert our attention from the path of progress and development. We naturally feel concerned whenever there are any riots on the issue of language and religion. We have to give preference to the question of livelihood and have to solve this question under the Leadership of our Prime Mnister.

I would also like to know as to why all the riots and disputes take place only in the big cities. There have been riots in eight cities of Assam i.e. in Gauhati, Mangaldoi, Kharipatia, Dhumri, Naugaon, Honai, Dibrugarh and Duliojan. Is it not a fact that there is concentration of foreign agents in big cities? Is a province meant for people speaking a particular language? I would also like to know the steps taken by the Government to check the activities of those undesirable elements who rouse the emotions of the people.

Shri K. C. Pant: The hon'ble Member has asked as to why language dispute is raised in big cities only. We have been trying to solve this problem for long. His suggestion has been noted for further study. The activities of various 'Senas' is kept under constant watch.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी पार्टी का दृष्टिकोण इस बारे में पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रशासन और शिक्षा का माध्यम असमिया होनी चाहिए। हम भाषाई अल्पसंख्यकों का भी समर्थन करते हैं कि उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-स्तर तक की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा देने से इन्कार करना अनुचित और गलत है। कोई समुदाय अथवा वर्ग अगर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाना चाहता है, तो उसे इस बात की सुविधा दी जानी चाहिए। एक अलग कछार विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधानसभा के संकल्प से ब्रम्हपुत्र घाटो के भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या हल नहीं होगी। आसाम की जनता को गुमराह किया गया है और इस प्रकार के संघर्ष की योजना को निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों ने तैयार किया था।

एक ब्रिटीश चाय कम्पनी ने सत्तारुढ़ दल के प्रतिक्रियावादी गट के साथ साँठगाँठ कर रखी है। प्रशसनिक अधिकारी और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी विदेशी एजेंटों से मिले हुए हैं। पुलिस समाज-विरोधी तत्वों से मिली हुई है। प्रशासन और पुलिस मुख्य मंत्री के आदेश की अवहेलना करते हैं।

श्री शरद चन्द्र सिन्हा: प्रधान मंत्री से बातचीत करने और सलाह लेने के लिए दिल्ली आये थे। उन्हें प्रधान मंत्री ने क्या सलाह दी है मैं यही जानना चाहता हूं।

लोकतंत्र में विश्वास करने वाले आसमियाभाषा भाषी लोगों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना होगा। आसाम और पंजाब में दंगा कराने के लिए विदेशी एजेंटों के प्रयासों के बारे में सरकार के पास अग्रिम सूचना थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : असमिया और बंगला दोनों विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम हैं। फिर भी इससे संबंधित अन्य प्रश्न विचाराधीन हैं। मैं समस्या के समाधान के लिए इच्छुक हूं और सदन में इस प्रकार की बहस से समाधान में सहायता नहीं मिलेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार की शिक्षा नीति को कई-बार सदन के समक्ष पेश किया जा चुका है और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बहस के समय इस प्रश्न पर विस्तृत बहस की जा सकती है।

भाषा के नाम पर लोगों की भावनाओं को आसानी से उपाड़ा जा सकता है, इसलिए इस समस्या पर समुचित रुप से विचार करना होगा।

माननीय सदस्य ने विदेशी एजेन्सियों का भी उल्लेख किया है। कुछ सन्देहास्पद तथ्य और परिस्थितियां हमारे ध्यान में आई हैं और उन्हें प्रकट करना लोकहित में नहीं है। दंगे में ग्रस्त सभी व्यक्तियों को मैं विदशी एजेंसियों से संबद्ध नहीं मानता हूँ। हम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं और अगर उनके प्रति सचेत नहीं होंगे, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं कर सकेंगे।

सदस्य का निलम्बन
SUSPENSION OF MEMBER

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं यह मामला उठाना चाहता हूँ। 13 अक्तूबर, 1972 को गृह मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति को प्रधान मंत्री ने बताया था कि श्री बन्सीलाल का मामला एक महीने के अन्दर निपटा दिया जायगा। **

अध्यक्ष महोदय : वह बिना मेरी अनुमति के ही बोल रहे हैं।

श्री पीलू मोदी खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू अपने स्थान पर बैठ जाये। मुझे आज श्री पीलू मोदी से दो पत्र प्राप्त हुए हैं। अगर वह स्पष्टीकरण देना चाहत ह, तो वह अपनी बात कह सकते हैं। वह कृपया अपना बिल्ला उतार द ।

श्री पीलू मोदी : मैं इसे उतार देता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष पीठ की आज्ञा का उल्लंघन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। (व्यवधान)

[**तपश्चात् माननीय सदस्य ने अपना बिल्ला उतार दिया।**
The hon. member then removed the pendant.]

कल आपने और उपाध्यक्ष महोदय ने जो टिप्पणी की थी, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश को मानने को तैयार नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह सी० आई० ए० बैज पहनने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : हमने समाचारपत्रों में कांग्रेसपार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य पढ़ा है कि सभी विरोधी दलों को सी० आई० ए० का एजेन्ट बताया है। प्रधान मंत्री ने भी उनके वक्तव्य का समर्थन किया है। छात्रों का आन्दोलन, श्रमिकों की हड़ताल, बसों की अकुशल सेवा, सूखा, महंगाई इन सभी का कारण सी० आई० ए० को ठहराया जाता है।

कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अन्य सदस्यों को सी० आई० ए० एजेन्ट या विदेशी एजेन्ट कहते रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ††

श्री पीलू मोदी : ††

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

††अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही सदस्यों की टिप्पणियों को कार्यवाही–वृतान्त में शामिल नहीं किया जायगा।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंदगांव) : हमें सदन की गरीमा को बनाये रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने को सी० आई० ए० का एजेन्ट कहता है, और सी०आई०ए० का बैज पहन कर आता है, तो वह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है . . .

श्री पील मोदी : सी० आई० ए० इस देश में है तो के० जी० बी० विद्यमान है। क्या सी० आई० ए० हमारी अर्थव्यवस्था या राजनीति में कुव्यवस्था या उलटफेर करने में उत्सुक है अथवा वह यह देखने में उत्सुक हैं कि रूसी भारत में क्या कर रहे हैं . . . (व्यवधान)

के० जी० बी० कांग्रेस में अपने दोस्तों के अध्यक्ष से सी० आई० ए० का विरोध करने पर तुली हुई है। भारतीय लोकतन्त्र की दर्गति को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक नवयुवक और छात्र को इस प्रकार का बैज पहनना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 13 अक्तूबर को प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था ...**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० ए० शमीम : इस प्रकार श्री बंसीलाल को बचा लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : नियमों ने उनको बचा लिया।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : तमिलनाडु में स्थिति गम्भीर होती जा रही है। तमिलनाडु की स्थिति का हल ढुंढने के लिये सब दलों को प्रयास करना चाहिये। इस संबंध में मेरे दल में एक जांच आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में राष्ट्रपति को क्या सिफारिश दी है और मैंने जो राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत की है उस पर क्या कार्यवाही की गई है। (**अंतर्बाधाएं**)

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डिवाश) : श्री कल्याण सुन्दरम सेकड़ों याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन उनके बार में यहां उल्लेख नहीं करना चाहिये। आप तमिलनाडु में कानन और व्यवस्था की स्थिति खराब रखना चाहते हैं। आप वहां समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायें। हमारा देश इतना बड़ा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गडबड होती रहती है।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : You did not pay any attention when the Question of Shri Bansi Lal was raised here.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : यह प्रकार दो प्रकार का व्यवहार क्यों ? यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं द रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सरकार को संरक्षण दें रहे हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गैर–जिम्मेदारान टिप्पणी है । सब बातों की संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। एक सदस्य एक राज्य के मुख्य मंत्री के बारे में कह सकता है तो दूसरा दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री के बारे में कह सकता है । ऐसी बाते नहीं होनी चाहिये ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : यदि तमिलनाडु में कोई बात होती है तो इसके लिये केंद्रीय सरकार ही उत्तरदायी होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं जबकि आपने श्री कल्याणसुन्दरम को बोलने की अनुमति दे दी है क्योंकि सत्तारूढ दल इसके विरुद्ध नहीं है। आप इस संबंध में दो प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपनी इस बात को वापस लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी बात वापिस नहीं लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे हमेंशा ही आरोप लगाते रहते हैं । मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता । या तो वे अपनी बा वापिस लें अथवा उन्हें सदन छोड़ना होगा ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : यदि आपको उनके वह शब्द पंसद नहीं है तो आप उन्हें सभा की कार्यवाही मे निकाल सकते हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य या तो अपने शब्द वापिस लें अथवा वे सदन छोड़कर चले जायें ।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : माननीय सदस्य द्वारा अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्हें अपने शब्द वापिस ले लने चाहियें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभा में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों के बारे में कुछ निश्चित नियम हैं। हमें उन नियमों का पालन करना चाहिये। हमें पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। आप ऐसे शब्दों को इच्छानुसार सभा की कार्यवाही से निकाल सकते हैं। श्री बंसी लाल के मामले में आप श्री ज्योतिर्मय बसु को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे जब कि तमिलनाडु के मामले में आपने श्री कल्याणसुन्दरम को बोलने की अनुमति दी थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत सत्र में आपने ऐसे विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति दी थी जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। क्या आप दो प्रकार का व्यवहार नहीं अपना रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध हमेशा प्रत्यक्ष आरोप लगाते रहते हैं। उनकी टिप्पणी बहुत ही गैर जिम्मेदारान हैं। मैं उनकी कोई और बाते सुनना नहीं चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सत्तारूढ़ दल को संरक्षण दे रहे हैं। आप भ्रष्ट मुख्य मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप अवश्य सभा छोड़ दें। मैं इस बारे में अन्य माननीय सदस्यों को सुनना चाहूंगा।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): I want to raise a point of order. You have the right to conduct the proceedings of the House according to the well-laid conventions and rules. When Shri Kalyanasundaram tried to speak about the Chief Minister of Tamil Nadu, you did not stop him from speaking, but several other members stopped him from speaking. (*Interruptions*). You should protect the hon. members according to the well-laid conventions and rules. You did not use that right. You are misguided by the voices of and the noise of the members. You change your decision quite often. You must stick to the rights you get. You do not use your rights and do not protect the House.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमेशा पीठासीन अधिकारी की अव लना करते रहे हैं। मैं हमेशा उनकी बातों की उपेक्षा करता रहा हूं परन्तु इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं । मैं अब यह माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि वह इस बारे में निर्णय ले कि उन्हें सभा से वाहर चले जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सभा छोड़ने को तैयार हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आपने इस बारे में बहुत सख्त निर्णय लिया है। यदि श्री ज्योतिर्मय बसु को सदन छोड़ने के लिये बाध्य किया गया तो हम सभी अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरुद्ध उनके साथ सदन त्याग देंगे।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : आपको सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलानी चाहिये । यदि आप किसी माननीय सदस्य द्वारा कही गई किसी बात को पसन्द नहीं करते तो आपको उनकी उस बात को सभा की कार्यवाही से निकालने का अधिकार है । आप पहले ऐसा ही करते आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अवश्य खेद व्यक्त करें । मुझे दुःख है मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं ।

श्री एस० ए० शमीम : यदि आप सत्तारूढ़ दल के शोर गुल से अपना मार्गदर्शन करते हैं तो यह बड़ी ही खेद की बात है ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Shri Jyotirmoy Basu is in the habit of doing this very often. My submission is that either he should withdraw his remarks and if he does not, he should be forced to leave the House for two days.

अध्यक्ष महोदय : मैं पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप सहन नहीं कर सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : श्री कल्याणसुन्दरम जो हमारे दल के उप नेता हैं उन्होंने जब आप से आपके कक्ष में भेंट की थी तो आपने उन्हें यह बताया था कि आप इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं देंगे । इसके बावजूद भी प्रत्येक सदस्य को किसी मामले को सदन् में उठाने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा ही किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने दोनों ही सदस्यों श्री कल्याणसुन्दरम और श्री ज्योतिर्मय बसु को मामला उठाने की अनुमति नहीं दी । लेकिन कुछ सदस्यों का यह आरोप है कि आपने श्री कल्याणसुन्दरम को बोलने की अनुमति दे दी । (**अन्तर्बाधाएं**) मैं इस बारे में आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेरे कक्ष में कहा था कि मैं श्री बंसी लाल पर लगाये गये आरोपों पर चर्चा करना चाहता हूं । मैंने उनको कहा था कि यह राज्य का विषय है और वह इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते । श्री कल्याणसुन्दरम ने कहा था कि वह तमिल नाडु में संविधान के असफल होने के बारे में सभा में मामला उठाना चाहते हैं । दोनों सदस्यों के विषयों में भारी अन्तर है । मेरा विनिर्णय यह था कि जहां तक विधान सभाओं अथवा सरकारों अथवा मुख्य मंत्रियों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का सम्बन्ध है, संविधान के अनुसार, सदन् में इन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती । लेकिन संविधान के असफल रहने के मामले में मैं विचार कर सकता हूं । इस विषय पर मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं । इसीलिये श्री ज्योतिर्मय बसु या तो अपने शब्द वापिस ले या सदन छोड़ दें ।

श्री पीलू मोदी : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को नजरअन्दाज कर दिया जाये । आपको इस मामले में उदारता का परिचय देना चाहिये ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस मामले में पीठासीन अधिकारी पर दो प्रकार का व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है । हम सब इस बात से सहमत हैं कि पीठासीन अधिकारी तब तक सुधारक रूप से काम नहीं कर सकता जब तक सब दलों द्वारा उसके सम्मान उसकी गरिमा और निष्पक्षता को बनाये नहीं रखा जाता । माननीय सदस्य ने ऐसा पहली बार नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को या तो अपने शब्द वापिस लेने अथवा सदन छोड़ने का आदेश दिया है । यही इस मामले में सबसे उदार रूख है। लोक तन्त्र तब ही चल सकता है जब पीठासीन अधिकारी की इच्छाओं, विचारों, विनिर्णयों को उचित आदर दिया जाये ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : असंसदीय शब्द को सभा की कार्यवाही से निकाला जा सकता है लेकिन धमकी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री राज बहादुर: मैंने कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हुं कि वह लोक तन्त्र और पीठासीन अधिकारी की गरिमा के हित में सदन छोड़कर चले जायें।

मैं सब सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह सभा में शिष्टाचार बनाये रखने में सहायता दें ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Every member of the House feels that no such words should be used which may insult the Speaker. I think that none of the members has such intention.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : विपक्ष की ओर से आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहिये । श्री ज्योतिर्मय बसु और अन्य सदस्य यह चाहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रतिदिन अनेक प्रस्ताव आते हैं । क्या जिस सदस्य का प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करता उसे कुछ भी कहने का अधिकार है ? कुछ सदस्य इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं । सदस्य अपने प्रस्ताव के बारे में मेरे से मेरे कक्ष में मिल सकते हैं अथवा वह अपने प्रस्ताव को सदन में उठा सकते हैं लेकिन वह पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप नहीं लगा सकते । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को सदन छोड़ने के लिये कहें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): There is a feeling that you allowed D.M.K. issue to be raised whereas you did not allow to raise an issue against Shri Bansi Lal. I, therefore, request that you should clear the situation. It is a general feeling that Shri Bansi Lal is being protected and corruption charges against D.M.K. are being allowed to be raised.

Shri Raj Bahadur: If the hon. Members want to raise the issue concerning Shri Bansi Lal they can raise it under rules. But the real issue is being ignored. The matter regarding 'double standard' should be considered.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I am of the view that much importance should not be given to this issue. You may kindly expunge the remarks.

अध्यक्ष महोदय : मैं असंसदीय शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल सकता हूं लेकिन पीठासीन अधिकारी को दी गई धमकी अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये आक्षेप को सभा की कार्यवाही से कैसे निकाल सकता हूं ?

श्री एम कल्याण सुन्दरम : जब मैंने तमिलनाडु का मामला उठाया था तब श्री वाजपेयी ने वहां की विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के बारे में मामला उठाया था । आपने तमिलनाडु की सामान्य स्थिति पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी थी । लेकिन जब श्री वाजपेयी आज मामला उठाने के लिये खड़े हुए तो मैंने यह ही सोचा कि शायद वह विधान सभा को स्थगित करने सम्बन्धी मामला उठा रहे हैं अन्यथा मैं यह मामला यहां पर नहीं उठाता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही माननीय सदस्य से अपने शब्द वापिस लेने अथवा सदन छोड़ देने के लिये कह चुका हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने शब्द वापिस नहीं लेता । मैंने जो कहा है मैं उसे ठीक समझता हूं । गृह मंत्री ने श्री बंसीलाल से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले में स्पष्ट आश्वासन दिया है (**अन्तर्बाधायें**) । मेरा अपने शब्द वापिस लेने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री राजबहादुर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने माननीय सदस्य का अध्यक्ष की अवज्ञा करने के बारे में नाम लिया है मैं अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को सदन छोड़ने के लिये कहा जाये यह सदन की गरिमा और पीठासीन अधिकारी और समस्त सदन की शिष्ठता का मामला है । (**अन्तर्बाधायें**)

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा के एक सदस्य श्री ज्योर्तिमय बसु को, जिनको अध्यक्षद्वारा अवज्ञा का दोषी ठहराया गया है, दो दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये" ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि इन विषय पर मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । प्रश्न यह है : "कि सभा के एक सदस्य श्री ज्योर्तिमय बसु को, जिनको अध्यक्ष द्वारा अवज्ञा का दोषी ठहराया गया है, दो दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये" ।

श्री पीलू मोदी : प्रस्ताव लिख कर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के लिखकर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें और जो इसके विरुद्ध है वे कृपया 'ना' कहें । यदि आप मतविभाजन कराना चाहते हैं तो मैं 'लाबी' को खाली करने का अनुरोध कर सकता हूं । प्रश्न यह है "कि सभा के एक सदस्य श्री ज्योर्तिमय बसु को, जिनको अध्यक्ष द्वारा अवज्ञा का दोषी ठहराया गया है, दो दिन के लिये सभा की सेवा से निलबित किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में	**175**	**विपक्ष में**	**58**
Ayes	175	Noes	58

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री पीलू मोदी : प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री समर मुखर्जी : हम सब सदन छोड़ कर जा रहे हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम भी सदन छोड़ कर जा रहे हैं ... **(अन्तर्बाधाएं)**

(इसके पश्चात् श्री ज्योतिर्मय बसु के साथ श्री समर मुखर्जी, श्री शयमनन्दन मिश्र और कुछ अन्य सदस्य सदन छोड कर चले गये)

(Shri Samar Mukherjee, Shri Shyamanandan Misra and Some other Members then left the House along with Shri Jyotirmoy Basu)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का 47 वां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दण्ड के सम्बन्ध में विधि आयोग के 47वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3653/72]

कृषक धन और आय कराधीन संबंधी समिति का प्रतिवेदन और केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कृषिक धन और आय कराधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3652/72]

(2) सितम्बर, 1972 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3651/72]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं सूचना देता हूं : "कि राज्य सभा ने 13 नवम्बर, 1972 को अपनी बैठक में बालक दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को राज्य सभा के 83 वें सत्र (बजट सत्र) के प्रथम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है ।"

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1972

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972

(4) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1972

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 15 विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां, भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972

(2) उपदान संदाय विधयक, 1972

(3) संविधान (28वां संशोधन) विधेयक, 1972

(4) राजनयिक सम्बन्ध (वियना कंवेंशन) विधयक, 1972

(5) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1972

(6) पंजाब नई राजधानी (परिक्त) नियंत्रण (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972

(7) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1972

(8) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक, 1972

(9) वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक, 1972

(10) भारतीय राज्य शासक (विशेषाधिकारों की समाप्ति) विधेयक, 1972

(11) बीज (संशोधन) विधेयक, 1972

(12) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1972

(13) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972

(14) इण्डियन कापर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1972

(15) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1972

कार्य मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

देश में सूखे की स्थिति के संबंध में वक्तव्य
STATEMENT RE. DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री फक्रुद्दीन अली अहमद): मैं देश में सूखे की स्थिति के संबंध में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

वक्तव्य]

माननीय सदस्यों को मालूम है कि देश के अधिकांश भागों में जुलाई के अन्त तक और अन्य भागों में अगस्त और सितम्बर के दौरान भी अपर्याप्त वर्षा होने तथा मानसून के अनियमित रहने के कारण इस वर्ष खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में भिन्न भिन्न परिमाण में कमी की स्थिति पैदा हो गई है । तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, और राजस्थान के राज्य सूखे से काफी प्रभावित हुए थ लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, जहां एक समय खरीफ की फसल की सम्भावनाएं बहुत मन्द दिखाई देती थीं, वहां मौसम के उत्तरार्ध में वर्षा होने के परिणाम स्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

2. सूख से उत्पन्न संकट पर काबू पाने के लिए पर्याप्त राहत उपाय गठित किए गए हैं । प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शरू करने, मुफ्त सहायता देने और पेयजल, चारा सप्लाई करने और महामारी के फूटने की रोकथाम करने की व्यवस्था करने जैसे सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं । इस समय देश भर के विभिन्न भागों में 69,594 राहत कार्य चल रहे हैं जिनमें 35.38 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । जो राहत कार्य शरू किए गए हैं उनसे स्थायी परिसम्पत्ति तैयार होगी और उनमें मुख्यत: भू-संरक्षण, वनरोपण, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य, कुओं, टैंकों को गहरा करना और उनका निर्माण करना और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं । इनके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए मंजूरशदा योजना और गैर योजना स्कीमों का पूरा लाभ उठाया गया है ।

3. हालांकि राहत कार्य शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक क्रय शक्ति प्रदान करने का है, फिर भी बूढ़ों, दुर्बल व्यक्तियों और उन व्यक्तियों को जोकि किसी न किसी कारणवश काम करने में असमर्थ है, को भी मुफ्त सहायता दी गई है । इस समय देश के विभिन्न भागों में लगभग 17 लाख व्यक्तियों को मुफ्त सहायता दी जा रही है । इसके अलावा, बच्चों, दूध पिलाने वाली महिलाओं सहित 30 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को मुफ्त आहार और दुग्ध वितरण कार्यक्रमों से लाभ पहुंच रहा है ।

4. केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, केन्द्रीय दल अब तक सूख से प्रभावित सभी राज्यों का दौरा कर चुके हैं । केन्द्रीय दलों ने जिन राज्यों का अब तक दौरा किया है, उनके लिए दलों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1972-73 के लिए खर्च की कुल

[श्री फक्रुद्दीन अली अहमद]

सीमा लगभग 102 करोड़ रूपये निर्धारित की है । इसके अलावा, सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार लगभग 30 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता भी दी गई है ।

5. खरीफ के उत्पादन में हुई क्षति को पुरा करने और रबी तथा ग्रीष्म की फसलों में वृद्धि करने के लिए मेरे मंत्रालय ने जो आपातिक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है उसका भी उल्लेख किया जा सकता है । इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों के परामर्श और सहयोग से जोर-शोर से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

6. देश का बहुत बड़ा भाग अर्थात 14 राज्य सूख की चपेट में आ जाने से हाल ही के महीनों में सूखे से प्रभावित राज्यों की खाद्यान्नों की मांग में भारी वृद्धि हुई है । तथापि, भारत सरकार द्वारा बफर स्टाक रखने की नीति अपनाने के फलस्वरूप सरकार के पास खाद्यान्नों का स्टाक होने से सूखे से प्रभावित राज्यों की खाद्यान्नों से सम्बन्धित सभी उचित मांगों को न केवल पूर्णतया पूरा किया गया है बल्कि जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हमने बंगला देश को भी भारी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की है ।

7. विशषतया समाज के जरूरतमन्द वर्गों को उचित स्थिर मूल्यों पर खाद्यान्नों की समान सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसका विस्तार करने के लिए भी पग उठाए हैं । इस वर्ष अगस्त में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जोकि 1,25,000 से अधिक थी बढ़कर अक्तूबर के अन्त तक लगभग 1,58,000 हो गयी है । सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध सभी खाद्यान्नों को उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है । सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करने के कार्य में तेजी लायी गई है । खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा जुलाई के 8.5 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर सितम्बर में 11.80 लाख मीटरी टन कर दी गयी थी जबकि, गत वर्ष के उन्हीं महीनों में ये मात्रायें 6.4 लाख मीटरी टन और 7.5 लाख मीटरी टन थीं । सरकारी वितरण प्रणाली की विभिन्न त्रुटियों को तेजी से दूर किया जा रहा है ।

8. सूखे से प्रभावित तथा कमी वाले क्षेत्रों की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत संचलन कार्यक्रम शुरू किया गया है; जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में क्रमशः 5.2 लाख मीटरी टन, 6.5 लाख मीटरी टन, 7.5 लाख मीटरी टन और 8.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक भेजा गया था । इस स्टाक के संचलन से न केवल क्षत्रों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया जा सका बल्कि इससे समाज विरोधी तत्वों द्वारा जमाखोरी करने से खाद्यान्नों के मूल्यों में सट्टेबाजी से होने वाली वृद्धि को भी कुछ हद तक रोका जा सका है ।

9. बफर स्टाक की भरपाई करने और अपेक्षित स्तर तक तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 46 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं । और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अधिप्राप्ति मशीनरी में सुधार करें और इस बारे में यथावश्यक सभी अन्य उपाय करें ।

10. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त पग उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं । हम इस स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं और राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा इसका मुकाबला करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर सभी उपाय करेंगे ।

कृषि उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में वक्तव्य
STATEMENT RE. AGRICULTURE PRODUCTION PROGRAMME

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री फक्रुद्दीन अली अहमद) : मैं कृषि उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि चालू वर्ष में वर्षा न केवल अपर्याप्त रही है, बल्कि देश के अनेक भागों में सामान्य नहीं हुई है । काफी समय से सूखे की स्थिति के बाद जुलाई, 1972 में खरीफ खाद्यान्नों की कुल क्षति का अनुमान लगभग 1 करोड़ 50 लाख मीटरी टन लगाया गया था । सौभाग्यवश, अगस्त के शुरू से अनेक राज्यों में वर्षा हुई और जो फसले नष्ट नहीं हुई थीं उन्हें बचाने में यह वर्षा लाभदायक सिद्ध हुई । जिन क्षेत्रों में पहले की फसले नष्ट हो गई थीं, वहां दोबारा बुवाई करने में भी इससे सहायता मिली । सितम्बर और अक्तूबर में देश के अधिकांश भागों में जो व्यापक वर्षा हुई उससे खरीफ फसलों की सम्भावनाएं और बढ़ गई है । इसके परिणामस्वरूप फसल की क्षति होने के सम्बन्ध में राज्यों से पहले जो रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं उससे कम हानि की सम्भावना है । इस वर्षा से रबी मौसम की खेती की तैयारी का काम भी सुगम हो गया । अतः महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को छोड़कर, जहां वर्षा बाद में भी कम रही है, कुल मिलाकर स्थिति पहले लगाये गये अनुमानों से अच्छी है ।

इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने दालों जैसी अल्पकालीन मध्यवर्ती फसलों की खेती के लिए एक अभियान शुरू किया है और रबी व ग्रीष्म मौसमों के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम शुरू किया है । इस नीति का उद्देश्य रबी और ग्रीष्म फसलों से लगभग 1 करोड़ 50 लाख मीटरी टन अतिरिक्त उपज प्राप्त करना है ।

इसके लिए राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वे ऐसे शीघ्र लाभ देनेवाले लघु सिंचाई कार्यक्रम शुरू कर सकें जो 31 माच, 1973 तक परे हो सकें, ताकि रबी व ग्रीष्म फसलों की सिंचाई की जा सके । राज्यों को विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए सहायता के तौर पर 140 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण देने की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यक्रमों से चालू वर्ष में रबी और ग्रीष्म फसलों को होने वाले लाभ के अतिरिक्त एक स्थायी लाभ यह भी होगा कि आगे वर्षा पर कम निर्भर रहना पड़ेगा ।

रबी और ग्रीष्म मौसमों के आयोजित सघन उत्पादन अभिमान के लिए आदानों की बढ़ी हुई मांग को पुरा करने के लिए, और इस बात पर भी विचार करते हुए कि खरीफ मौसम के दौरान बेमौसमी मानसून के कारण किसानों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है, उन्हें पहिले से अधिक बड़े पैमाने पर अपत्कालीन ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है । अब तक राज्य सरकारों को इस मद में कुल 74.50 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विशेष उत्पादन अभियान के लिए गहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजो और कीटनाशियों की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था कर दी है ।

सदन को मालूम ही है की रबी और ग्रीष्म मौसमके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने से चालू वर्ष में उर्वरकों की मांग काफी बढ़ गई है, किन्तु उनकी उपलब्धि में बाधायें हैं । हम उनकी पूर्ति यथासंभव आयात करके करने का प्रयास कर रह हैं । अनुमान है कि रबी के पिछले मौसम में उर्वरकों की वास्तविक खपत की तुलना में इस वर्ष रबी की फसलों के लिए इसकी सप्लाई 22 प्रतिशत

[श्री फक्रुद्दीन अली अहमद]

अधिक होगी । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उर्वरकों के कम उपयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं । इनमें गहरी जुताई, मृदा सुधार के उपाय, संतुलीत उर्वरीकरण कीट और घासपूस का समुचित नियंत्रण, वैज्ञानिक आधार जल व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं । राज्य सरकारों को इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से अवगत कर दिया गया है जिन्होने उन्हें प्रशिक्षण कैंपों और रेडियो आदि अन्य प्रसारण माध्यमों से कृषकों तक पहुंचाने के लिए उपाय किये हैं ।

कृषि मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें 'क्षेत्र अधिकारी' का नाम दिया गया है, राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं ताकि इन कार्यक्रमों को क्षेत्र स्तर पर लागू करने के संबंध में समन्वय और निरीक्षण को सुनिश्चित किया जा सके । राज्य सरकारों ने भी विभिन्न स्तरों पर अपनी क्रियान्वयन व्यवस्था को सुचारू बनाया है जिससे की विभिन्न कार्यक्रमों को समय पर पूरा किया जा सके । विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में लगे विभिन्न विकास कार्यालयों और एजन्सियों के प्रयासों को गतिमान करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियों की स्थापना की गई है ।

आशा है कि रबी के मौसम के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने से काफी अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो सकेगा । सदन को मालूम ही है, प्रतिकूल मौसम का जब गेहूं के उत्पादन पर कम असर पड़ता है । हाल ही के वर्षों में गहूं के उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख मीटरी टन कि वृद्धि हुई है । बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केन्द्रीय और पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि गेहूं पैदा करने वाले कई राज्यों में हाल ही में दूर-दूर तक वर्षा हुई है । इससे गहूं की बुवाई में सुविधा रहेगी । आशा है इसके साथ-साथ लघु सिंचाई के विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाओं और अधिक उत्पादनशील किस्मों की काफी बड़ क्षेत्र में खेती करने से गेहूं की फसल काफी अच्छी होगी । कई राज्यों से समाचार मिले हैं कि बुवाई का काम जोर-शोर से चल रहा है । इसे देखते हुए हमें आशा है और विश्वास है कि यदि हमारे किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाये तो वे समय पर वर्षा न होने के कारण हुई उत्पादन-क्षति को कुछ हद तक पूरा करके देश की सहायता कर सकेंगे ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1972-73

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1972-73

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं वर्ष 1972–73 के बजट (सामान्य) संबंधी अनदानों की अनुपूरक मांग दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हमे मूल्य स्थिति पर चर्चा करेंगे । हम पहले भोजन काल के लिए अथवा अभी चर्चा प्रारंभ करें।

अनेक माननीय सदस्य : हमें भोजन काल के लिए उठना चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए तीन बजकर तीस मीनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fifteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा तीन बजकर तैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at thirty-three minutes past fifteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Sir, U.N.I. employees are on hunger strike. They are not getting wages in accordance with the recommendations of the Commission. Government should take action in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The demands of U.N.I. employees are just. It is not merely a question of increased wages. They are not enjoying ordinary facilities. A.I.R. is paying a grant of Rs. 8 lakhs to U.N.I and hence there is no justification for such treatment towards its employees. Labour Minister should be asked to give a statement.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आप के जरिए श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मामले में हस्तक्षेप करें और इस बात को देखें कि वेतन ढांचे तथा अन्य सुविधाओं के बारे में अंतिम निर्णय होने तक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जाय।

Shri Ramautar Shastri (Patna) : I also want to say that the Government should expedite the matter.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : सूचना तथा प्रसारण मंत्री को भी वक्तव्य देना चाहिये (अन्तर्बाधाएं)। काफी समय से सुना जा रहा था कि एक निगम बनाया जा रहा है परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति। एक-दो सदस्य इस मामले पर बोल चुके हैं और सरकारी पक्ष ने इस सुन भी लिया है। यह पर्याप्त है।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

मूल्यों में वृद्धि

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि सभा अब स्थगित हो", मैंने यह प्रस्ताव देश के लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों सहित सभी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में निरन्तर असफलता के बारे में सरकार की भर्त्सना के लिए प्रस्तुत किया है। हमारी आयोजना के लिए यह शर्म की बात है कि समाजवाद के नारों के बावजूद 40 से 50 प्रतिशत लोग गरीबी का जीवन आज भी बिता रहे हैं। मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं हैं। 31 जुलाई, 1971 को खाद्यान्नों के संबंध में मूल्य सूचकांक 211.5 था और 1 जुलाई, 1972 को यह सूचकांक बढ़कर 235.8 हो गया और फिर 29 जुलाई, 1972 को यह 241.6 हो गया। तम्बाकू के संबंध में मूल्य सूचकांक क्रमशः 188.9, 215.9 और 230 था। इसी प्रकार ईंधन, बिजली आदि के बारे में मूल्य सूचकांक 172 से बढ़ कर 177 हो गया। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में मूल्यों में और भी वृद्धि हुई है। परन्तु फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछले पखवाड़े में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के संकेत प्राप्त हुए हैं। अतः यह वक्तव्य स्थिति को सही रुप से प्रस्तुत नहीं करता है। मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार ने नियोजकों को उपभोक्ताओं के विरुद्ध उकसाया है। श्रमिकों को

[श्री एस० एम० बानर्जी]

8.33 प्रतिशत की दर पर बोनसकी अदायगी के पश्चात नियोजकों ने कहा है कि हम कार्य दिवसों और उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि हमने 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया है।

अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया है कि मूल्यों को किस प्रकार नियंत्रित किया जायेगा। लेवी चीनी के मूल्य में जो वृद्धि की गई है उसका कोई औचित्य नहीं है। चीनी मिलों के लाभ पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाया गया है।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया है। परन्तु 14 टूटी फूटी मिलों के अतिरिक्त मिलों को अधिकार में लेने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सत्तारुढ़ दल ने जो नीतियां चुनाव के समय जनता के समक्ष रखी थी आज उन्हें बदला जा रहा है। लोगों को दिये गय आश्वासन भुला दिये गये हैं। अब एकाधिकार हितों को संरक्षण देने की नीति अपना ली गई है। परन्तु इस पर भी कहा जा रहा है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

3 अक्तूबर, 1972 से 5 अक्तूबर, 1972 के बीच 3,12,627 लोगों ने हमारे दल द्वारा मूल्यों में वृद्धि और बेरोजगारी के विरुद्ध चलाए गए आन्दोलन में भाग लिया है। इन में 1,32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आन्दोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई है और बर्बरतापूर्ण लाठी प्रहार हुआ है। परन्तु इससे भी लोग आन्दोलन से पीछे नहीं हटे हैं।

हमने दीर्घावधि नीति के कुछ सुझाव दिये हैं। हमने कहा है कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। कांग्रेस के सम्मेलन मे इस संबंध में निर्णय लगभग लिया भी गया परंतु उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सरकार को चाहिय कि अपने आश्वासन पूरा करे। हमारा सुझाव था की सस्ते कपड़े सहित अत्यावश्यक वस्तुएं सरकार द्वारा नियन्त्रित उचित मूल्य दुकानों से वितरीत की जाये। हमनें यह भी सुझाव दिया कि चीनी तथा कपडा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। परन्तु सरकार ने केवल 46 संकटग्रस्त मिलें ही अधिकार में ली हैं तथा शेष को छोड़ दिया गया है। इसके कारण स्पष्ट किए जाएं?

[श्री के० एन० तीवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair.*]

चीनी मिल मालिको को उत्पादन शुल्क में छूट दे दी गई है। कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित न्यूनतम उपभोग स्तर 27 रु० प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर 40.5 रु० प्रति माह होना चाहिए, परन्तु उनका उपभोग स्तर इससे भी कम है। अगर मूल्यों को स्थिर नहीं रखा जाता, तो "गरीबी हटाओ" का नारा हास्यास्पद है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से वायदा व्यापार के लिए अभी भी ऋण दिया जा रहा है। किसानों और अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लघु उद्योग प्रारम्भ करने के लिए अभी भी ऋण नहीं दिया जा रहा है। काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विमुद्रीकरण के बारे में वांचू समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश भी अभी तक स्वीकार नहीं की गई है।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए अनाजों के थोक व्यापार, आयात-निर्यात व्यापार और विदेशी तेल कम्पनियों का अधिग्रहण किया जाय एवं चीनी और कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इस बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार की नीति "प्रतिक्षा करो और देखो" रही है।

श्रमिकों ने उत्पादन में वृद्धि की है, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलने के कारण वे इस मूल्य स्तर पर भरपेट भोजन पाने में भी असमर्थ हैं। वित्त मन्त्री गुप्त रूप में बाजार से भावों की जाँच करें, तो उन्हें पता चलेगा कि मूल्यों में वस्तुतः कितनी अधिक वृद्धि हुई है।

सरकारी कर्मचारी हो अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कर्मचारी हो, महँगाई के कारण वह परिवार का भरणपोषण करने में असमर्थ है। अभी हाल में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम वर्ग का प्रत्येक कर्मचारी 950 रु० से 1160 रु० के बीच की राशी का कर्जदार है। वे सरकारी समितियों, भविष्य निधि और अन्य सरकारी स्रोतों से ऋण लेकर परिवार का भरणपोषण कर रहे हैं।

हमारे आन्दोलन में लाखोंकी संख्या में छात्रों, कर्मचारियों, स्त्री और पुरुषों ने भाग लिया, क्योंकि वे सब सरकार द्वारा महँगाई न रोक सकने के विरुद्ध रोष प्रकट कर रहे थे।

भूमि की अधिकतम सीमा का अभी तक निर्धारण नहीं हो सका है। कांग्रेस के अन्तर्गत एक वर्ग भूमि सुधार के मार्ग में अभी भी बाधायें उपस्थित कर रहा है।

जनता से व्यापक समर्थन मिलने के बावजूद लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति यह सरकार उदासिन रही है। 25 साल तक विराट बहुमत में रहने के बावजूद यह सरकार अपनी गलत नितियों के कारण महँगाई को रोकने में असफल रही है।

योजना क्या है और किसके लिए? क्या यही आयोजना है कि आदमी को मार दो और अगर उसका बेटा जीवित रहे, तो उसे उसका फल प्राप्त होगा?

1400–1500 बोरी चीनी की जमाखोरी करने वाले को तो गिरफ्तार तक नहीं किया जाता परन्तु बिहार में उस आदमी को निर्भयतापूर्वक गोली से शूट दिया गया जो महँगाई के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था। यह सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े जमींदारों और बड़े उद्योगगृहों के तुष्टीकरण की नीति अपना रही है।

चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे किय गये, परन्तु चुनाव के बाद क्या किया गया? सारे देश का अगर ईमानदारी से सर्वेक्षण किया जाय, तो पता चलेगा कि 60 या 70 प्रतिशत जनता को दोनों समय भरपेट रोटी भी नहीं मिलती है। वनस्पति तेल की कीमत, सरसों के तेल की कीमत और मूँग फली के तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, परन्तु वित्त मंत्री इन सब के लिए प्राकृतिक विपदा को दोष देंगे। अगर, यह सरकार मूल्यों में वृद्धि रोकते और जनता के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने में असमर्थ रहती है, तो इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं और खाद्य मन्त्री को शान्तिपूर्वक त्यागपत्र दे देना चाहिए .... (**व्यवधान**) चीनी 4 रु० और 5 रु० प्रति किलो बिक रही है, फिर भी खाद्य मन्त्री चीनी के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में लेने में अनाकानी कर रहे हैं।

महँगाई की समस्या पर पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं, बल्की इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद): मैं श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। सारे देश की जनता के समक्ष इस समय जो कठिन स्थिति है, उस पर सभी राजनैतिक दलों को मिल-बैठकर विचार करना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए। . . (**व्यवधान**) मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि देश के समक्ष कठिन स्थिति नहीं है अथवा कीमतों में वृद्धि नहीं

[श्री आर० के० सिन्हा]

हुई है। लेकिन क्या इस समस्या का समाधान कम्युनिस्ट पार्टी अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है? इस समस्या का समाधान भी वही पार्टी करेगी, जिसने बंगला देश की लडाई लड़ी और शरणार्थियों का भरणपोषण किया।

प्रकृति के ऊपर सरकार अथवा वित्त मंत्री का नियन्त्रण नहीं है। जब हमने 120 लाख शरणार्थियों को भोजन दिया, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। हम इन शरणार्थियों का इसलिए भरणपोषण कर सके, क्योंकि भारत में हरित क्रान्ति सम्पन्न हुई थी। हम आज भी बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्यान्न सप्लाई कर रहे हैं। यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। विरोधी दल के सदस्य यह भी कहेंगे कि बंगलादेश को खाद्यान्न की सप्लाई जारी रहनी चाहिए और यह भी साथ में कहेंगे कि खाद्यान्न का आयात नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि चोरबाजारियों को दण्ड दिया जाय और खाद्यान्न के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया जाय, लेकिन इन सबके लिए एक मूलभूत ढाँचे का विकास भी होना चाहिए।

कल के भाषणों में कहा गया कि आन्ध्र प्रदेश को सहायता दी जाय, गुजरात को सहायता दी जाय। सूखा आदि प्राकृतिक विपदावों के कारण धान और गेहूं की फसल को क्षति पहूँची और मूंग फली तेल के उद्योग को भी धक्का पहुँचा। विरोधी दल के लोग चीन और रुस की आलोचना नहीं करते, जो स्वयं अमेरिका से गेहूँ का आयात कर र हैं। हमने भारत की जनता का अपने खाद्यान्न से भरणपोषण किया है; परन्तु सरकार को विरोधी पक्ष इस पर भी बधाईका पात्र नहीं समझता। पिछले पचास वर्षों के दौरान यह पहला मौका है कि हमने पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न का आयात नहीं किया। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते, तो बंगला देश का युद्ध नही लड़ा जा सकता था।

सी० आई० ए० की और उनके सुझाव को कोई भी नहीं छिपा सकता। जो कुछ सामने आया है वह वास्तविकता थी। सरकार को भी इस की जांच करनी चाहिए।

श्री समर गुह (कंटाई) : उन्होंने ऐसा विचार प्रकट किया है कि इस सभा के कोई विशेष सदस्य सी० आई० ए० के एजन्ट हैं। इस बात को वापिस लिया जाना चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी गई हो इससे कठिनाई उत्पन्न हो जायगी।

सभापति महोदय : मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं ...

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : दोनों पक्षों को नहीं, इस अवसर पर केवल एक ही पक्ष को।

सभापति महोदय : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा सी हो गई है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की आलोचना करते हैं परन्तु माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The charge which has been levelled should be expunged.

श्री पीलू मोदी : मैं सभा को चेतावनी देता हूं कि अगली बार यदि किसी ने मुझे सी० आई० ए० का एजन्ट बताया तो मैं इसे पुनः पहनने को तैयार हूं।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं अपने आप बने एजन्ट से क्या कहूं? इसका निर्णय करना तो उनका ही काम है कि उनकी क्या भूमिका है।

समाज के गरीब वर्गों की दैनिक आवश्यकता कं। वस्तुएं तथा मिट्टी का तेल, चीनी, नमक खाने का तेल और मोटे कपड़े का मानकीकरण किया जाना चाहिए तथा उनके व्यापार को सरकार को हाथ में ले लेना चाहिए। इस वर्ष फसल कम हुई और यह संभव है कि आगामी कुछ वर्षों में

फसल अच्छी हो परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक बड़ा देश है और इस देश को इस बारे में बड़े पैमाने पर योजना बनानी है ताकि इस देश की विदेश नीति देश के अन्दर एजन्टों और बाहरी दबाव से विफल न होने पाये।

उपभोक्ता वस्तुओं पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए ताकि ग्रामीण तथा नगरिय क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब आदमी को दो वक्त का खाना मिल सके।

कपड़ा और चीनी उद्योग को ही लिजीए। इन उद्योगों के मालिकों ने पिछले बीस वर्षों में औद्योगिक मशीनों से इतना काम लिया कि वे आज पुरानी हो गई है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को उठाये और उसकी जांच करे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : कपड़ा उद्योग में 88 प्रतिशत एकक संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, केवल 12 प्रतिशत एकक बंद किये गये हैं।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कपड़ा और चीनी उद्योग की हालत की पूर्णतया जांच की जानी चाहिए, विशेषकर चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इसी प्रकार मोटे कपड़े का उत्पादन हात में लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण जन समुदाय को इन चीजों की कमी महसूस न हो। परन्तु आज हो क्या रहा है ! बड़–बड़े व्यापारी मोट कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं और बाद में उन छोटे परचून क्रेताओं, जो मोटा कपड़ा खरीदना चाहते हैं, को बढिया किस्म का कपड़ा खरीदने पर विवश करते हैं।

यदि देश की भावी अर्थव्यवस्था को बनाये रखना है तो कपड़ा और चीनी उद्योग की हालत की जांच करनी होगी। यह स्वागत-योग्य कदम है कि सरकार ने देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये उपलब्ध किये हैं। ग्रामीण विद्युतकरण की ओर भी ध्यान देना होगा।

पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है। हमारे पास संसाधन है जिन्हें विदेशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में उत्पादन इस प्रकार होना चाहिए कि यदि किसी वर्ष कम फसल हो तो हमें तकलीफ न उठानी पड।

वसूली और वितरण की सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। खंड, जिला, मोहल्ला और नगर स्तर पर सभी दलों की समितियों को वसूली और वितरण व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिय ताकि इस दिशामें भविष्य में श्रेष्ठतर परिणाम निकल सकें।

यदि रेफ्रिजटरों, टेलीविजन सेटों और बढ़िया किस्म के कपड़ों का खुला व्यापार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु समाज के गरीब वर्गों को उनकी मूल आवश्यक वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर मिलनी चाहिए, 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये। वतन आयोग का अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।

सभापति महोदय : डा० कर्णी सिंह।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूर) : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक यहां उपस्थित नहीं है। वाद-विवाद में उठाई गई बातों का वह उत्तर कैसे देंगे ?

डॉ० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ परन्तु निर्दलीय सदस्य की हैसियत से मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि मैं इस प्रस्ताव पर सरकार के विरुद्ध तब तक मत नहीं दूंगा जब तक मुझे यह संतोष न हो जाये कि हम विरोधी पक्ष वाले ऐसे प्रस्ताव तर्कसंगत बात के लिये लाने को तैयार हैं और यदि आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार बनाने योग्य हैं।

[डॉ० कर्णी सिंह]

पिछले गर्मी के महीनों में जब मैं महाराष्ट्र में था तो लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि इस सर्दी के आरम्भ में कभी भी अचानक मूल्य वृद्धि हो सकती है। हमें इस सभा में बताया गया था कि कीमतों पर नियंत्रण रखा जायेगा परन्तु अब तो ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी सच निकली है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो हमारे देश के लिये यह गंभीर खतरा होगा।

भारत की जनता ने कांग्रेस दल और श्रीमती गांधी को भारी बहुमत प्रदान किया। चुनाव के नारे ही पर्याप्त नहीं होते हैं। देश में लोगों से कहा गया था कि उन्हें रोटी, रोजी, कपड़ा और मकान दिया जायेगा और गरीबी हटायी जायेगी, परन्तु सभी प्रतिज्ञाएं झूठी होने वाली हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें और यह सुनिश्चित करे कि कम से कम मूल आवश्यकताएं पूरी की जाए और मूल्यों पर नियंत्रण रहे।

मांग और पूर्ति मूल्यों पर नियंत्रण करती है। इसे सभी जानते हैं। हमें उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना होगा। हमें कृषि पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को स्मरण करा दूं कि दो-तीन वर्ष पूर्व जब उत्तरी भारत में अकाल पड़ा था तब हमने मंत्री महोदय के समक्ष कुछ बातें रखी थी कि हमें और अधिक सिंचाई परियोजनाएं चालू करनी चाहिये। राजस्थान नहर उठाऊ परियोजना आरम्भ की गई है। तब हमने सरकार से कहा था कि इस परियोजना को जल्दी ही क्रियान्वित करके समाप्त किया जाना चाहिये ताकि इससे 35 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके परन्तु किसी छोटे ठेकेदार की सरकार के साथ कठिनाई के कारण काम नहीं हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि देश मे, जो यह अनिश्चितता है कि भारत को प्रजातांत्रिक देश रहना है अथवा साम्यवादी राज्य या भारतीय ढ़ंग का समाजवाद लाना है अथवा साम्यवाद, इस सारी बात से भ्रांति उत्पन्न होती है।

ये अनिश्चित अवस्थाएं ऐसी बाते हैं जिनसे उत्पादन में कमी, मुद्रास्फिति, घाटे के बजट और मूल्य-वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

इस प्रकार की अनिश्चितता से प्रोत्साहन को समाप्त किया जा रहा है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति बृहतर भारत का निर्माण करने योग्य है परन्तु एक बार जैसे ही सरकार प्रत्येक चीज को अपने हाथ में लेना आरम्भ कर देती है तभी छोटे से छोटे उद्योगपति का प्रोत्साहन समाप्त हो जाता है। फलतः उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई कम हो जाती है।

सरकार को शीघ्र ही सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। मैं नहीं समझता कि समाजवादी देश में सरकार को यह अधिकार है कि सरकारी उद्योगों को घाटे में चलने दे और देश के संसाधनों को समाप्त होने दें जिनसे अर्थव्यवस्था बनती है। जितना जल्दी इस बात पर निर्णय किया जाये कि इस देश में गैर-सरकारी क्षेत्र रहना है या नहीं उतना ही हमारे लिये अच्छा है। मेरे विचार में लघु उद्योगों का भारत की भावी अर्थव्यवस्था में स्थान होता है। कोई भी समाजवादी सरकार सरकारी-क्षेत्र में इतनी बड़ी हानि को माफ नहीं कर सकती। कुछ कम्पनियों को भारी हानि हो रही है जिनमें से हैवी इलेक्टिकल्स को 60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना को प्रति दिन 28 लाख रुपये के लगभग घाटा हो रहा है। यदि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ठप्प हो जायेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। इस देश में रोजाना 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं। मान लीजिए, 15,000 मर जाते हैं तो 35,000 बच्चे 5 वर्ष पूरे हो जाने पर स्कूल लिये तैयार हो जाते हैं। यह कहा गया है कि अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि से बड़ा भारी खतरा होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे अनुसंधान

दलों से ऐसे कार्यक्रम बनाने को कहे जो गांवों में जाकर आने वाले दो या चार वर्षों में जन-संख्या वृद्धि को कम करे ।

57 करोड़ व्यक्ति बैठ कर केवल 'गरीबी हटाओ' के नारे को नहीं देखते रहेंगे । वे काम चाहते हैं, वे चाहते हैं कि मूल्यों पर नियंत्रण हो । मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री अपनी निर्वाचन प्रतिज्ञाओं को अवश्य पूरा करेंगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बैतूल) : श्री एस० एम० बानर्जी ने तेल कम्पनियों, चीनी के कारखानों, निर्यात-आयात व्यापार तथा अन्य कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है । स्वयं हमने भी यही कहा है कि उक्त उद्योगों का प्रबंध ठीक नहीं है और उन्हें सरकारी अधिकार में लिया जाना चाहिये । उक्त सुझाव चाहे जितने प्रशंसनीय हों परन्तु मूल्यों के बढ़ने के सन्दर्भ में उक्त सुझावों के द्वारा सरकार की निन्दा करने का कोई तुक नहीं है । यह कोई तर्क नहीं है कि यदि इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता तो मूल्यों में वृद्धि, के कारण इतनी विकट स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

यह एक कटु सत्य है कि गत कुछ महीनों में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और इसके फल-स्वरूप विशेष रूप से समाज के निर्धन वर्ग पर भारी संकट आया है । अब यदि इस के लिये वह सरकार को दोषी ठहराते हैं तो उन्हें इसके कारण भी बताने चाहिए जब कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है ।

इस संदर्भ में मेरा मत यह है कि आज देश की आधे से अधिक जन संख्या निर्धनता से भी नीचे के स्तर का जीवन व्यथित कर रही है और यह विकट स्थिति केवल मूल्यों में वृद्धि के कारणहि नहीं प्रत्युत पीने के पानी तथा खाद्य पदार्थों तथा चारे की कमी के कारण भी हुई है ।

मूल्यों का बढ़ना एक आर्थिक क्रिया है और इस पर अधिक उद्देश्यपूर्ण हो कर विचार किया जाना चाहिये । सरकार का कार्यकरण के बारे में शांति से विचार किया जाये तथा जहां उसकी कमियां रही हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाये । गोल-मोल बातों में आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा । साफ साफ शद्वों में बताया जाये कि सरकार की कौनसी नीति गलत रही है तथा वह कहां पर ईमानदारी से काम नहीं कर पाई हैं ।

वस्तुत: आवश्यकता तो इस बात की है कि हम सभी मिलकर, राष्ट्रीय स्तर, युद्ध स्तर पर अपने सभी संसाधनों को उपयोग में लाये । देश के लोगों का उत्साह ऊंचा करे ताकि वे इस संकट का सामना करें । हमें इस संकट पूर्ण स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिये बल्कि ठोस और कारगर सुझाव दिये जाने चाहियें । कोई लाभप्रत और सार्थक कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें ।

मूल्यों में वृद्धि के मैं कुछ कारण बताना चाहता हूं । श्री बनर्जी द्वारा पेश किये गये आंकड़े सही नहीं हैं । हम जानते हैं कि खाने के तेलों तथा अन्य विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़े हैं तथा उनसे भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है परन्तु इस संदर्भ में यह बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इसमें केवल सरकार की असफलता ही इसका कारण अथवा क्या कुछ अन्य कारण भी हैं । वस्तुत: इसके मुख्य कारणों में प्राकृतिक संकट तथा गत वर्ष बंगला देश के बारे में हमारे द्वारा लिये गये निर्णय भी शामिल हैं । और इनमें सब से बड़ा कारण मुद्रा-स्फिति है जो वह भारत में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों में भी हुई हैं हालांकि इससे काफी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

दूसरे विश्व का ऐसा कोई देश भी है जिसने स्वयं ही कोई बड़ा युद्ध किया हो और वहां मद्रा-स्फिति नहीं हुई हो और इसके फलस्वरुप उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़े हों । अर्थव्यवस्था संबंधी

[श्री नरेन्द्र कुमार सालव]

प्रक्रिया किसी भी भावनाओं की परवाह नहीं करती बल्की उसका संबंध वास्तविकता से होता है। युद्ध के कारण हमे लगभग 700 करोड़ रुपये की घाटे की बजट की व्यवस्था करनी पड़ी है और इसके फल भी हमें भोगने ही होंगे।

तीसरे, गतवर्ष बाढ, सूखे तथा तूफानों के कारण हमें 600 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। हर वर्ष भी हमें इन विपत्तियों के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि होती है। फिर खरीफ की फसल के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। इसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है जिनका कारण मानसून की असफलता है। क्या इसमें सरकार का दोष है। सरकार तो इस स्थिति का मुकाबला करने का भरसक प्रयास कर रही है।

मध्य प्रदेश की हालत भी बहुत खराब है। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों को अपने अपने काम से कोई लाभ नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि वहां ज्वार और बाजरा तक नहीं मिल रहा है। ख़रीफ की फसल के नष्ट होने से यह हालत हुई है और मानसून की असफलता इस का कारण हैं। अब आप न्याय कीजिये कि सरकार इसके लिये कहां तक दोषी है। हमारे देश की भौगोलिक प्रकृति ही ऐसी है। परन्तु हमेशा ही मान्सून पर निर्भर रहना हमारी कमी है और यही कारण है कि हमारी हरितक्रान्ति केवल कागजी कार्यक्रम बनकर रह गयी है।

अब प्रश्न यह है कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र का संबंध है केन्द्रने वहां धन भेजा है परन्तु उसका उपयोग करने के लिये राज्य सरकार के पास उचित प्राधिकारी-व्यवस्था नहीं है। अब इसमें सरकार का क्या दोष हैं। मध्य प्रदेश की तो यह स्थिति है।

चीनी के मूल्यों में वृद्धि पर काफ़ी जोर दिया गया है। मैं श्री बाजपेयी के इस मत से पूरी तरह सहमत हूँ कि चीनी-उद्योग ने बड़ा ही ग़लत व्यवहार किया है और उसे गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाना चाहिये। कुछ वर्ष पूर्व चीनी मिलों के पास इतनी चीनी थी कि वे घबरा गये थे कि वे इतनी चीनी का क्या करें, परन्तु अब की न केवल कम उत्पादन हुआ है बल्कि गन्ने की प्रति एकड पैदावार भी बहुत कम हुई है। गन्ना-उत्पादकों को उनके उत्पादन को उचित मूल्य मिलने चाहिए तथा साथ ही सामान्य उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर चीनी मिलनी चाहिए।

इस संदर्भ में अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार का क्या दोष है? अत विपक्ष के आरोप राजनैतिक स्वार्थों से भर हुए हैं और वे इस स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

सब से भयंकर बात यह है कि खाने के तेलों के उत्पादन में कमी हुई है। तिलहन 75-80 प्रतिशत फ़सल नष्ट हो गई। इस में सरकार क्या करें? वह तो इसका बड़ी मात्रा में आयात कर रही है। इसके लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा के पर्याप्त स्त्रोत हैं।

वित्त व्यवस्था का मूल्यों में वृद्धि तथा मुद्रास्फिति के साथ गहरा संबंध है। कहा गया है कि गत वर्ष की 241 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 121 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुद्रा जारी की गई है तथा रिज़र्व बैंक ने गत वर्ष की 327 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 86 करोड़ रुपए का अधिक ऋण दिया है। इस प्रकार देश के कोष पर भारी दबाव पड़ा है तथा वित्त मंत्री को बजट में व्यय का विस्तार करना पड़ा है। अब इस स्थिति का मुक़ाबला केवल उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग कर के ही किया जा सकता है।

विपक्ष ने और सब बातें तो कहीं हैं परन्तु यह महत्वपूर्ण बात कहना बिल्कुल भूल गया कि करों की वसूली की जानी चाहिये । वित्त मंत्री ने राज्यों को ओवरड्राफ्ट द्वारा धन निकालने पर रोक लगाकर बहुत ही प्रशंसनीय काम कियाहै । इस से घाटे की बजट व्यवस्था में भी कटौती होगी ।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि इस संकट की स्थिति को राजनैतिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये । यदि हम वस्तुतः यह चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो तो हमें सर्वप्रथम तो अपने लोगों का मनोबल ऊंचा करना चाहिये तथा दूसरे, सब को एक साथ मिलकर देश को सर्वतोमुखी उत्पादन बढाना चाहिये तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था करनी चाहिय जिसमें सब को समान अवसर मिले ।

श्री पुरुषोत्तम मावलंकर (अहमदाबाद) : यद्यपि मुझे खेद है कि इस सभा में मैं अपना सर्वप्रथम भाषण इस नाखुशगवार विषय पर कर रहा हूँ परन्तु फिर भी मूल्यों में वृद्धि का यह विषय आज देश का सब से महत्वपर्ण विषय भी है । इस विषय पर चर्चा तो कल अपराह्न में ही होनी चाहिये थी क्योंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमारे देश के तथा विदेशों के संसदीय नियमों के अनुसार भी काम रोको प्रस्ताव पर उसी दिन चर्चा होनी चाहिये जिस दिन कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया हो । मुझे आशा है कि भविष्य में एसा ही किया जायेगा ।

मैंने अनुभव किया है कि इतने बड़े बहुमत में बैठकर हमारे विपक्षी यहां विपक्ष के विचार सून लेने का भी धैर्य नहीं रखते जब कि यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी स्वतंत्र संसद में चर्चा करना सम्बन्धित विषय के संदर्भ बड़ी ही मूल्यवान सिद्ध होती है । फिर य लोग बार बार बंगला देश, बंगला देश की रट लगा रहे हैं । माना कि सरकार ने इस समस्याको बड़ी योग्यता से हल किया है परन्तु अब इस बात को इतिहास का अंग बना देना चाहिए ।

मूल्यों में वृद्धि की जो समस्या आज देश में प्रबल रूप से खड़ी हुई है उसकी ओर सरकार का ध्यान हम इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ही दिला सकते हैं । न केवल सरकार को बल्कि समुचे राष्ट्र को ही हमने इस स्थिति के बारे में सचेत करना है ।

अपने चुनाव अभियान के दौरान मैं अनेक लोगों से मिला चाहे वे किसी भी वर्ग के लोग थे और मैंने सभी को मूल्यों में वृद्धि के कारण असन्तुष्ट और दुखी पाया । वे लोग इतने निराश और हताश थे कि उन्होंने न केवल मुझे या मेरे विरोधी को बल्कि किसी दल अथवा व्यक्ति को मत देने से इन्कार किया तथा स्वयं को निरपक्ष रखना चाहा । मैंने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि मैं लोक सभा में पहुंचा तो सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर अवश्य आकर्षित करूंगा । लोगों ने मुझे कहा है कि मैं सरकार को बताऊं कि लोग उसके नारों और अनिर्णय की नीति से तंग आ चुके हैं, और सर्वथा निराश हो चुके हैं ।

मेरे चुनाव के दौरान गुजरात सरकार ने 29 अक्तूबर के दिन अकस्मात बिजली काट दी ताकि कपड़ा मिलें बन्द हो जायें और उनके मज़दूर बेकार होकर मिलों से निकल कर अधिकाधिक संख्या में सरकारी उम्मीदवार को वोट देने पहुंचे । परन्तु सौभाग्य से ठीक इसके विपरित हुआ । मज़दूरों ने अपनी मज़दूरी की हानि से चिडकर शासक दल के उम्मीदवार को वोट न देकर मुझे वोट दिये और मैं विजयी हुआ । परन्तु क्या मैं जान सकता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बिजली काट देना कहां तक संवैधानिक और उचित था ? मज़दूर लोग तो पहले ही मूल्यों में वृद्धि से परेशान थे उस पर बिजली काट कर उनकी उस दिन की मजदूरी भी छिन ली गई । क्या सरकार यह समझती है कि वह बड़े बड़े व्यापारियों तथा उद्योग पति ों के बलबूले पर सभी चुनाव जीत सकती है ? यदि हां, तो यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

[श्री पुरुषोत्तम मावलंकर]

आज मूल्यों में वृद्धि की लहर की जनता द्वारा इन्दिरा की लहर की संज्ञा दी जा रही है और मुझे विश्वास कि यदि आज पुनः चुनाव कराये जाये तो यह शासक दल यहां हमारी जगह, विपक्ष की कुर्सी पर बैठा नजर आयेगा।

अब लोग सरकार के झूठे और खोखले नारों से तंग आ चुके हैं। आज उन्हें स्पष्ट विचार धारा तथा ठोस कार्यवाही करने वाले की आवश्यकता है जिसके द्वारा उनकी ये समस्याएं हल हो सकें।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रायः सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढते जा रहे हैं। केवल मानव का मूल्य नहीं बढा है, मानवता का मूल्य नहीं बढा है। क्या विडम्बना है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं और मानवता दिन पर दिन सस्ती होती जा रही है। आज पंडीत जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और अनेक वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था कि देश की स्वाधीनता खतरे में है उसकी रक्षा करो। परन्तु आज मैं यह कहता हूं कि मानवता खतरे में हैं, इसे बचाओ ! मूल्यों में वृद्धि के कारण लोगों का जीवन ही अस्वस्थ हो गया है। अतः हमें विचारधारा की लढ़ाई छोड़कर वास्तविकता में रह कर ठोस कार्यवाही करनी चाहियें। उसी से हमारा कल्याण हो सकता है।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कहिनी छोड़ दें तथा देश में व्याप्त आर्थिक बुराइयों को अविलम्ब समाप्त करें। यदि सरकार इस भीषण चुनौती के समय चुस्त और निष्क्रिय रहेगी तो यह समुचे राष्ट्र के लिये अत्यंत घातक बात सिद्ध होगी।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Sir, It is not correct to say that only the opposition, and not the Ruling party, is concerned about the problem of rising prices. We on this side have been repeatedly urging the Government to take adequate measures to curb this evil forthwith. We have put quite a number of suggestions also in this behalf whereas my friends opposite have not been able to extend healthy and constructive criticism of the Government till now. None in this House would say that prices have not gone up and naturally everyone is deeply woried about it. Also I admit that this problem has risen partly because of the Government's inadequate action and partly because natural calamities and also because of certain political thinking and activity. Had there been timely rains and therefore adequate power supply for tube-wells and other things, the things would have been different. So let us all collectively think as to what measures should be taken to counter all that. We are not against entirely what has been suggested by the friends opposite. We too want that the number of fair price shops should be increased and there should be proper distribution of commodities all over the country. There are no two opinions that the prices should be brought down, it should also be put forth as to how effectively and constructively can it be done. It is of no use crying that the country would go to dogs. This or that would happen, revolution would take place etc. etc. Instead we should come out with concrete suggestions and haves and have nots. Let me submit that the failure of monsoons gravely affected the kharif crops and the tube wells and canals could not help because of non availability of power. The irrigation sources got held up.

Now, we have to look to the 'Rabi' crops for which the hon. Finance Minister has allotted Rs. 150 crores under certain crush programmes.

Some friends opposite seek the resignations of some persons in the Agricultural field because of the decline in production. It is not proper and warranted.

Dr. Karni Singh has made a very good point in saying that we should increase production in the fields and not in the homes.

I do agree that our people should meet their basic needs and necessities of life and for this we should pool and tap all our resources to their full capacities, we should not indulge in destructive criticism and try to secure political gains.

I have some suggestion to make. There are certain sectors which should be nationalised particularly those units which are not being run successfully by their owners and those which are not bringing adequate output.

It is obvious that the present times of crisis have been the result of failure of monsoons; natural calamities like floods, drought and cyclones in various parts of the country plus the operation Bangla Desh which still needs much help and we have to adjust for it. It is therefore not desirable to cast unthoughtful and unwise remarks on the Government in this connection.

You know, Government are making all efforts in refund to fertilizers and inputs, but I would suggest that the States should also be asked to undertake crop planning and also to become self sufficient in other things.

Then water disputes should also be settled without delay so that certain held up projects could be completed. Let some time limit be fixed in this behalf.

There should be a programme for the growth of pulses and other essential commodities. The States should be given definite orders and time limits for all these things. Such are the constructive things which we should adopt and implement. We have to be constructive and realistic.

श्री समर मुखर्जी : सभापति महोदय, यह सब स्वीकार करते है कि स्थिति बडी ही गंभीर है परन्तु न तो वित्त मंत्री ने और न ही शासक दल ने इन समस्या के मूल में जाने का प्रयास किया है । वस्तुतः इसे कांग्रेस सरकार ने शुरू से अब तक की अपनी पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य नीतियों से एकाधिकार प्राप्त लोगों की ही समृद्धि की है और कर रही है परन्तु बात यह समाजवाद की करती है ।

दो दिन पूर्व ही उद्योग मंत्री की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया कि देश के 75 बडे उद्योग गृहों में से 66 उनके राज्य में हैं, और उन्हें बढ़ने दिया जाना चाहिये ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले त ा पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो और उत्पादन बढ़े । परन्तु फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार क्यों चौपट हो रही है? क्या कभी इसके कारणों की खोज की गई है? यह सरकारी नीति की अनुपयुक्तता के कारण ही तो है कि देश में निरन्तर बरोजगारी बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं, काला धन बढ़ रहा है और धन कुछ ही लोगों के कब्जे में जा रहा है । आज देश में 75 करोड़ का काला धन विद्यमान है । फिर सर्वेक्षण से पता चलता है कि हरित क्रान्ति के फल-स्वरूप ग्रामीण लोगों के मध्य आधिक ध्रूवीकरण हुआ है, अधिक लोग भूमिहीन हुए है तथा बेरोजगारी बढ़ी है ।

आज बड़े बड़े फार्मों के स्वामी बैंकों से बड़ी बड़ी राशियां प्राप्त कर रहे हैं तथा अपने पूंजीगत उत्पादन के लिये सभी स्त्रोतों का लाभ उठा रहे है। सारी खाद्यान्न मंडिया उनके काबू में है । सरकार, मंत्रालय विभाग सभी उनके नियंत्रणाधीन होते जा रहे है। यही मूल समस्या है ।

मूल्यों में वृद्धि तथा आर्थिक संकट से सारा देश संतप्त है और यह संकट निरन्तर बढ़ता जा रहा है । साथ ही असन्तोष के कारण लोगों में धैर्य भी समाप्त होता जा रहा है। दिल्ली में रोज बस जलाई जा रही हैं । एक दिन सरकार मूल्य में वृद्धि को रोकने का आवाहन देती है तो दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में छपता है कि चीनी और अनाज के भाव बढ़ गये है । अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के समाचार भी नित्य ही आते हैं। वित्त मंत्री अपने वक्तव्य में कहते 'है कि निकट भविष्य में मूल्यों में गिरावट

[श्री समर मुखर्जी]

आयेगी परन्तु स्थिति कुछ भिन्न ही है । अतः अब किसी प्रकार की सुस्ती अथवा काहिली की गुंजाईश नहीं रह गई है । उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं में उपलब्ध कराई जानी चाहियें ।

सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में 50 प्रतिशत लोग भुकमरी स्तर से भी निम्न स्तर पर जीवनमापन कर रहे है । फिर भी किसी उपचारी उपाय का सुझाव नहीं दिया गया गया है । इससे जमा खोरों को भारी लाभ कमाने में सहायता मिलती है । प्रधान मंत्री के साथ अपनी बैठक में मैंने कहा था कि सरकार मामले की गम्भीरता को नही पहचान रही है । वित्त मंत्री के वक्तव्य से मेरी बात सिद्ध होती है कि स्थिति गम्भीर है । मूल्य वृद्धि के बारे में सरकार की ओर से पुराने तर्क दिये जा रहे है कि सारे देश में ही मूल्य बढ़ रहे है और सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है । यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाय तो फिर सरकारी नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही रह जाती है । सरकार की बात को गलत सिद्ध करने के लिए मै अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं । प्रतिवेदन मे कहा गया है कि केन्या में मूल्य 18.6 प्रतिशत बढ़े है, थाईलॅण्ड में 19.1 प्रतिशत, ईरान में 17 प्रतिशत, पाकिस्तान में 45.1 प्रतिशत । परन्तु भारत में मूल्यों में 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है । कुछ मित्रों ने चीन तथा रूस का उल्लख किया था । 1971 में चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक निर्धारण किया गया था । उस में बताया गया है कि वहां पर सभी लोगों के पास रोजगार है और लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर जीवन निर्वाह लागत कम है और लोगों को आय कर नहीं देना पड़ता । यह भी बताया गया है कि चीन की सरकार ने रासायनिक उर्वकों, कीट नाशी औषधियां के मूल्यों को कम करने के लिए भी कदम उठायें है । कृषि उत्पादों पर कर को 12 प्रतिशत से कम करके 1971 में 6 प्रतिशत कर दिया गया है, दैनिक प्रयोग की औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य भी चीन में कम हो रहे है । प्रबन्ध संबंधी व्यय के लिए सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है । यह चीन की अर्थव्यवस्था का चित्र है और अब इसकी तुलना भारत की अर्थव्यवस्था से की जा सकती है ।

मेरा निवेदन यह है कि मूल्य वृद्धि के मूल कारणों को दूर किया जाना चाहिए । सरकार को खाद्यानों का व्यापार अपने हाथों में ले लेना चाहिए । अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को भी सरकार द्वारा अपने हाथों में लेना चाहिए । इनके वितरण की जिम्मेदारी सरकार को स्वयं संभालनी चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Finance Minister had stated in the month of August that the Members should have patience for few weeks and we will take not only all legal measures but political measures also. Now the months have passed and the prices have not come down. I doubt the figures given by the Government that they had 90 lakhs tonnes of foodgrains in buffer stock. Had these been such a huge buffer stock there would not have been any rise in the foodgrains. Rise in the prices of foodgrains adversely affects the domestic budget of the common man because 70 per cent people spend their income on essential commodities. The hon. Finance Minister had also stated that they will open the fair price shops. In his present statement he had not given any indication about the number of shops opened.

In fact the Government is pursuing its policy of deficit financing and that is the main reason of the increase in prices. We have failed to increase the production to cover up the deficit financing.

[श्री नरेन्द्रकुमार सालवे पीठासीन हुए । **Shri N. K. Salve** in the Chair.]

There has been acute shortfall in industrial production. Whereas there has been increase in the money supply by 15 per cent. This has been published in the report of The Reserve Bank of India. Figures in relation to the National growth has not been published this year. It appears that the rate of growth has further come down. May I know whether it is not surprising that the production of Referigerators, Air Conditioners has gone up many times whereas production of salt, cloth and oil has come down.

The Congress Party has decided in its annual function that wholesale trade in foodgrains should be taken over by the Government. Now the Chief Ministers of several States are saying that they cannot take over this trade as they have no machinery for distribution. In this connection I would like to say that if Government takes over this trade then they have more money in the market. The Government should adopt pragmatic approach in this regard. They should increase the production. The Government should remove all the obstacles which are coming in the way of increasing production. The Government should also impose heavy cuts on the non-developmental expenditure. It should also stop supplying money to the market. Non-plan expenditure should also be cut down. Public Sector undertakings should be run properly.

The talk of nationalisation is always politically motivated. There was a talk of nationalising the sugar industry in Uttar Pradesh but that is a bygone thing because now Shri Tripathi is on the helm of affairs. The Government have increased the rates of sugar and this extra burden has been put on the consumers. The national economy is in peril. Coming days will be more hard pressing. There should have been fair distribution system. People should be encouraged to produce more. Government should bring forward necessary changes in its policy. If the responsibility of distribution of foodgrains is entrusted to Food Corporation of India more difficulties will arise. Already charges of Corruption against F.C.I. are being looked into. I will request the Government to bring necessary changes in the policies.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं अपने आप को खाद्य स्थिति विशेषकर चीनी तथा वनस्पति तक ही सीमित रखूंगा । अनेक भागों में कम वर्षा होने तथा देरी से वर्षा होने के कारण खरीफ फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है । गत वर्ष को सूखे के कारण खरीफ फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था । इस बार चावल की फसल भी कम हुई है। मोटा अनाज निरन्तर दूसरे वर्ष भी कम हुआ है। इसी कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है । गेहूं के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है । रबी तथा ग्रीष्म ऋतु में अनाज के उत्पादन को बढाने संबंधी कार्यक्रमों पर पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया गया है । समूचे देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए भी उपाय किये गये है । उचित दर की दुकानों की संख्या अब 1,28,000 से 1,58,000 बढ़ा दी गई है । ये दुकानें पहले से अब अच्छा कार्य कर रही हैं।

चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है । समूची चीनी पर पूरा नियंत्रण लागू करने की समस्या हल नहीं होगी और ऐसा करना उपभोक्ता के हित में भी नहीं होगा। चीनी मिलों किसानों को गन्ना के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य दे रही है । अक्तूबर के महीने में गत वर्ष अक्तूबर की तुलना में गन्ने का अधिक उत्पादन हुआ है । यदि हम गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं देते तो गन्ने के उत्पादन के कम होने की सम्भावना है। केवल 30 प्रतिशत चीनी ही खुले बाजार में बेचन की अनुमति है । इसका कारण यही है कि मिल मालिक गन्नों उत्पादकों को गन्ना का अधिक मूल्य दे सके। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि एसा मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । कांग्रेस

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

दल ने चीनी मिल मालिकों से कोई चन्दा नहीं लिया । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को 12.25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसे मिल रहे हैं जबकि मध्य उत्तर प्रदेश में यह दर 11.25 रुपये हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी विवाद चल रहा है और किसान 15 रुपय प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। गन्ने की मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ चीनी के मूल्यों में वृद्धि स्वाभाविक है । इस मामले पर विचार किया जा सकता है कि खुले बाजार में चीनी बेचने से मिल मालिकों को लाभ हो रहा है और कि वह किसानों को नहीं मिल रहा है, इस मामले पर मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा कि क्या और कर लगाकर सरकार इस लाभ को स्वयं ले सकती है अथवा नहीं।

हाल ही में गन्ने के नय मूल्यों में भी वृद्धि की गई है । वसूली की चीनी के मूल्य में उत्पादन लागत तथा गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य शामिल है। समूचे देश में वसूली चीनी का मूल्य समान है ।

मिल मालिक 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेच कर जो लाभ अर्जित कर रहे हैं उसी में से वे गन्ने के बढ़े हुए मूल्यों का भुगतान भी कर रहे ह । बोनस के बढ़ाय जाने का कारण भी मूल्यों में कुछ वृद्धि है ।

चीनी के मूल्यों को कम करने का एकमात्र तरीका मेरे विचार में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार कार्यवाही कर रही है, सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गय हैं । 105 मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है जब कि गत वर्ष इस तिथि को केवल 58 मिलों में ही उत्पादन शुरू हुआ था । जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो जाती हमें चीनी की खपत में संयम से काम लना होगा । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के लिए माननीय सदस्य अपना सहयोग दें।

वनस्पति तेल के मूल्यों पर दो सप्ताह के पश्चात विचार किया जाता है । सोयाबीन तेल के स्टाक के खत्म हो जाने के कारण वनस्पति तेल के मूल्यों को बढ़ने से रोकना मुश्किल हो गया है । सूखे के कारण मूंगफली की फसल को क्षति पहुंची है । 1972 में अब तक हम विभिन्न जोनों में वनस्पति के मूल्यों में पांच बार वृद्धि हुई है, केवल दो बार इसके मूल्यों को कम किया गया था, इसके बावजूद मूल्यों में प्रति किलोग्राम 79 से 80 पैसे की वृद्धि हुई है । हम इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेना चाहेंगे कि क्या पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था में और सुधार किया जा सकता है ।

इसमें मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने की कोई बात नहीं है । तेल के मूल्यों के बढने के साथ मात्र वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है । तेल के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है । तेल के बीजों के उत्पादन में वृद्धि का वनस्पति के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है ।

इसके लिए भी उपाय किये गये हैं । हम सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । इन उपायों के क्रियान्वन से वनस्पति तेल के मूल्य में कमी करना हमारे लिए सम्भव हो सकेगा। 5,000 टन खजूर के तेल का आयात किया जा चुका है और अधिक मात्रा में इसके आयात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने कनाडा से एक लाख टन तोरिका का आयात किया हैं। परन्तु जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और वनस्पति के निर्माण के लिए अपेक्षित तेल का हम आयात नहीं करते, मैं वनस्पति की कीमत में वृद्धि रोकने के बारे में आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री जो० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : श्रीमन महंगाई को रोक पाने में विफल रहने के कारण सरकार की भर्त्सना करने के लिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यह सरकार उपभोक्ताओं, आम जनता, मध्यम वर्ग और दलित वर्ग के हितों की सुरक्षा करने में असफल रही है । मूल्यों में वृद्धि की बात वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार की है । उन वस्तुओं की ही कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, जिनकी कमी है, बल्कि जो बहुतायत में है, उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।**
Shri K. N. Tiwary in the Chair.]

भारतीय उपभोक्ता परिषद के अनुसार 1967 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 209 था जो 1970 में 226 हो गया था और 1972 के पहले छः महीनों के लिए वह 236 हो गया था। भारतीय उपभोक्ता परिषद के अनुसार वर्ष 1947 में एक कप चाय की कीमत 10 पैसे थी, जो 1960 में 14 पैसे हो गई थी और 1972 में 30 पैसे हो गई है ।

जब महँगाई का प्रश्न उठाया जाता है, तो उप-मन्त्री से लेकर प्रधान मंत्री तक यह स्पष्टीकरण देते हैं कि किसी भी विकासशील अथवा अविकसित देश में ऐसा होना स्वाभाविक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संग्रहीत आंकडों से यह तर्क गलत सिद्ध हो गया है कि मुद्रा स्फीति और महंगाई का विकासशील देश में होना स्वाभाविक है । सात एशियाई देशों के आंकडों से पता चलता है कि थाईलैण्ड और मलेशिया में केवल 20 प्रतिशत ही महंगाई बढ़ी, श्री लंका और ताईवान में 33 प्रतिशत महंगाई बढी। भारत और फिलीपाइन्स में 50 से भी अधिक वस्तूओं की कीमतें बढ़ी हैं।

बाजार मुद्रा की ग़प्लाई भी बढ़ रही है । अक्तूबर 1967 से सितम्बर 1968 के बीच बाजार में 415 करोड रुपये की मुद्रा थी, जो 1968–69 की उसी अवधि में बढ़कर 535 करोड रुपये हो गई थी और 1969–70 की उसी अवधि में यह बढ़कर 843 करोड रुपये हो गई थी ।

मूल्य-वृद्धि का एक अन्य कारण घाटे की अर्थव्यवस्था भी है । पहली योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था 530 करोड रुपये थी, दूसरी योजना में यह 948 करोड रुपय हो गई थी, चौथी योजना के दौरान सिर्फ पिछले वर्ष ही 700 करोड रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई थी और इस वर्ष 300 करोड रुपये से भी अधिक की घाटे की अर्थव्यवस्था की गई है ।

जुलाई, 1972 में प्रधान मंत्री ने कहा था कि मूल्यों में कुछ कमी हुई है और उन्होंने यह आशा भी प्रकट की थी कि मूल्यों में और आगे भी कमी होगी, परन्तु आशा के विपरीत मूल्यों में वृद्धि ही हुई है ।

सरकार का प्रकृति पर कोई नियन्त्रण नहीं है, परन्तु वह चीनी और वनस्पति के मूल्यो पर तों नियन्त्रण कर ही सकती है। 70 : 30 का अनुपात निर्धारित करने की क्या तुक है? सरकार ने चीनी के मिल मालिकों को चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से कई रियायतें दे दी हैं। अक्तूबर और नवम्बर, 1972 के महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के चीनी-उत्पादन की अपेक्षा जितनी मात्रा में चीनी का अधिक उत्पादन किवा जायेगा, उस पर 40 रु० प्रति क्विन्टल की छूट दे दी जायगी। इसी प्रकार इस मौसन में पिछले मौसम की अपेक्षा एक निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन पर भी उत्पादन शुल्क में छूट दी जायगी। सरकार की राय में यह छूट देने का उद्देश्य यह था कि चीनी उद्योग गन्ने की अधिक कीमत का भुगतान

[श्री जी० विश्वनाथन]

कर सकेगा और आगामी वर्ष में उत्पादन का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकेगा। अब सरकार ने चीनी की कीमत में इसलिए वृद्धि की है, क्योंकि चीनी के मिल मालिकों को गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य अदा करना होगा।

चीनी की कीमत बढाने के लिए सरकार के पास कोई तर्क नहीं है। जब संसद का सत्र प्रारम्भ होने वाला था, तो संसद की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। अब सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि चीनी की कीमत में और अधिक वृद्धि नहीं की जायगी।

अगर सरकार वस्तुत: महँगाई को रोकना चाहती है, तो गैर–योजना व्यय में कटौती की जानी चाहिए। अप्रैल, 1972 में राज्यों के ओवरड्राफ्टों की राशि 642 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, परन्तु नई नीति के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1972 के अन्त में ओवरड्राफ्ट की कोई राशि बकाया नहीं थी।

प्रशासन के व्यय में वृद्धि हो रही है। इसमें तुरन्त कमी की जानी चाहिए। वित्त मंत्री को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस किसी उद्योग का अधिकरण किया जाय, इसका कार्यचालन ठीक प्रकार से हो।

अन्ततोगत्वा एकमात्र वास्तविक समाधान उत्पादन में वृद्धि ही है। इसके लिए सभी राजनैतिक दलों, सभी मजदूर संघों, मालिकों और कर्मचारियों को मिलजुलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में उत्पादन में वृद्धि हो।

मूल्यों में वृद्धि रोकना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखने में सरकार बुरी तरह विफल हो रही है। इसलिए सरकार की निन्दा करने की आवश्यकता है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बगुसराय): आज का यह स्थगन प्रस्ताव काँग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी कम्यनिस्ट पार्टी ने सभा में पेश किया है। यह एक रोचक तथ्य है।

वर्तमान महंगाई की स्थिति भारतीय अर्थ व्यवस्था और उसके वित्तीय संसाधनों के घोर कुप्रबंध का परिणाम है। सरकार की नीतियों की असफलता के कारण ही किमतों की वृद्धि का घोर संकट हमारे सामने उपस्थित हुआ है। रिजर्व बैंक ने अपनी स्वायत्तता, स्वाधीनता और निष्पक्षता का त्याग कर दिया है और वह भारत सरकार की गुलाम बन गई है। इससे तो अच्छा यही होगा कि रिजर्व बक को समाप्त करके उसके कार्य वित्त मन्त्रालय के एक विभाग को सौंप दिय जाँय। (व्ययधान)

तीसरा कारण यह भी है कि योजना आयोग देश में आयोजना की एक सजग और जागरुक संस्था नहीं रह गई है।

भारतीय संसद भी सूक्ष्म वित्तीय समीक्षा और नियन्त्रण नहीं कर पा रही है। बाल्मेर लौरी खान का सरकार ने बाजार–माल से भी अधिक मूल्य पर अधिग्रहण किया है। इस प्रकार की गतिविधि पर निगाह रखने के लिए संसद के अधीन कोई संस्था नहीं बनाई गई है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार भी एक कारण है और इसकी वजह से ही राष्ट्रीय आय की अपेक्षा काला धन कहीं अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। चिथड़ा काण्ड, चीनी की कीमत में वृद्धि, वनस्पति तेल की कीमत में वृद्धि इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। यह सब तथाकथित प्रगतिशीलता के नाम पर किया जा रहा है।

कीमतों के बारे में वित्त मन्त्रालय से क्या सतर्कता बरते जाने की उम्मीद की जा सकती है, जबकि वित्त मंन्त्री के वक्तव्य के बाद वित्त मन्त्रालय की केन्टीन में ही सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है।

मूल्यों में वृद्धि 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से हो रही है, वर्ष 1970–71 में कीमतें 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, 1971–72 में कीमतें केवल 4 प्रतिशत ही बड़ी और 1972–73 में कीमते 8 प्रतिशत की दर से बढ़ी और पिछले साल की अपेक्षा इस साल कीमते 10 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं। यह सब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक की गणना भी की जानी चाहिए।

अगर 20 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी का स्तर माने तो, 1967–68 तक पचास प्रतिशत जनता गरीबी के स्तर से नीचै थी। 1967–68 की अपेक्षा अब कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है, इसलिए गरीबों की संख्या देश में अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। (व्यवधान) महंगाई के कारण 27.8 करोड़ से बढ़कर गरीबों की संख्या 32.7 करोड़ हो गई है।

बफर स्टाक की समाप्ति पर क्या स्थिति होगी ? . . . कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण क्या बफर स्टाक में भी वृद्धि नहीं की जा सकती।

खाद्यान्न की देश में उपलब्धता में कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, आदि मित्र देशों से खाद्यान्न का आयात करके वृद्धि की जा सकती है।

बाजार में मुद्रा की सप्लाई और राष्ट्रीय उत्पादन के बीच कुछ विशिष्ट सिध्दांतों पर आधारित संबंध होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तो मुद्रा सप्लाई की स्थिति में 6 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है ; परन्तु अगर मुद्रा सप्लाई की स्थिति में 13 प्रतिशत अथवा 14 प्रतिशत की वृद्धि हो तो उसका लाखों व्यक्तियों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।

जब शरणार्थियों का भारी आगमन देश में हो रहा था तब मार्च, 1971 में स्टेट बैंक ने सरकार को 540 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, परन्तु इस साल सरकार ने स्टेट बैंक से 510 करोड़ का ऋण लिया है।

मैं वित्त मंत्री से यह भी आश्वासन लेना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बजट में जितना घाटा दिखाया गया हो उससे अधिक की राशि की घाट की अर्थव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। मुझे आशंका है कि बजट में दिखाए गये 325 करोड़ रु० के घाटे की तुलना में घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़कर 500 करोड़ रुपये तक की हो जायगी।

जनता से बार-बार ऋण लेने के बावजूद स्टेट बैंक से सरकारी क्षत्र को ऋण में वृद्धि हुई है। 1000 करोड़ रु० की अधिक राजस्व की वसूली भी घाटे की अर्थव्यवस्था से निष्प्रभावी हो रही है।

संघर्ष और दबावों के बावजूद वर्ष 1971 में अपेक्षाकृत मूल्यों में स्थिरता रही। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होनीं चाहिए। अगर ऐसा नही होता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक नेतृत्व विफल रही है।

औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधि के बारे में भी सरकार गलतफहमी पैदा कर रही है। पिछले वर्ष सूती कपड़े के उत्पादन में 31 प्रतिशत कमी हुई थी और इस वर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के स्तर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु सीमेंन्ट और इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हुई है। बिजली की कमी से भी औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

खाद्य मंत्री ने रबी उत्पादन में 150 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की आशा प्रकट की है, परन्तु बिजली और उर्वरकों की कम सप्लाई के तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं दीख पड़ता है।

खाद्य मंत्री से मैं बफर स्टाक बनाने के बारे में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं। खाने के लिए उपयुक्त कितना खाद्यान्न इस समय बफर स्टाक में है। सरकारी उपक्रम समिति को दी गई सूचना के अनुसार 60 लाख टन खाद्यान्न बफर स्टाक में था, जिसमें 20 लाख टन वह खाद्यान्न भी शामील था, जो वितरण के लिए भेजा जा चुका था। 10 लाख टन खाद्यान्न, जो बंगला देश को भेजे जाने के लिए था वह उसमें शामिल नहीं किया गया था। अगर भारतीय खाद्य निगम के पास 90 लाख टन खाद्यान्न भण्डार में था, तो उसे इस तरीके से क्यों वितरित नहीं किया गया जिससे खाद्यान्न की कीमतें न बढ़ पायें। भारतीय खाद्य निगम की असफलता के कारण ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने अपने स्वयं के खाद्य निगम स्थापित करने का निर्णय किया है।

इस संकट पर विजय पाना इस सरकार के बस की बात नहीं है। यह सरकार देश को उसी स्थिति की ओर ले जा रही है, जिस स्थिति की ओर सुकर्ण इण्डोनशिया को ल गये थे जबकि वहां कीमतों में 650 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्रीमन, केन्द्रीय सरकार के दो मुख्य कार्य हैं मूल्यों में स्थिरता बनाय रखना और कानन एवं व्यवस्था को भंग न होने देना। इन दोनों ही कार्यों में सरकार बुरी तरह विफल रही है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत कागज पत्रों को दखकर मुझ आश्चर्य होता है कि हम किस प्रकार मूल्यों में स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मूल्य वृद्धि का कारण कराधान संबंधी नीतियाँ हैं और उनका समाधान सरकार इन सब बातों से कर रही है।

मूल्यों में वृद्धि का कारण अत्यधिक कराधान, अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था, अत्यधिक गैर-योजना व्यय और कॉंग्रेस पार्टी द्वारा राजनैतिक भ्रष्टाचार है, जो देश की अर्थव्यवस्था से करोड़ों रुपयों की लूट कर रही है।

देश का प्रशासन एक गम्भीर कार्य है। इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि निर्णय राजनीति से प्रेरित हों। राजनीतिक कारणों से ही श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटाया गया और श्रीमती गांधी ने स्वयं वित्त मन्त्रालय का कार्यभार संभाल लिया।

जैसे मैं माऊंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता वैसे ही श्रीमती गांधी क्या वित्त मंत्री बन सकती हैं। मेर विचार से हुआ यूं कि जब वह वित्त मंत्री थीं तो उन्होंने सोचा कि यह विभाग किसी एसे व्यक्ति को दना चाहिय जो अर्थ-व्यवस्था के बारे में उनसे भी कम जानता हो, इसकी उन्होंने श्री चव्हाण को चुना। गृह मंत्री के रूप में उनको विशष सफलता प्राप्त कीथी और उनमें तब राजनीतिक सूजबूझ और चतुराई थी। परन्तु वित्त मंत्री बढ़ाने के बाद आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि मूल्य न बढ़े। देश का प्रशासन चलाना कोई खेल नहीं है।

हम बहाने बना रहे हैं कभी देश के आर्थिक संकट के लिए सूख को, कभी बंगला देश को, कभी अंग्रजों को, कभी आई० सी० एस० अधिकारियों को, कभी यद्ध को और कभी बाढ़ों और तूफान को दोषी ठहराते हैं।

अनेक वर्षों तक मौसम अनुकल रहता है तब भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती इसी लिये जब कभी सूखा पड़ता है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गावों में 50 हजार रुपये या एक लाख रुपय खर्च करके वहां का जीवन सदा के लिए सुखमय बनाया जा सकता है परन्तु

सरकार एक ही उत्तर देती है कि धन का अभाव है जबकि इसकी ओर इस्पात कारखानों पर 1500 करोड रु० की मंजूरी तुरंत प्रदान कर दी जाती है- यह कैसी प्राथमिकता है 25 वर्ष बाद देश में 1,52,325 गांव ऐसे है जहां एक लोटा स्वच्छ पेय जल तक उपलब्ध नहीं है। 'गरीबी हटाओं, के नारेसे जनताको बहलाया नहीं जा सकता। प्रधान मंत्रीने, जिन्होंने यह नाम दिया है, इसका अर्थ नहीं बताया है।

मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री और उनका पूरा मंत्रीमंडल मानसिक तौर पर गरीब है और सब से पहले उनकी यह गरीबी दूर होनी चाहियें–ऐसे लोगों से देशकी गरीबी दूर करने की क्या आशा की जा सकती है? इस लिए तो सब से पहले आज जो काम हुआ है अर्थात् इस सरकार को गिराना यही होना चाहिये। परन्तु आज की स्थिति में जबकि सरकार को 375 से भी अधिक जनता के कथित प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है यह संभव है, चाहे जनता के यही प्रतिनिधि संसद द्वारा सरकार को बजट की मंजूरी देते समय यहां उपस्थित रहने का कष्ट नहीं करते और संसदीय–कार्य मंत्री को 4–5 बार घंटी बजाने पर भी असहाय बैठे रहना पड़ता है।

जब तक सरकार और उसका प्रत्येक कार्य राजनीतिक ध्येय को सामने रखकर किया जाता रहेगा, देश प्रगति नहीं कर सकता। एडमंड बर्क के अनुसार बुराई तभी विजयी हो सकती है जब अच्छे लोग निष्क्रिय हों। अत: मेरा देश के सभी अच्छे लोगों से अनुरोध है कि वे जागें और इस बुरी सरकार को अपदस्थ कर दें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, वैसे तो यह अविश्वास प्रस्ताव अनेक सदस्यों को हास्यास्पद लगेगा परन्तु हम इसका समर्थन करके सरकार का ध्यान जनता के असंतोष और क्षोभ की ओर दिलाना चाहते हैं।

श्री सालवे ने देश में मुद्रा स्फीति की दर का मुकाबला कुछ विकसित देशों से करके हमें सांत्वना देने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि जहां विकसित देशों में मुद्रा–स्फीति के कुप्रभाव नगण्य होते हैं वहां भारत जैसे विकासशील देश में बहुत हानिकारक हो सकते हैं।

मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा अविकासकारी कार्यों पर व्यय से होने वाली मुद्रा–स्फिति है। श्री साल्वे का यह कथन भी सत्य नहीं है कि मुद्रास्फीति बंगला देशके लिए युद्ध और रक्षा–व्यय में वृद्धि के कारण हुई है। सच तो यह है कि पहली योजना में मुद्रा–स्फीति 333 करोड़ रुपये की थी, दूसरी में 954 करोड़ रुपये की, तीसरी में 1133 करोड़ रुपये की और चौथी योजना में 850 करोड़ रुपये की थी, दूसरा कारण काले धन का है जो, वाचू आयोग के अनुसार 7000 करोड़ रुपय का है। इस समस्या का हल संभवतया इस आयोग की विमुद्रीकरण की सिफारिश लागू कर के किया जा सकता है। बताया जाता है कि 1946 में किया गया विमुद्रीकरण विफल रहा, परन्तु इसका कारण 10 रुपये और 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण न करना था जो कुल मुद्रा का 76.5 प्रतिशत थे। वह विमुद्रीकरण सफल भी कैसे होता? बेल्जियम का उदाहरण हमारे सामने है अत: विमुद्रीकरण परमावश्यक है।

उत्पादन के क्षेत्र में जहां अमीरों के प्रयोग की वस्तुएं, जैसे कारें, फ्रिज तथा एयरकंडीशनर बढ़ी हैं, जबकि जनसाधारण के प्रयोग की वस्तुएं, जैसे कपडा, सूत, चीनी, नमक आदि के उत्पादन में कमी हो गई है। अत: जब तक आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों और थोकव्यापार को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती और इस प्रकार उपभोक्ता वस्तुएं जनसाधारण को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर नहीं मिलती, मूल्यों पर नियंत्रण रखना संभव न होगा।

[प्रो० मधु दण्डवते]

अन्त में मैं यह भी सुझाव दूंगा कि समृद्ध लोगों की खरीद की फालतू शक्ति को बकों की ब्याज दर बढ़ा कर आय-कर में छूट देकर और भविष्य निधि में जमा राशियों को प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है। भारत जैसे देश को निवेश-दर में वृद्धि अपनी ही बचत द्वारा करनी चाहिये। देखा गया है कि बचतें 1965-66 में 11 प्रतिशत से घट कर हाल में 8 प्रतिशत हो गई है। इसे बढ़ा कर 20 प्रतिशत करना होगा। ऋण-क्षमता और धन में वृद्धि उत्पादन से बढ़ने नहीं दी जानी चाहिए। जबतक ये उपाय नहीं किए जाते मूल्य-वृद्धि रोकना कभी संभव नहीं होगा। सरकार की अस्पष्ट विचारधारा और ठूलमूल नीतियों के कारण मूल्य वृद्धि रोकना संभव नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है और मैं इसीलिए इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : महोदय, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : क्योंकि समय नहीं है, अतः अब और किसी सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री एस० ए० शमीम : मैं दो मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Sir, while listening to the speeches of the Ruling Party members, I was reminded of the French revolution and the remarks of its Queen who had said: "why people ask for bread, they should eat cakes instead." As a common man I am not interested to know the causes of price-rise. We want them to be removed. We are interested in results. As long as the phrase is current let us also blame this on C.I.A. I am not against planning, but we shall judge you by your performance. After so many plans, the common man finds himself in miserable plight. We are standing on the threshhold of a revolution born of empty stomaches and it cannot be avoided by chanting the names of Gandhiji and Shri Nehru. Hungry masses are rising to snatch away power from your hands.

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर समीक्षा मेरे मित्र कृषि मंत्री श्री अहमद, श्री एन० के० पी० साल्वे तथा श्री आर० के० सिन्हा द्वारा की जा चुकी है। विपक्ष के सदस्यों ने श्रीमती गांधी तथा कांग्रेस पार्टी को गालियां देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा। यद्यपि मैं उनसे ठोस और प्रभावी उपाय सुझाए जाने की अपेक्षा कर रहा था। यह तो ठीक है कि मूल्य बढ़े हैं अब यह पता लगाना है कि इसका मूल कारण क्या है। कल मैं ने जो वक्तव्य दिया था, लगता है किसी ने भी उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है उस में इस स्थिति का विश्लेषण किया गया था। मूल वृद्धि मुख्यतः कृषि-उत्पादों में हुई है — उन वस्तुओं में जो पीछे क्षति ग्रस्त हुई है अब यह कहना कि मूल्य-वृद्धि का कारण सरकारी नीतियों के कारण हुई है कहां तक ठीक है। यह कहना उचित नहीं है कि सरकार की नीतियों के कारण कृषि संबंधी वस्तुओं का उत्पादन संतोषजनक नही हुआ है। माननीय सदस्यों को पता है कि हमें एक युद्ध का सामना करना पड़ा है और युद्ध के बाद भी इस देश में एक करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा है। इस वर्ष भी कठिन स्थिति के बावजूद हमें बंगला देश को अनाज पहुंचाना था। हमने अनाज का काफी बड़ा भंडार जमा कर रखा था और इसी लिए हम अपने देश की रक्षा कर सके हैं।

गत वर्ष पूर्वी भारत के अधिकांश भाग में बाढ़ आई थी और पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। इस वर्ष भी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। आज हमारे देश को दैवी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे किसी दल विशेष के हितों का ध्यान न रखकर सरकार के साथ सहयोग कर और देश को इस विपत्ति से बचाने के लिये उसकी मदद करें।

हम रबी के मौसम में उत्पादन बढ़ाने के लिए और हमारे पास जो कुछ उपलब्ध है उसका उचित वितरण करनें के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आगामी कुछ महीनों में पानी के अभाव के कारण लाखों पशुओं के लिए कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। माननीय सदस्य हमारी आलोचना कर सकते हैं परन्तु उन्हें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर इस समस्या पर विचार करना चाहिये। यह समस्या मूल्यों में वृद्धि की समस्या से कहीं अधिक गम्भीर है।

अब खरीद के मौसम में वसूली का कार्य आरम्भ होने वाला है। इस मौसम में मक्का और चावल का उत्पादन होता है। कुछ क्षेत्रों में फ़सल अच्छी हुई है और इससे हमारे रक्षित भंडार में भी वृद्धि होगी। मेरे विचार में हमें चावल और दालों का कुछ आयात भी करना पड़ेगा। संभव है कि हमें गेहूं का अभी आयात करना पड़े। हमारे देश की 50 प्रतिशत जनता गन्दी बस्तियों और देहातों में रहती है और हमे हर कीमत पर उनका ध्यान रखना है ताकि उन्हें कोई कठिनाइ न हो। जहाँ तक अनाज के व्यापार का नियन्त्रण अपने हाथों में लेने का संबंध है, सरकार ने निर्णय किया है कि वह चावल और गेहूं के व्यापार को अपनें हाथ में लेगी ताकि वितरण प्रणाली में कोई बाधा न पड़े। हम ने राज्य सरकारों से कह दिया है कि वे इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये तैयार रहें। जहां तक अनाज के वितरण की वर्तमान व्यवस्था का संबंध है, मैं यह नहीं कह सकता कि सब जगह वह संतोषजनक होगी। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं यह व्यवस्था संतोषजनक नही है वहाँ उसमें सुधार करने के लिय वे अपना सहयोग दें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या मंत्री महोदय ने कभी खाद्य स्थिति के बारे में विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ विचार-विमर्श भी किया है? अब वह हम से सहयोग मांग रहे हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : हमने कई बार विचार-विमर्श किया है परन्तु माननीय सदस्य हमेशा वक्तव्य की मांग करते रहे हैं।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वितरण प्रणाली में सुधार करने की गुंजाइश है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है। हम अवश्य सुधार करेंगे और मुझे आशा है कि अन्ततोगत्वा हमारी वितरण प्रणाली सफल सिद्ध होगी।

सरकार ने निर्णय किया है कि वह 'लेवी' चीनी का व्यापार अपने हाथ में लेगी और मेरे विचार में दिसम्बर के पहले सप्ताह में उसका वितरण आरम्भ होगा। मुझे पूरी आशा है कि चीनी संबंधी इस नीति से चीनी के मूल्य में कमी होगी। श्री श्याम नन्दन मिश्र ने कहा था कि अर्थ-व्यवस्था के पूर्ण रूप से कुछप्रबन्ध के कारण मूल्यों की यह समस्या पैदा हुई है। जहां तक मुद्रा उपलब्धि का संबंध है वह उत्पादन की दर के अनुपात में नहीं है। अतः निश्चय ही यह चिन्ता का विषय है। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि मुद्रा उपलब्धि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम है। हम घाटे की अर्थव्यवस्था को सीमित रखने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। परन्तु इसके लिये विरोधी पक्ष का सहयोग आवश्यक है।

जब राज्य सरकार सूखे की समस्या को लेकर और गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की समस्या को लेकर हमारे पास आती है तब हमें घाटे की अर्थव्यवस्था या मुद्रा उपलब्धि की स्थिति से अधिक उन गरीब देहाती लोगो को सहायता देने पर विचार करना होता है।

रिजर्व बैंक अपना निर्णय स्वयं करने में पूर्ण रुप से स्वतंत्र है। परन्तु इसके साथ वह सम्पर्ण राष्ट्र का बैंक है और जब देश को किसी बात की आवश्यकता हो तो सरकार रिजर्व बैंक को निदेश भी दे सकती है। फिर भी वह अपनी निष्पक्ष राय व्यक्त कर सकता है। उसे ऐसा करने

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

की परी आजादी है। हम ऋण में और वद्धि करने के प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था में हुई कुछ भूले समाप्त की जा सकें। रिजर्व बैंक ने आज ही आगामी कुछ सप्ताहों में सार्वजनिक ऋण में 100 करोड़ रुपये अधिक बढ़ाने के लिये मान लिया है ताकि मुद्रा उपलब्धि पर कुछ रोंक लगाई जा सकें और घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने में सहायता मिल सके।

विद्युत के कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को धक्का पहुंचा है । हम इस समस्या को हल करने के लिय संगठित प्रयास कर रहे हैं जिससे हम अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। हम यह नहीं कह सकते कि हम नई क्षमता बनायेंगे परन्तु पहले से अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये उच्च स्तरीय निर्णय किये जा रहे है ताकि औद्योगिक उत्पादन में कमी न हो। प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक है। सामाजिक न्याय के बिना प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

मै ने यह बताने की कोशिश की है कि मूल्यों में वृद्धि निश्चय ही चिन्ता का विषय है परन्तु इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर हल करना चाहिये। यह समस्या केवल मूल्य वृद्धि तक ही सीमित नहीं बल्कि इसकी जड़ कहीं अधिक गहरी है। अतः इस के साथ निपटा ने के लिये हमें पुरे राष्ट्र का सहयोग चाहिये ।

श्री समर गुह (कंटाई) : सरकार राष्ट्रीय संकट में विरोधी पक्ष का सहयोग मांगती है । विरोधी पक्ष सहयोग देने के लिये तैयार है परन्तु क्या यह सच है किसभी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मण्डल समितियों में और विकास समितियों में शासक दल के विधायकों का एकाधिकार है ? क्या यह भी सच है कि थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को दिये जाने वाले वितरण के परमिट और लाइसेंस किसी एक ही दल से संबद्ध व्यक्तियों को दिये जाते हैं ?

S. M. Banerjee (Kanpur): The Finance Minister has repeatedly mentioned that India had to feed lakhs of refugees from Bangla Desh. We all know this and the entire country has cooperated with the Government in dealing with the situation and everyone has appreciated the efforts made by them in this regard. But I want to ask whether the owners of sugar factories had also made any sacrifices? May I know the reason as to why the prices of sugar have been raised? The workers have been working in the factories day and night without any over time allowance in the aforesaid critical period whereas the factory owners have been earning their full profit. They had filed a writ in the Court in regard to the sugar prices. Why can't the Government take over these factories? The Government is fully empowered to do so. If sugar factories are nationalised, the entire profit will go to the Government and State capital will grow.

I am glad to know that Government is going to take over the wholesale trade in rice and wheat in their hands but they have not mentioned the time by which they will do so. This step should be taken without any delay because the State Governments are prepared to cooperate with the Central Government in this matter. They should also take over the distribution of edible oils and textiles. Black marketing and hoarding must be stopped. These things have not come into existence as a result of a natural calamity. The import and export trade should also be nationalised.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि अब सभा स्थगित होती है"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 34 Ayes 34

विपक्ष में 185 Noes 185

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक-जारी

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL —Contd.

सभापति महोदय : अब सभा में श्री आर० के० खाडिलकर द्वारा प्रस्तुत चूना पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Mr. Chairman....

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार 15 नवम्बर, 172/24 कार्तिक, 19894(शक)के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjurned till Eleven of the clock on Wednesday the 15th November, 1972/Kartika 24, 1894 (Saka)

GIPN S4—18 L. S.S./72—18-1-73—490.